सोमवार,
१५ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक दस बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय अस्पताल

*११६४. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बंगाल में काम करने वाले खनिकों के लाभार्थ रानीगंज में एक केन्द्रीय अस्पताल बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ; तथा

(ख) उस के कब तक बन कर पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर १९५४ के अन्त तक ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या धनबाद और रानीगंज के केन्द्रीय अस्पताल केवल खनिकों तथा उनके परिवारों की ही आवश्यकता को पूरा करते हैं अथवा वह सामान्य जनता की सेवा भी करते हैं ?

श्री आबिद अली: यह खनिकों और उन के परिवारों के लिए है, और साधारण तथा सामान्य जनता की सेवा नहीं करते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन अस्पतालों में सभी विशिष्ठ चिकित्साओं तथा नवीनतम रोग निवारक साधनों की व्यवस्था की गई है अथवा की जायेगी ?

श्री आबिद अली : जी हां, श्रीमान्, की जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन में छूत की बीमारियों और क्षय जैसे अन्य गम्भीर रोगों के लिए प्रथक् वार्ड होंगे ?

श्री आबिद अली : जी हां, श्रीमान् ।

गन्ना अनुसन्धान कार्य-कर्त्ताओं का वार्षिक सम्मेलन

*११६५. **श्री एस० एन० दास:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने अपनी गतिविधियों के सामान्य कार्यक्रम के रूप में गन्ना अनुसन्धान कार्यकर्ताओं के एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है ?

(ख) अब तक इस प्रकार के कितने सम्मेलन किये जा चुके हैं ?

(ग) इन सम्मेलनों के व्यय को किस तरह पूरा किया जाता है ?

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस निधि में कोई अंशदान देती है ?

(ङ) अगला सम्मेलन कहां समवेत होने वाला है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) एक ।

(ग) भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा ।

(घ) जी नहीं । इस कार्य के लिये ऐसी कोई निधि नहीं है ।

(ङ) सम्मेलन का स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस सम्मेलन पर औसत व्यय क्या होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्मेलन के व्यय का कोई भार हम पर नहीं पड़ा । इस सम्मेलन पर हुआ सम्पूर्ण व्यय ३,०३८ रुपये था जिस में से २,७१७ रुपये छपाई खाते के थे और ३२१ रुपये का आक्समिक व्यय था ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रथम सम्मेलन किस राज्य में हुआ था ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह अपनी प्रकार का पहला सम्मेलन था ।

श्री एस० एन० दास: सम्मेलन कब हुआ था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि इस समय मुझे तिथि ज्ञात नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को इस सम्मेलन में स्वीकृत हुए संकल्पों तथा उस के द्वारा की गई सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में कोई सूचना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह: इस समिति द्वारा केन्द्रीय तथा राज्यों की अनुसन्धान योजनाओं को दी गई राजकीय सहायता क्या थी ?

डा० पी० एस० देशमुख: केन्द्रीय गन्ना समिति इस प्रकार की कोई राजकीय सहायता नहीं देती है । वह अनुसन्धानों की कुछ योजना को स्वीकृत करती है, और उस के चलाने में जो भी व्यय होता है उस का आधा भाग समिति द्वारा कभी कभी अंशदान के रूप में दे दिया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं उत्तर को ठीक से समझा नहीं । क्या यह समिति गन्ना संबंधी केन्द्रीय तथा राज्य अनुसन्धान योजनाओं को आर्थिक सहायता नहीं देती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : देती है । वस्तुतः यह राजकीय सहायता देना नहीं है परन्तु स्थिति यह है कि यही वह मुख्य समिति है जिस का अपना स्वयं का अनुसन्धान विद्यालय है और जो स्वयं अपने तत्वाधान में ही अनुसन्धान कार्य करती है । यदि विद्यालयों और राज्यों द्वारा कोई योजना प्रस्तावित की जाती है तो यह उसे निश्चय ही सहायता देती है ।

सरदार हुक्म सिंह: इस समिति से राजकीय सहायता प्राप्त अथवा इस की मदद से क्या किसी अन्य विद्यालय में भी कोई अनुसन्धान कार्य किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान् । बहुत समय से यह समिति अनुसन्धान कार्य करती तथा उस में सहायता देती आई है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस सम्मेलन में केवल मात्र सरकारी विशेषज्ञों ने ही भाग लिया है अथवा इस कार्य में संलग्न अन्य गैर-सरकारी विशेषज्ञों का भी इस में प्रतिनिधान था ?

डा० पी० एस० देशमुख: उस में दोनों ही थे, परन्तु प्रधानतया राज्यों के प्रतिनिधि ही उस में आये थे ।

छोटे रेलवे स्टेशनों का सुधार

*११६८. **श्री दाभी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने पहले ही निश्चय कर लिया है कि बड़े रेलवे स्टेशनों को दुबारा नये सिरे से बनाने और उन की मरम्मत कराने पर बहुत अधिक धन राशि व्यय करने के बजाय वह भविष्य में छोटे स्टेशनों पर यात्रियों को सुख सुविधायें पहुंचाने के लिए अधिक धन व्यय करेगी ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और छोटे रेलवे स्टेशनों को सुधारने के लिये वह कितनी अतिरिक्त धनराशि व्यय करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ न्यनतम सुविधाओं, जैसे प्रतीक्षालय, बैठने की बेंचें, पीने के पानी का प्रबन्ध, इत्यादि की सभी स्टेशनों पर उन के महत्वपूर्ण होने या न होने की बात के अनपेक्ष, व्यवस्था की जायेगी । अधिक महत्वपूर्ण स्टेशनों पर और भी अतिरिक्त सुविधाय, जैसे प्लैटफार्मों का ऊंचा करना तथा उन्हें ऊपर से पाटना, प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि, दी जायेंगी । सुख सुविधाओं के मद्दे प्रति वर्ष खर्च होने वाले धन का एक अधिकांश भाग छोटे स्टेशनों पर व्यय किया जायेगा । सन् १९५२-५३ में छोटे स्टेशनों पर ९७ लाख रुपया और सन् १९५३-५४ में ११६ लाख रुपया व्यय करने की प्रस्थापना है ।

श्री दाभी : मैं उत्तर को पूर्ण रूप से समझ नहीं सका । मेरा प्रश्न था कि क्या बड़े स्टेशनों पर सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने के कार्यक्रम को छोटे स्टेशनों के प्रति पक्षपात में स्थगित कर दिया गया है ।

श्री अलगेशन : बड़े रेलवे स्टेशनों की सुख सुविधाओं को स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है । प्रश्न केवल छोटे रेलवे स्टेशनों को सुख सुविधायें देने के लिये अधिक धन देने का है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन सभी छोटे और बड़े रेलवे स्टेशनों की, जिन को आगामी पांच वर्ष में पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है, कोई सूची बना ली गई है, और यदि हां, तो क्या सरकार उस सूची को सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अलगेशन : विभिन्न रेलवेज़ से ऐसे स्टेशनों की सूचियां तैयार करने को कहा गया है, और जैसे ही वह तैयार हो जायेंगी, उन को सदन पटल पर रखा जा सकता है ।

चावल का प्रसंकरण

*११६९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दो प्रकार, एक जापान (जैपोनिका) का तथा दूसरा भारत (इंडिका) का, के चावलों का प्रस्थापित प्रसंकरण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ;

(ग) वह विशेषज्ञ कौन हैं जिन्होंने यह प्रयोग किया है ; तथा

(घ) इस समय इन दोनों किस्मों के चावलों की उत्पादन क्षमता क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) यह परियोजना अगस्त, १९५० में केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था कटक में, प्रारम्भ की गई थी ।

(ग) प्रयोग केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था के संचालक के निरीक्षणाधीन किये जा रहे हैं ।

(घ) जैपोनिका से जापान में प्रति एकड़ २५०० पौंड चावल की प्राप्ति होती है, और भारत में इंडिका क़िस्म कोई ७५० पौंड की प्राप्ति होती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या एफ. ए. ओ. (खाद्य तथा कृषि संगठन) ने अपने विस्तारित प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रसंकरण कार्य के लिये कोई सहायता प्रदान की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । दोनों योजनाओं में से एक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी योजना है जिसे एफ. ए. ओ. (खाद्य तथा कृषि संगठन) ने प्रवर्त्तित किया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस प्रसंकरण विभाग का वहां के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम से कोई सम्बन्ध है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, जहां तक खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता का सम्बन्ध है । अन्यथा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल प्रथक् हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह प्रथम प्रयोग है अथवा प्रसंकरण सम्बन्धी अन्य कार्य सरकार द्वारा किये गये हैं अथवा उन के सरकार द्वारा किये जाने की कोई प्रस्थापना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से यह प्रयोग अब तक किये गये इस प्रकार के प्रयोगों से सब से बड़ा है ।

श्री बर्मन : इस संस्था में प्रसंकरण प्रणाली से अब तक विकसित की गई चावल की क़िस्मों की संख्या क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाली अवधि को अन्तिम त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि उक्त चतुर्थांश में ५५,९८९ पालीनेशन किये गये थे और ३,८४७ मिश्रज बीज इकट्ठे किये गये थे ।

डा० के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन प्रसंकर बीजों को किसी विशेष प्रकार की भूमि और मौसम की आवश्यकता होती है, अथवा वह इस देश में पाये जाने वाले साधारण मौसम में ही उत्पन्न हो जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह अनुसन्धान कार्य किसी मिट्टी विशेष के लिये उपयुक्त बीजों की खोज करने के लिए है, और यह प्रयोग इन बीजों को भारतीय जलवायु के लिए अनुकूल बनाने के हेतु किये जाते हैं, और इस कारण विभिन्न प्रकार की मिट्टियों पर परीक्षण किया जाता है ।

श्री संगण्णा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कटक के अनुसन्धाम स्टेशन में कितनी क़िस्मों पर किया जाने वाला अनुसन्धान कार्य अन्तिम स्थिति तक पहुंच गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह अनुसन्धान कार्य एक बहुत देर वाली प्रणाली है और इस का निश्चित परिणाम ज्ञात करने तथा हमारे लिए यह निश्चित करने में कि किस प्रकार का बीज सब से अधिक उपयुक्त रहेगा, तीन से चार वर्ष तक का समय लगने की संभावना है ।

श्री एस० एस० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत के अतिरिक्त किन अन्य देशों को इस प्रयोग से लाभ पहुंचने की संभावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक इस केन्द्र का सम्बन्ध है, भारत के अतिरिक्त एशिया के नौ अन्य देश इस में भाग ले रहे हैं ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं इस प्रयोग किये जाने का कारण जान सकती हूं ? क्या इस से अधिक पोषक तत्व वाला चावल उत्पन्न होगा अथवा इस के परिणाम स्वरूप चावल का अधिक उत्पादन होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, चेष्टा यह है कि कोई ऐसा बीज खोज निकाला जाये जिस से उपज अधिक हो और जो अधिक से अधिक प्रोटीन दे सके ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं इस योजना में भाग लेने वाले देशों के नाम ज्ञात कर सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से सूची गत अवसर पर दी गई थी । उन में अधिकतर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या चीन को इस योजना में सम्मिलित किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से नहीं ।

मछली का निर्यात

*११७०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में भारत से सूखी तथा ताज़ी मछली का कुल कितना निर्यात हुआ था ;

(ख) किन देशों को तथा कितनी कितनी परिमात्रा का निर्यात हुआ ; तथा

(ग) इन निर्यातों के परिणाम स्वरूप भारत द्वारा कुल कितनी धन राशि अर्जित की गई ?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). ताज़ी मछली सम्बन्धी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक सुखाई हुई मछली का सम्बन्ध है एक विवरण जिसमें अब तक उपलब्ध अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १४**]

श्री ईश्वर रेड्डी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या भारत-अमरीकी करार में भारत की मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई प्रावधान किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मत्स्य ग्रहण के सम्बन्ध में प्रयोग करने के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कुछ सहायता मिलेगी और गहरे समुद्र म मछली पकड़ने के लिए अपेक्षित कुछ उपकरण भी प्राप्त होंगे ।

श्री ईश्वर रेड्डी : करार के अनपेक्ष, भारत में मत्स्य ग्रहण के विस्तार के लिए और विशेषतया मशीनों के काम में लाये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने की प्रस्थापना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम अपने मछली पकड़ने वाले विभाग में मशीनों से काम लेने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और हम बहुत अधिक संख्या में इंजन मंगाने जा रहे हैं जो मामूली नावों में लगाये जायेंगे। कुछ ट्रालर भी मंगाये जायेंगे जिन को गहरे समुद्र में मछली पकडने के काम में लाया जायगा ।

श्री ए० एम० टामस : भारत के किस भाग से सुखाई हुई मछली अधिकतया निर्यात की जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि यह मालाबार से भेजी जाती है ।

सरदार हुकम सिंह : अधिक अन्न उपजाओ निधि में से कितनी धनराशि मछली पकडने के व्यवसाय के विस्तार के लिए व्यय की गई ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास आकड़े नहीं हैं ।

मुरलीगंज-दौराम माधेपुरा रेलवे लाइन

*११७३. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार में उत्तर-पूर्वी रेलवे में मुरलीगंज से दौराम माधेपुरा तक रेलवे लाइन बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो अब तक हुई प्रगति ?

(ग) यातायात के लिए इस लाइन के कब तक तैयार हो जाने की प्रत्याशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर हां में है ।

(ख) जहां तक काम में हुई प्रगति का सम्बन्ध है, दौराम माधेपुर से बुधाम घाट तक ६.२५ मील लम्बा मिट्टी का पुश्ता बनाया जा चुका है ।

(ग) आशा की जाती है कि काम सन् १९५३-५४ के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह तथ्य है कि कुछ दिन से निर्माण कार्य रोक दिया गया है ?

श्री अलगेशन : काम हो रहा है और बिहार सरकार का जन वास्तु विभाग काम कर रहा है । जैसे ही उस को और भूमि प्राप्त होगी वह काम को जारी कर देगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह तथ्य है कि किन्हीं स्थानों में अभी तक भूमि को समाप्त करने का कार्य भी नहीं हुआ है ?

श्री अलगेशन : मुख्य अंजनिक ने हमें बताया है कि भविष्य में वह भूमि प्राप्त करने में सफल होंगे और काम को चालू रखा जा सकेगा ।

व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, बनारस

* ११७५. **श्री रूप नारायण** : क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की सम्पूर्ण संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इस प्रशिक्षण केन्द्र में अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित हैं ;

(ग) उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र में अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या क्या है ; तथा

(घ) क्या इन प्रशिक्षणार्थियों को कोई वृत्तियां दी जाती हैं, यदि हां, तो इन वृत्तियों की सम्पूर्ण संख्या क्या है और प्रशिक्षणार्थियों को कितनी धनराशि प्रति मास दी जाती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) दिसम्बर १९५२ के अन्त में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालिज के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर ने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या ३०३ थी ।

(ख) जी हां, १२ १/२ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों के लिए सुरक्षित किये गए हैं ।

(ग) १६ ।

(घ) अनुसूचित जाति के १२ प्रशिक्षणार्थियों को २५ रुपया प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति मास की दर से वृत्तियां दी जाती हैं ।

श्री रूप नारायण : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन प्रशिक्षणार्थियों को दिये गये प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा अस्वीकृत किये गये हैं ?

श्री आबिद अली : कुछ सरकारों ने मान्यता दी है ।

श्री भीखा भाई : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कुछ स्थान अनुसूचित आदिम जातियों के लिए भी सुरक्षित किये गये हैं ?

श्री आबिद अली : अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नहीं ।

श्री गणपति राम: क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग पर कितना रुपया अब तक खर्च किया गया है ?

श्री आबिद अली: इसके लिए अगर आप सवाल लिख कर पूछें तो मैं जवाब दे सकूंगा।

श्री संगण्णा: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई स्थान सुरक्षित क्यों नहीं किये गये हैं ?

श्री आबिद अली: मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

श्री रूप नारायण: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रशिक्षणार्थियों को सेवायुक्त करने की कोई जिम्मेदारी ली है ?

श्री आबिद अली: हम उन को सेवायुक्त कराने के प्रयत्न करते हैं; परन्तु हम ने कोई वचन नहीं दिया है।

श्री गणपति राम: क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेंट इस तरह की ट्रेनिंग पाने वालों के लिए कोई ऐसा प्राविजन (प्रावधान) भी बना रही ह जिस से उन को ट्रेनिंग खत्म करने करने के बाद कुछ लोन्स् (ऋण) भी दिये जा सकें ?

श्री आबिद अली: ट्रेनिंग के बाद उन को कर्ज दिये जाने की कोई स्कीम (योजना) नहीं है।

श्रम कल्याण संगठन

*११७७. **पंडित एम० बी० भार्गव:** क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रम कल्याण संगठन, जैसा कि वह इस समय विभिन्न रेलवे में है, विभिन्न जनरल मैनेजरों अथवा सम्बद्ध विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार के श्रम मन्त्रालय ने कुछ समय पहले यह प्रस्थापना की थी कि यह संगठन विभिन्न रेलवेज के प्रशासनिक नियन्त्रण में न रहे वरन् सीधा उसी के नियन्त्रण के अधीन कार्य करे ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो इस प्रस्थापना का क्या परिणाम हुआ ?

रेल तथा यातायात उप मंत्री (श्री अलगेशन): (क) श्रम कल्याण संगठन अथवा कमकर संगठन, जैसा कि वह इस समय विभिन्न रेलवेज में कार्य कर रहा है, अंशत: जनरल मैनेजरों के सीधे नियन्त्रण में है और कुछ अन्य मामलों में, उदाहरण के लिए वर्कशाप और सेवा नियोजन अधिकारी, सम्बद्ध विभाग के नियन्त्रणाधीन है।

(ख) जी नहीं, हमें ऐसी किसी प्रस्थापना का ज्ञान नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पंडित एम० बी० भार्गव: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य क्या हैं ?

श्री अलगेशन: यह अधिकारी रेलवेज के कमकर संगठन में हैं। यह पदोन्नति, तबादला, वेतन का निश्चयन, छुट्टी की स्वीकृति, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना इत्यादि बातों की देखरेख करते हैं। इन अधिकारियों के यही कर्तव्य और कृत्य हैं।

श्री सिंहासन सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या उत्तर पूर्वी रेलवे में कोई घोषित कल्याण अधिकारी हैं ?

श्री अलगेशन: २४९ पद हैं, उन में से या तीन घोषित हैं।

चाय उद्योग

*११७८. **श्रीमती जयश्री :** क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि चाय उद्योग को अपने श्रमिकों के भरण पोषण का उत्तर-दायित्व उठाना पडता है ; तथा

(ख) क्या किन्हीं अन्य उद्योगों को भी अपने श्रमिकों का भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व उठाना पड़ता है ?

श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) आसाम, पाश्चिमी बंगाल और मैसूर में चाय बागान अपने श्रमिकों को रियायती दरों पर खाद्यान्न देते हैं। यह प्रथा बहुत समय से चालू है। मदरास तथा त्रावनकोर-कोचीन में, उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां अनुविहित राशनिंग प्रणाली चालू है, बागान राशन दुकानों का काम करते हैं और खरीद मूल्य पर खाद्यान्न देते हैं।

(ख) कोयला खदानों में भी मालिक लोग अनाज रियायती दरों पर मजदूरों को देते हैं।

श्रीमती जयश्री : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या यह तथ्य है कि चाय बागानों के कुछ मालिकों ने यह प्रतिनिधान किया ह कि वह इस उत्तरदायित्व को निबाहने में असमर्थ हैं ?

श्री आबिद अली : जी हां, श्रीमान्। कई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं।

श्री वेंकटारमन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि आसाम के चाय बागानों ने भरती के समय भी अपने श्रमिकों को रियायती दरों पर राशन देने का दायित्व लिया था ?

श्री आबिद अली : जी हां, यह तथ्य है।

श्री वेंकटारमन : इस वचन को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार उन की इस प्रार्थना पर, कि श्रमिकों के भरण पोषण का उत्तर-दायित्व उन से ले लिया जाये, विचार करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं, सरकार श्रमिकों को दी गई रियायतों को वापस लेने या कम करने की प्रस्थापना नहीं करती है। यह मामला उस त्रिदलीय सम्मेलन की कार्यसूची में रख लिया गया है, जो इस मास की १९ तथा २० तारीख को होगा और जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे, और इस सम्बन्ध में उनकी सम्मति भी ज्ञात की जायेगी।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन्होंने जो प्रतिनिधान किया है उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्री आबिद अली : हम ने इस रियायत को कम से कम कुछ समय के लिए कम न करने का निर्णय किया है।

श्री धूसिया : वह कौन सी नई कठिनाइयां थीं जिन का मालिकों को अपने श्रमिकों का भरण पोषण करने में सामना करना पड़ा ? उन को इन कठिनाइयों का कब से सामना करना पड़ रहा है, और उस के क्या कारण हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कब से मालिकों को अपने श्रमिकों को करार के अनुसार राशन की व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

श्री आबिद अली : दो तीन वर्षों से वह प्रतिनिधान भेज रहे हैं।

श्री संगण्णा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भरती के समय श्रमिकों को यह बताने के लिए, कि किन अवस्थाओं में उन को चाय बागानों में काम करना होगा, क्या व्यवस्था की गई थीं ?

श्री आबिद अली : सेवा की समस्त शर्तें कमकरों को समझा दी जाती हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार का विचार यह देखने का है, कि श्रमिकों द्वारा अनाज के अधिक मूल्य के रूप में दिया जा रहा धन उन को मालिकों द्वारा क़रार के अनुसार दे दिया जाता है ?

श्री आबिद अली : श्रमिकों को हानि पहुंचाने वाले किसी परिवर्तन को करने की सरकार प्रस्थापना नहीं करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस कल्पना पर आधारित है कि उन से अधिक मूल्य देने को कहा जायेगा । एक त्रिदलीय सम्मेलन होने को है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : करार के अनुसार, मालिकों को खाद्यान्न रियायती दर पर देना है । परन्तु श्रमिक अधिक मूल्य दे कर अनाज खरीद रहे हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार का यह देखने का विचार है कि अब तक बीते समय का मूल्यों का अन्तर मालिकों द्वारा दिया जाये ?

श्री आबिद अली : हमारी सूचना के अनुसार श्रीमान् कमकरों को कोई भी अधिक मूल्य नहीं देने पड़ रहे हैं ।

सहकारी समितियों का परिमापन

*११७९. **श्री जसानी** : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रेलवे पर्षद् ने रेलवे कमकरों में सहकारी समितियों को संगठित करने तथा स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के विचार से एक विशेष अधिकारी को एक विशेष परिमापन करने के लिए नियुक्त किया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या विशेष अधिकारी द्वारा कोई योजना प्रस्तुत की गई है ;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ; तथा

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) । उक्त अधिकारी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री जसानी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस प्रकार की--बहु प्रयोजनीय, ऋण समितियां, उपभोक्ता अथवा औद्योगिक--सहकारी समितियों के लिये यह परिमाप किया गया था ?

श्री अलगेशन : यह परिमाप सम्बद्ध अधिकारी द्वारा किया गया है और उस ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है । उस की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं । यह बहुप्रयोजनीय समितियों तथा सहकारी थोक भंडारों इत्यादि के सम्बन्ध में थीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी और रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सरकार द्वारा कितना समय लिये जाने की प्रस्थापना है ?

श्री अलगेशन : उक्त रिपोर्ट कुछ समय पूर्व प्रस्तुत की गई थी । निर्णय करने में सरकार को कुछ समय लगने की संभावना है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उक्त अफसर को कब नियुक्त किया गया था ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से फरवरी १९५२ में ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उस ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ?

श्री अलगेशन : सितम्बर में ।

समाचार दर प्रणाली

*११८०. **श्री माधव रेड्डी :** क्या संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सन् १९५२-५३ में 'समाचार दर प्रणाली' को हैदराबाद राज्य में भी लागू करने की प्रस्थापना करती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां, सन् १९५३ में किसी समय हैदराबाद राज्य में समाचार दर प्रणाली जारी करने की प्रस्थापना है ।

श्री माधव रेड्डी : इस प्रणाली को चालू करने का उद्देश्य क्या है ?

श्री राज बहादुर : भीड़ भाड़ को हटाने और सेवा में अधिक कार्यक्षमता लाने के लिए; इस के अतिरिक्त, टैलीफून में कुछ और सेवा सुविधा देने और मितव्ययता करने के लिये ।

श्री माधव रेड्डी : वह अन्य नगर कौन से हैं जिन में इस वर्ष यह प्रणाली चालू की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : अमृतसर, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, इंदौर, कानपुर, मदरास, नागपुर, पूना और शिमला ।

श्री हेडा : क्या यह तथ्य नहीं है कि हैदराबाद की टैलीफून सम्बन्धी मशीनरी बिल्कुल घिस गई है, और यदि ऐसा है, तो उसे प्रतिस्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राज बहादुर : हम समय समय पर उस की देखरेख करते हैं । इस के अतिरिक्त, हमारे पास उस के प्रतिस्थापन तथा पुनर्नवीकरण की योजनायें हैं । अभी तो हम दो एक्सचेंज, एक सिकन्दराबाद में और दूसरा सैफाबाद में, स्थापित करने की प्रस्थापना करते हैं । इन में से प्रत्येक १४०० लाइनों का एक्सचेंज होगा । इस के बाद, सिकन्दराबाद के स्वयं चालित बोर्ड से मुक्त हुई ५०० लाइनों को हटा कर के गोलगोड़ा एक्सचेंज में मिला दिया जायेगा ।

काज़ी पेट-बल्लारशा यात्री ट्रेन सेवा

*११८१. **श्री माधव रेड्डी :** क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय रेलवे में काज़ीपेट और बल्लारशा के मध्य एक और सवारी गाड़ी को चालू करने की कोई प्रस्थापना है ; तथा

(ख) क्या सरकार को विदित है कि हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही किये जाने से पूर्व काज़ीपेट और बल्लारशा के बीच एक और सवारी गाड़ी चलती थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, बैजवाड़ा और बल्लारशा के मध्य इस समय चलने वाली सवारी तथा पार्सल गाड़ी (२११ डाउन । २१२ अप) को बैज़वाड़ा और बल्लारशा के मध्य चलन के लिए बढ़ा कर ।

(ख) १-४-४८ से १०-७-४८ तक काज़ीपेट-बल्लारशा सैक्शन पर एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी परीक्षात्मक उपाय की भांति कोई ३ महीने के लिये चलाई गई थी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यात्रा करने वाली जनता से ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पार्सल सवारी गाड़ी सुविधाजनक नहीं है और पार्सल सवारी गाड़ी के स्थान पर एक प्रथक सवारी गाड़ी चलाई जाये ?

श्री अलगेशन : इस प्रकार का कोई प्रतिनिधान किये जाने के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है

भूमि क्षेत्र

*११८२. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास भूति तथा नमी के अधिरक्षण के सम्बन्ध में कोई योजना है ;

(ख) वह क्षेत्र जहां भूति तथा वायु द्वारा क्षय सब से अधिक होता है; तथा

(ड) बांधों को मिट्टी भर कर अंट जाने से रोकने के उद्देश्य से शक्तिजनन तथा सिचाई बांधों के आसंपास भूमि क्षय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भूमि क्षय को रोकने की योजनायें बनाना तथा उन को कार्यान्वित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । बम्बई, पंजाब, मदरास, मध्य प्रदेश त्रावनकोर-कोचीन तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अपने स्वयं के सुसंगठित अधिरक्षण एकक है और उन्होंने भूमि क्षय को रोकने के लिए योजनायें बनाई हैं ।

(ख) इस दृष्टि कोण से सब से अधिक प्रभावित क्षत्र हिमालय का तराई मावर वाला भाग, मध्यभारत के पठारी भाग, छोटा नागपुर तथा दक्षिण के पठार, राजस्थान, और यमुना, चम्बल, महानदी, कृष्णा तथा अन्य नदियों के खादरों वाला भाग हैं ।

(ड) बनाये जा रहे बांधों के पास भूमि-क्षय को रोकने की योजनायें बनाई जा रही हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भूमि क्षय को रोकने के तरीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हमारे अधिकारियों को विदेशों को भेजा गया है, और यदि हां, तो कहां को ?

डा० पी० एस० देशमुख : पांच अधिकारियों को संयुक्त राज्य अमरीका भजा गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : में ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किन्हीं विशेषज्ञों को विदेशों से भारत सरकार को भूमि क्षय को रोकने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए आमन्त्रित किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है; परन्तु मेरा विचार है कि ऐसा नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्योंकि भूमि अधिरक्षणें में रैयत द्वारा कृषिविज्ञान सम्बन्धी अधिकाधिक तथा बहुमूल्य कार्य करना होता हैं, तो क्या सरकार ने इन तरीकों को काम में लाने के लिए किसानों को राजकीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान । बम्बई में चालू की गई कुछ ऐसी योजनायें हैं जिन को राज्य से आर्थिक सहायता दी गई है । मेरे विचार से यह धनराशि कुल व्यय का दस प्रतिशत है ; और इसे राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के मध्य बांट दिया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार के व्यय पर भेजा गया है अथवा केन्द्रीय सरकार के, और क्या प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार की प्रार्थना पर भेजा गया है या केन्द्रीय सरकार ने अपने आप ही उन को भेजा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मामला दो वर्ष से अधिक समय का है और मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना है कि इस विषय

के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए से केन्द्र खोले जायें ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य सरकारों द्वारा कुछ केन्द्र पहले ही संगठित किये जा रहे हैं। मेरे विचार से इस से कुछ और अधिक करने की इस समय प्रस्थापना है ।

श्री एम० डी० जोशी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भूमि क्षय के कितने मामले बम्बई सरकार द्वारा केन्द्र के समक्ष सहायता के लिय प्रस्तुत किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रकार के कोई 'मामले' नहीं हैं। एक योजना के सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्ञात है और जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है हम बम्बई सरकार को यथा-सम्भव सहायता दे रहे हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भूमि क्षय को रोकने के लिए किस सीमा तक वनीकरण किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस मंत्रालय से सम्बद्ध वनों के इन्सपैक्टर जनरल समय समय पर जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है परामर्श देता रहता है और जहां भी संभव होता है वनीकरण किया जा रहा है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि विशेषज्ञों ने यह रिपोर्ट दी है कि आसाम में आई बाढ़ें भूमि क्षय के कारण थीं और इसलिये उन स्थानों का वनीकरण किया जाये परन्तु सरकार के पास वनीकरण की कोई योजना नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : भूमि क्षय का प्रश्न एक विशाल विषय है । मोटी गणना के अनुसार भारत में कोई दस लाख एकड़ भूमि इस से बुरी तरह प्रभावित है । सभी राज्यों में हो रहे भूमि क्षय के परिमाण के अनुसार कार्य करना अथवा केन्द्रीय सरकार को सहायता देना सम्भव नहीं है पर तो भी केन्द्रीय सरकार यथा सम्भव सभी प्रयत्न करती है ।

श्री टी० सुब्रह्मनण्यम : मदरास राज्य में भूमि अधिरक्षण की क्या कोई योजनायें चालू हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, मदरास उन राज्यों में से है जहां इस सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य भी हो रहा है और भूमि अधिरक्षण सम्बन्धी वास्तविक कार्य भी हो रहा है ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या चम्बल खादर का कोई भाग भूमि क्षय से प्रभावित है, और इस प्रभावित क्षेत्र का परिमाण क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह क्षेत्र बहुत बड़ा है । जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरे पास उस क्षेत्र के, जहां क्षति हुई है, आंकड़े नहीं हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भूमि क्षय को रोकने की योजना पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में भी चालू है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से नहीं है । राज्यों की जो सूची में ने दी है पश्चिमी बंगाल का उस में नाम नहीं है । मुझे वह क्षेत्र विशेष ज्ञात नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कृष्णानदी द्वारा किये जा रहे भूमि क्षय को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : मेरे विचार से यह प्रश्न मदरास विधान सभा से पूछा जाना चाहिये था ।

मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट

*११८३. **श्री वी० बी० गांधी** : क्या यातायात मन्त्री १९ नवम्बर, १९५२ के

तारांकित प्रश्नों संख्या ४७० और ४९० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों को निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कुछ राज्यों में मोटर गाड़ियों और पैट्रोल की बिक्री पर कर लगाया जा रहा है जिस के कारण मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना कठिन हो जायेगा ?

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कई राज्यों द्वारा मोटर गाड़ियों और पैट्रोल की बिक्री पर लगाये गये करों के परिणामों की जांच यातायात परामर्शदात्री परिषद् की प्रविधिक समिति द्वारा की जा रही है और उस की रिपोर्ट के बहुत शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ।

(ख) मोटर गाड़ियों पर करारोपण के सम्पूर्ण प्रश्न पर, मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति की सिफारिशों के निर्देश में, यातायात परामर्शदात्री परिषद् की जनवरी, १९५३ में होने वाली बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जायेगी और इस चर्चा के बाद सरकार को जो भी कार्यवाही करनी आवश्यक तथा संभव होगी वह की जायेगी ।

श्री वी० वी० गांधी : क्या यह तथ्य है कि प्रविधिक समिति द्वारा रिपोर्ट के दिसम्बर के प्रारम्भ में प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याशा थी ?

श्री अलगेशन : वह अपनी रिपोर्ट बहुत शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी और उस पर यातायात परामर्शदात्री समिति की जनवरी में होने वाली बैठक में चर्चा की जायेगी । उस से वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

श्री वी० बी० गांधी : क्या प्रविधिक समिति की रिपोर्ट सदस्यों को परचालित की जायेगी ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

श्री वी० बी० गांधी : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मोटर गाड़ियों पर लगे अन्तःराज्य करों को हटाने के लिए वह क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ।

श्री अलगेशन : इस तथा अन्य प्रश्नों पर उक्त बैठक में चर्चा की जायेगी ।

श्री वी० बी० गांधी : क्या सरकार का विचार पैट्रोल पर लगे बिक्री कर की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देने का है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न पर विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जानी है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार कुछ राज्यों में अन्तःराज्य यातायात के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गये गतिरोध को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री अलगेशन : हमें किसी भी गतिरोध के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस तथ्य के अनपेक्ष भी कि आसाम में पैट्रोल निकलता है, क्या यह तथ्य है कि आसाम में पैट्रोल का मूल्य सारे भारत में सब से अधिक है ?

श्री अलगेशन : मुझे कोई सूचना नहीं है ।

हिन्द फ्लाईंग क्लब, लखनऊ

***११८४. सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्द फ्लाईंग क्लब, लखनऊ का एक वायुयान २२ नवम्बर, १९५२ को या उस के आसपास तिरंगना

और पटना जंकशन रेलवे स्टेशनों के बीच गिर कर टूट गया था ?

(ख) उक्त वायुयान में कितने यात्री थे ?

(ग) कितने मर गये तथा कितने गम्भीर रूप से आहत हुए ?

(घ) क्या कोई जांच की गई है और दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

(ङ) आहत व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये थे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) एक ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई परन्तु शिक्षार्थी वायुयान चालक गंभीर रूप से आहत हुआ था ।

(घ) दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

(ङ) रेल द्वारा पटना लाये जाने से पूर्व उन को तिरंगना के ग्राम्य अस्पताल में प्राथमिक सहायता दी गई थी, पटना में उन को उसी रात बड़े अस्पताल में भरती कर लिया गया ।

श्रमिकों का निष्कासन

***११८६. श्री एस० वी० रामस्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सलेम ज़िले के दुर्भिक्ष-पीड़ित क्षेत्र से श्रमिकों के कोई १०० परिवार, जो काम की खोज में आये हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर वाले पुल के पुश्ते के ढाल पर झोंपड़ियां बना कर रह रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि उन को उस स्थान को तुरन्त खाली कर देने का आदेश दिया गया है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इन परिवारों के पास अन्य स्थानों को जाने के कोई साधन नहीं हैं ; तथा

(घ) उन को वहां से हटाने का आदेश देने से पूर्व क्या सरकार उन को कोई स्थान और वहां झोंपड़ियां बनाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता देगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर वाले पुल के पुश्ते के ढाल कोई एक सौ अनधिकृत झोंपड़ियां बनी हुई हैं । यह ज्ञात नहीं कि जिन्हों ने इन को बनाया है वह वास्तव में कहां से आये हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन में से अधिकांश दक्षिण भारत से आये हुए हैं और उन में से अधिकतर महाराष्ट्र के हैं ।

(ख) जी हां, उन से बार बार उस ढाल को खाली कर देने और उसे नुक़सान न पहुंचाने का आदेश दिया गया है ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(घ) रेलवे कोई अन्य स्थान नहीं दे सकती है क्योंकि दिल्ली में जितनी भूमि उस के पास है वह स्वयं उस की आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त नहीं है । रेलवे द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जानी भी संभव नहीं है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार यह आश्वासन देने की कृपा करेगी कि जब तक उन को वैकल्पिक स्थान नहीं दे दिया जायगा उन को वहां से हटाया नहीं जायगा ?

श्री अलगेशन : इस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । यह दिल्ली राज्य सरकार का विषय है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यह व्यक्ति कहां कितने दिनों से हैं ?

श्री अलगेशन : वह वहां बहुत दिनों से टिके हुए हैं और उन से बार बार उस स्थान को खाली कर देने के लिए कहा गया है, परन्तु वह बराबर जाने से इन्कार कर रहे हैं और अभी तक वहीं हैं ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उस स्थान के पास रहने वाले मध्य प्रदेश के निवासियों से सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

श्री अलगेशन : वहां मध्य प्रदेश के कोई निवासी नहीं हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन व्यक्तियों को वैकल्पिक निवास स्थान देने के लिए क्या सरकार का विचार दिल्ली राज्य सरकार से इस प्रश्न पर चर्चा करने का है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री नम्बियार : इन व्यक्तियों के वहां से हटाये जाने या बलपूर्वक निकाले जाने से पूर्व क्या पुनर्वास मन्त्रालय से परामर्श किया जायेगा जिस से कि उन को वैकल्पिक निवास स्थान दिया जा सके ?

श्री अलगेशन : यह व्यक्ति पश्चिमी अथवा पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी नहीं हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : माननीय मंत्री ने कहा कि इस विषय पर दिल्ली राज्य सरकार से चर्चा करने का विचार नहीं है । मैं जान सकता हूं कि क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई तर्क नहीं हो सकता है ।

पटना के निकट कुछ व्यक्तियों की मृत्यु

*११८७. **श्री एस० एन० दास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि २७ नवम्बर, १९५२ को पटना के निकट चार व्यक्ति ट्रेन की झपेट में आ कर मर गये थे ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वह परिस्थितियां क्या थीं जिन में यह दुर्घटना हुई ; तथा

(ग) क्या उन सभी की तत्काल ही मृत्यु हो गई थी अथवा उन में से कुछ बाद को चोटों से मरे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस पटना से यह ज्ञात हुआ है कि एक स्त्री ने अपने तीन बच्चों सहित पारिवारिक झगड़ों के कारण आत्महत्या कर ली थी ।

(ग) तीन उसी स्थान पर मर गये और चौथा, जिसे बड़े अस्पताल भेजा गया था, वहां जा कर बाद को मर गया ।

श्री एस० एन० दास : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं उन परिस्थितियों को जान सकता हूं जिन में उनकी मृत्यु हुई, क्या वह झपेट में आ कर मरे थे या वह लाइन पर लेटे हुए थे ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से वह झपेट में आये थे ।

श्री एस० एन० दास : किन तथ्यों से पुलिस को यह पता लगा कि यह आत्महत्या का मामला था ?

श्री अलगेशन : पुलिस को हमें सूचना देनी थी और उस ने हमें यह सूचना दी कि यह मामला आत्महत्या का था ।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या पारिवारिक झगड़ों को झपेट में आ गये थे ?

श्री अलगेशन : यही सूचना थी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार के पास पुलिस के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने का कोई साधन भी थी ?

श्री अलगेशन : सामान्य साधन ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि यह व्यक्ति रेलवे लाइन के सहारे सहारे जा रहे थे और क्योंकि ड्राइवर उन को नहीं देख सका इसलिए यह दुर्घटना हुई ?

श्री अलगेशन : इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है । हमें यही सूचना दी गई है कि वह झपेट में आ गये थे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि यह दुर्घटना दिन के समय हुई थी या रात के समय ?

श्री अलगेशन : मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या दुर्घटना के कारणों की जांच रेलवे परिदर्शकालय द्वारा की जायगी ?

श्री अलगेशन : इस सम्बन्ध में भी मेरे पास कोई सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य और अधिक सूचना चाहते हैं तो वह एक अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं सरकार को सुझाव दे सकती हूं (कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं) कि क्योंकि यह दुर्घटना पटना जंकशन के पास दिन के समय हुई बताई जाती है इसलिये क्या सरकार इस मामले में कोई विस्तारपूर्वक जांच करेगी ? यह दिन के समय हुई एक दुर्घटना थी । मैं कोई सुझाव नहीं दे रही हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य, जो इस घटना में विशेष रूप से रुचि रखते हैं उस रिपोर्ट का अध्ययन करें, और यदि उस के बाद वह कोई अग्रेतर विवरण चाहेंगे तो माननीय मंत्री अग्रेतर सूचना यदि वह उन के पास होगी तो दे देंगे । आज के लिए निश्चित प्रश्न समाप्त होते हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : और भी तो प्रश्न हैं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं उन प्रश्नों को लूंगा जो पूछे नहीं गये हैं । प्रश्न संख्या ११६७, श्री बी० के० दास ।

श्री एस० सी० सामन्त : मुझे अधिकृत किया गया है श्रीमान् । प्रश्न संख्या ११६७ ।

देशीय औषधि अनुसन्धान प्रयोगशाला

*११६७. **श्री एस० सी० सामन्त (श्री बी० के० दास** की ओर से) : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या देशीय औषधि अनुसन्धान प्रयोगशाला में काम होना प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कौन कौन से कार्य प्रारम्भ किय जायेंगे ; तथा

(ग) अब तक क्या व्यय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जामनगर की भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था ने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है । एक शासिका सभा, जिसका संस्था पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा, बना दी गई है । एक वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति, जो अनुसन्धान कार्यक्रम को निर्धारित करने में प्रविधिक कर्मचारियों को सहायता देगी, नियुक्त कर दी गई ह । सौराष्ट्र सरकार ने उक्त संस्था के लिए जामनगर में एक भवन शीघ्र ही देने का वायदा किया है ।

(ख) कार्य का कार्यक्रम बनाना शासिक सभा और वैज्ञानिक परामर्शदात्री परिषद् का काम है ।

(ग) संस्था की शासिक सभा को सन् १९५१-५२ में १,००,००० रुपये का तथा

सन् १९५२-५३ में १५,००० रुपये का अनावर्त्ती अनुदान अब तक दिया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उस क्षेत्र में ताजी जड़ी बूटियां मिल सकेंगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री धुलेकर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस प्रयोगशाला में आयुर्वेदिक अनुसन्धान पंडित नियुक्त किये गये हैं अथवा केवल ऐलोपैथिक डाक्टर ही नियुक्त किये गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे विचार से आयुर्वेदिक चिकित्सकों को वरीयता दी जायेगी।

श्री रघवय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस संस्था में यूनानी चिकित्सा प्रणाली पर भी कोई अनुसन्धान कार्य किया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : संस्था ने अभी काम करना प्रारम्भ नहीं किया है। कार्यक्रम भी अभी निर्धारित नहीं किया गया है। मैं और अग्रेतर सूचना नहीं दे सकती हूं।

श्री धुलेकर : आयुर्वेदिक अनुसंधान यंत्रोपकरणों तथा पुस्तकालय पर कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया, अभी तक सन् १९५१-५२ में केवल मात्र १,००,००० रुपये का अनावर्ती अनुदान दिया गया है। वही अभी तक खर्च नहीं हुआ है। सन् १९५२-५३ में १५,००० रुपये का अनुदान दिया गया है। यह धनराशि उपकरणों अथवा विभिन्न यंत्रों आदि के लिए नहीं थी, परन्तु यह रकम नियुक्त किये गये कर्मचारियों और शासिका सभा के सदस्यों के यात्रा व्यय में खर्च हुई थी।

श्री धुलेकर : मैं ज्ञात कर सकता कि अब तक किये गये अनुसन्धान कार्य के सम्बन्ध में क्या कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : संस्था ने अभी काम करना प्रारम्भ नहीं किया है। प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री टी० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि देशीय आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अतिरिक्त कितने योग्यता प्राप्त भेषज ज्ञानी और भेषजिक इस समय इस प्रयोगशाला से सम्बद्ध हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अतिरिक्त, परामर्शदात्री परिषद् में चार डाक्टर हैं जिन में से तीन आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और एक ऐलौपैथिक डाक्टर हैं।

श्री टी० के० चौधरी : आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और डाक्टरों के अतिरिक्त, मैं विशेष रूप से भेषज ज्ञानियों और भेषजिकों की संख्या ज्ञात करना चाहता हूं।

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घण्टा समाप्त हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, आज हम ने दस बजे काम प्रारम्भ किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है ; पर तो भी यह प्रश्न समाप्त हो गया है। श्री बाल्मीकी अपने स्थान पर नहीं हैं। श्री के० पी० त्रिपाठी।

खासी की पहाड़ियों की नारंगियां और आलू का आयात

*११७२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान द्वारा खासी पहाड़ियों की नारंगियों और आलू के आयात का अत्यधिक बायकाट किये जाने के कारण क्या सीमावर्त्ती क्षेत्र के उत्पादक कठिनाई में पड़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या सहायता कार्य करने की प्रस्थापना करती है ; तथा

(ग) इस क्षेत्र की इस प्रकार की आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए सरकार ने कौन सी दीर्घकालीन योजना, यदि कोई है, बनाई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) विभाजन के परिणामस्वरूप मंडियों की स्थिति में गड़बड़ी हो जाने के कारण नारंगियों और आलू पैदा करने वालों को अपने माल को बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) और (ग). खासी की पहाडियों में पैदा होने वाली नारंगियों और आलू को लाभ के साथ बेंचने के साधनों का पता लगाने के लिये हाल ही में प्रशीतन विशेषज्ञों का एक दल आसाम भेजा गया है । उसने अपनी रिपोर्ट में, जो इस समय सरकार के विचाराधीन है, कुछ तात्कालिक तथा दीर्घ-कालीन उपायों का सुझाव दिया है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या तात्कालिक कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; परन्तु यथा संभव शीघ्र ही कोई कार्यवाही की जायेगी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार को वह परिस्थितियां ज्ञात हैं जिन में यह व्यक्ति जड़ें इत्यादि खा कर अपना पेट भर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बताया गया है कि वहां बहुत विपत्ति है ।

श्री सरमा : इस विशेषज्ञदल द्वारा किन तात्कालिक कार्यवाहियों का सुझाव दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(१) एक छांटने और रस निकालने वाले केन्द्र की स्थापना और प्रथम श्रेणी के फलों को वायुयान द्वारा कलकत्ता लाने में शीघ्रता करना ; (२) गौहाटी में एक प्रशीतल गोदाम और फलों और साग सब्जियों को साफ करने की फैक्टरी स्थापित करना ; इस योजना पर होने वाले व्यय का अनुमान १४ लाख रुपये लगाया गया है ; (३) सड़क, रेल तथा नदी द्वारा अधिकाधिक यातायात सुविधाओं की व्यवस्था करना और नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं पर भाड़े में कमी करना ।

श्री सरमा : तात्कालिक कार्यवाहियों, जैसे वायुयानों द्वारा माल को ले जाने तथा यातायात सुविधायें देने, के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कुछ किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया, यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या हम यह समझें कि इस बात के अनपेक्ष भी, कि गत वर्ष वायुयानों द्वारा माल के ले जाने का प्रबन्ध था और इस वर्ष अभी तक यह प्रबन्ध नहीं किया गया है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सारा प्रश्न अभी कुछ दिन से ही उत्पन्न हुआ है । जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध

है, उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। जितना शीघ्र सम्भव होगा उन को कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री सरमा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नारंगियां नष्ट हो जाने वाली वस्तु हैं खासी पहाड़ियों के सीमावर्ती क्षेत्र में इन का मौसम भी बहुत छोटा होता है, सरकार को इस प्रश्न पर विचार करने और कोई निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): गत वर्ष और उस से पिछले वर्ष आसाम सरकार ने इस से माल को वायुयानों द्वारा ले जाने की प्रार्थना की थी और ऐसा कर दिया गया था। इस वर्ष ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई। जब प्रधान मंत्री आसाम से वापस लौटे तो उन्होंने मुझ से इस सम्बन्ध में कहा और एक समिति भी भेजी। उन्होंने कहा कि नारंगी और आलू पैदा करने वालों को सहायता देने के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये था। हमने फौरन ही एक अधिकारी को भेजा। एक प्रशीतन संयंत्र स्थापित करने तथा अन्य बातें करने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि फिर हानि न उठानी पड़े।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान नें खासी सीमान्त पर होने वाले भारत तथा पाकिस्तान के पराचर व्यापार को हाल ही में बन्द कर दिया है ; और यदि ऐसा है, तो क्या अब भी चूने का पत्थर सीमेन्ट बनाने के लिए पाकिस्तान जाने दिया जाता है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस ने सभी व्यापार को बन्द कर दिया है, तो क्या सरकार व्यापार के पुनः प्रारम्भ होने तक चूने के पत्थर का पाकिस्तान भेजा जाना बन्द कर देने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री किदवई : यह तो मुझे पता नहीं. परन्तु यह मुझे ज्ञात है कि हाल ही में पाकिस्तान नें सभी देशों से अपने आयातों को बहुत सीमितकर दिया है। उस ने नारंगियों पर ३६ प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है, और इस कारण नारंगी का व्यापार एक दम बन्द हो गया है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: उठे—

उपाध्यक्ष महोदय: : यह सब तर्क की बातें हैं।

श्री एस० सी० देव : क्या माननीय मंत्री को लुशाई पहाडियों के नारंगी उत्पन्न करने वालों की अवस्था का ज्ञान है और क्या सरकार वहां के उत्पादकों को सुविधा देने के लिए कुछ करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री के० जी० देशमुख : यहां उत्पन्न होने वाली नारंगियों के परिणाम के सम्बन्ध में क्या सरकार को कुछ ज्ञान है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इन क्षेत्रों में होने वाली उपज के मूल्य का अनुमान २$\frac{1}{2}$ -करोड रुपये के आस पास लगाया गया है।

श्रीमती खोंगमन : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार को कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई थी। मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में अनेकों प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुए थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। जब प्रधान मंत्री वहां गये थे तो उन्होंने वहीं की अवस्था देखी थी, और उन्हों के सुझाव पर यह सब कार्यवाहियां की गई हैं।

विलिंगडन अस्पताल, दिल्ली

***११७४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि क्या विलिंगडन अस्पताल, दिल्ली को केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया जाने वाला है, और यदि हो, तो किस प्रयोजन से ?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की आर्थिक वाक्वद्धतायें क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । अस्पताल और नर्सिंग होम को बढ़ाने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए, जो कि केन्द्रीय सरकार की पंचवर्षीय योजना का एक भाग है, ऐसी व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है । इस के अतिरिक्त इस अस्पताल को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अनुदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के प्रयोजन के लिये, जिसे भारत सरकार न स्वीकृत कर लिया है, काम में लाने की भी प्रास्थापना है ।

(ख) इस प्रस्थापना की आर्थिक उपलक्षणाओं की जांच की जा रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अस्पताल के ले लिये जान के बाद उस में कितने और बैड्स का प्रबन्ध किया जायगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे ज्ञात नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन में से कितने भारत सरकार के तीसरी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के इलाज के लिए सुरक्षित किये जायेंग ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या नगरपालिका ने हमें केन्द्रीय सरकार को दे देने का निश्चय कर लिया है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : मेरे ख्याल से वह हमें केन्द्रीय सरकार को दे देने को राजी हो गई है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कब तक उसके ले लिये जाने की संभावना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस समय इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस अस्पताल में और कौन सी विशेष सुविधाओं को बढ़ा देन की प्रास्थापना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जो भी आवश्यक हों ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : वैड्स की संस्था बढ़ा दी जायगी, और कुछ अन्य समुन्नत सुविधाओं की व्यवस्था भी की जायेगी :

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो बहुत ही समय से पहले की बात है । उस का ले लिया जाना पहली बात है । अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना दूसरी बात है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह समझी थी कि यह भी योजना का एक भाग थी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार का विचार इस अस्पताल के सारे भारत-वर्ष के लिए एक मॉडल (आदर्श) बना देने का है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब काल्पनिक बातें हैं ?

डा० रामा राव : मैं ज्ञात कर सकत हूं कि केन्द्रीय सरकार अपना स्वयं का एक अस्पताल बना लेने के स्थान पर दिल्ली राज्य सरकार और दिल्ली नगरपालिका निगम से उनके अस्पताल की मांग क्य कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सन् १९४९ में भारत सरकार ने विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम की सामर्थ्य क्षमता और सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार किया था क्योंकि इस की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी। उस ने सोचा था कि अधिक सुविधायें देने और बैड्स की संख्या बढ़ाने के कारण जो आर्थिक वाक्वद्धताओं में बृद्धि होगी वह नई दिल्ली नगरपालिका समिति की सहन शक्ति से बहुत अधिक होगा। इस लिये केन्द्रीय सरकार ने उसे ले लेने का निश्चय किया था।

बीड़ी श्रमिक

***११७६. श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या श्रम मंत्री ३० मई, १९५२ को बीडी श्रमिकों के सम्बन्ध में पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस उत्तर में जिस सूचना के दिये जाने का वायदा किया गया था क्या सरकार उसे सदन पटल पर रखने की स्थिति में है ?

(ख) यदि यह सूचना अभी सम्बद्ध राज्य-सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके प्राप्त होने में कितना और समय लगने की संभावना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी हां। आशा की जाती है कि अपेक्षित सूचना १६ दिसम्बर, १९५२ को सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या दक्षिण के बीडी उद्योग में तम्बाकू तथा पत्तियों की कमी के कारण तथा उत्तर से इन पत्तियों को दक्षिण तक ले जाने के लिए माल डब्बों की कमी होने के कारण एक संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : तम्बाकू पीने वालों के लिए।

श्री आबिद अली : यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भारत तथा पाकिस्तान के बीच का तनाव किस सीमा तक हम संकटकालीन स्थिति के लिये उत्तरदायी है ? मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या इस का अनुमान लगाया गया है ?

श्री आबिद अली : यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय को उत्तर देने का है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि दक्षिण के बीडी उद्योग के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आबिद अली : इस पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

श्री नम्बियार: क्या विवरण में यह बतलाया गया है कि बीडी श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को किस सीमा तक लागू किया गया है ?

श्री आबिद अली: यह बात विवरण में दी जायगी। मई के महीने में प्रश्न पूछा गया और उत्तर दे दिये गये थे।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि उसे लागू किया गया है अथवा नहीं। मई मास के बाद क्या हुआ है उस का हमें पता नहीं।

श्री आबिद अली: एक विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखा जाने को है, और यदि सदस्य कोई अग्रेतर सूचना चाहें तो वह उसे मांग सकते हैं।

श्री पुन्नूस: यदि मुझ ठीक स्मरण है, उस समय जो उत्तर दिया गया था वह यह था कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम को बीडी उद्योग पर पूर्णतया लागू नहीं किया गया था। क्या हम यह समझें कि वही स्थिति चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा करके विवरण को देखें।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): विवरण कल सदन पटल पर रख दिया जायगा। माननीय सदस्य उसे देख लें और फिर अपने प्रश्न पूछें।

रेलवे ट्रेनों में भिक्षुक

*११८५. **श्री बी० सुब्बा राव :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह विदित है कि रेलवे ट्रेनों में भिक्षुकों की संख्या बढ़ रही है और इन के कारण तीसरे तथा इन्टर क्लास में यात्रा करना एक कठिनाई होती जा रही है ?

(ख) इन भिक्षुकों को रेलवे ट्रेनों में घुसने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं, और इस भिक्षुक उपद्रव को रोकने के लिए वह और क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार करती ह ?

(ग) क्या सरकार इन भिक्षुकों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा ४४७ के अन्तर्गत अभियोग चलाने की कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मली है कि रेलवे ट्रेनों में भिक्षुक कीं संख्या बढ़ रही है, परन्तु मह अवश्य अनुभव किया जाता है कि उन से कभी कभी यात्रियों को असुविधा होती है।

(ख) समस्त स्टेशन कर्मचारियों को जिस में पहरा और प्रतिपालन अधिकारी, चलती ट्रेन में टिकट चैक करनें वाले सम्मिलित है, को इस सम्बन्ध में आदेश दिए हुए है और व भिक्षकों को रेलवे प्लेटफ़ार्मों और ट्रेनों में न घुसने देने में और पकड़ें जाने पर निकाल देने कें सभी संभव प्रयत्न करते हैं। जहां भी आवश्यक होता है पुलिस की सहायता भी ली जाती है।

(ग) जी नहीं। एक अन्य उपयुक्त कानून, जिसके अन्तर्गत भिक्षुकों का चालान किया जा सकता है, भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १२२ और धारा ४७ के अन्तर्गत बनाये गये नियम हैं। यदि किसी भिक्षुक को रेलवे कें अहाते से निकाला जा सकता है तो साधारणतया उस का चालान करना वांछनीय नहीं समझा जाता है। अभियोग चलाने की दशा में भिक्षुकों को हिरासत में रखना आवश्यक होता है और इसके परिणामस्वरूप रेलवे तथा पुलिस कर्मचारि-वर्ग में सर्वाधिक वृद्धि करना आवश्यक होगा।

श्री पी० सुब्बा राव : क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि भिक्षुकों का चालान कर देने से इस उत्पात पर नियंत्रण किया जा सकेगा ?

श्री अलगेशन : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: : उनको जेल में खाना मिलेगा।

श्री पी० सुब्बा राव : केवल बाहर निकाल देना ही ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी सम्मति का विषय है।

श्री पुन्नूस : क्या इन भिक्षुकों को पंचवर्षीय योजना में कोई स्थान दिया गया है ?

श्री रघवय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रेल मंत्रालय ट्रेनों में होने वाले इस भिक्षुक उत्पात को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समाप्त कर देने का विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अखिल भारतीय समस्या है । राज्यों को हमें सुलझाना है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह एक तथ्य है कि कोढ़ जैसे रोग से पीड़ित भिक्षुक रेलवे के पूर्वी जोन में बिलासपुर से कटनी और बिलासपुर से चक्रधरपुर तक की यात्रा करते हैं और चावल अपने साथ ले जाकर अन्य प्रान्तों में उस का चौयनिन करते हैं ?

श्री अलगेशन : खाद्य नीति में परिवर्तन हो जाने के कारण, सभी क्षेत्रों में चौयनिन बहुत कम हो गया है ।

श्री एन० एल० द्विवेदी : क्योंकि अधिकांश चोरियां उन बालकों द्वारा कराई जाती हैं जिनको प्लेटफार्मों पर भीक मांगने को प्रोत्साहित किया जाता है, तो उन को ऐसा करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन : जैसे ही उनको पकड़ा जाता है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है ।

श्री रघवय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भिक्षुकों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का प्रश्न के पहले भाग में उत्तर दिया जा चुका है । प्रश्नों का घन्टा समाप्त हो जाने के अतिरिक्त प्रश्न सूचि भी समाप्त हो गई है । तीन अल्प सूचना प्रश्न हैं । पहला श्री कानावडे पाटिल का है और वह महाराष्ट्र में खाद्य के अभाव के सम्बन्ध में है ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : इसी विषय पर एक और अल्प सूचना प्रश्न है । यदि उसे भी प्रस्तुत कर दिया जाये, तो दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया जा सकता है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

महाराष्ट्र में खाद्य अभाव

१. **श्री कानावर्डे पाटिल** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से, महाराष्ट्र में दुर्भिक्ष जैसी अवस्था का सामना करने के लिए, ऋण दिये जाने की कोई मांग की गई है ?

(ख) क्या उस अभाव तथा दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों की दशा सम्बन्धी कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ?

(ग) क्या स्थिति की जांच करने के लिए सरकार किसी विशेष अधिकारी को भेजने की प्रस्थापना करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

महाराष्ट्र में खाद्य अभाव

२. **श्री एस० एस० मोरे** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार को बम्बई राज्य सरकार से महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, विशेष रूप से शोलापुर जिले में, फैली दुर्भिक्ष जैसी अवस्था का पूर्णतया विस्तारपूर्वक विवरण देने वाली कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

(ख) क्या सरकारे को चारे की कमी के कारण अथवा दुर्भिक्ष पीड़ित व्यक्तियों की क्रय शक्ति के अभाव के कारण नष्ट हुए पशुओं की संख्या के सम्बन्ध में कोई विस्तृत विवरण ज्ञात हुए हैं ?

(ग) महाराष्ट्र में दुर्भिक्ष जैसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार को बम्बई राज्य सरकार से ऋण दिये जाने की कोई मांग प्राप्त हुई है ?

(घ) क्या सरकार को उन अत्यधिक व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई सूचना है जो नौकरी की तलाश में अपने घर बारों को छोड़ कर जा रहे हैं ?

(ङ) स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए क्या सरकार किसी विशेष अफसर को वहां तुरन्त ही भेजने की प्रस्थापना करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) चारे की कमी या लोगों की क्रय शक्ति के अभाव के कारण सरकार को पशुओं की किन्ही कथित मृत्यु की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) जी हां ।

(घ) शोलापुर जिले तथा पूर्वी खानदेश के प्रभावित क्षेत्रों से मध्य प्रदेश निकटवर्ती अप्रभावित क्षेत्रों को सामान्य से अधिक बड़े पैमाने पर प्रव्रजन होने के समाचार प्राप्त हुए हैं । प्रव्रजन के कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) जी हां ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से माननीय सदस्य इस विषय को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और इस मामले को स्पष्ट करने के हेतु, मैं वह सभी सूचना पढ़कर सुना देना चाहता हूं जो हम को अभी तक प्राप्त हुई है ।

भारत सरकार को (वित्त मंत्रालय में) बम्बई सरकार से दो करोड़ रुपये का ऋण दिए जाने की प्रार्थना प्राप्त हुई है, जिस के कुछ भाग को तक़ावी ऋण देने के लिए और कुछ भाग को दुर्भिक्ष सम्बन्धी राहत कार्यों पर व्यय करने के लिए काम में लाया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा की गई सहायता दिये जाने की प्रार्थना पर वित्त मंत्रालय में विचार किया जा रहा है । जहां तक किसी अफसर को वहां भेज कर जांच कराने की बात है, मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार के अफसरों की एक विशेष समिति उन कर्यवाहियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए जो अत्यधिक रूप से कभी प्रधान क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए की जानी चाहियें, नियुक्त की है । यह सुझाव भी, कि बम्बई राज्य के उन जिलों के साथ, जो कि मद्रास राज्य के सीमावर्त्ती हैं और जहां पर गम्भीर रूप से दुर्भिक्ष पड़ने की संभावना है, वही व्यवहार किया जाये और वहां की भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा उसी प्रकार की जांच की जायें जैसी कि रायलासीमा में की गई थी, इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

जहां तक महारष्ट्र की अभाव स्थिति का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि शोलापुर जिले के ४९७ ग्रामों में, पश्चिमी खानदेश जिले के १५२ ग्रामों में, नासिक जिले के ९६ ग्रामों में, अहमदनगर ज़िले के १८५ ग्रामों में और पूना जिले के १९३ ग्रामों में कमी की घोषणा कर दी गई है । पश्चिमी खानदेश के ४ ताल्लुकों में, पूर्वी खानदेश के १० ताल्लुकों में, नासिक के २ ताल्लुकों में, अहमदनगर के २ ताल्लुकों में, पूना के १ ताल्लुके म, दक्षिण सतारा के १ ताल्लुके में और शोलापुर के १ ताल्लुके में अभाव की स्थिति फैली हुई

हैं। इन क्षेत्रों में कमी की घोषणा करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि अभी कमी की घोषणा नहीं की गई है तो भी राहत देने वाली सभी कार्यवाहियां वहां चालू कर दी गई हैं।

राहत देने के लिए, राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों और छोटे किसानों को काम देने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अभाव सम्बन्धी तथा अभाव विषयक परीक्षात्मक कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं। कमजोर तथा बूढ़े व्यक्तियों को निरपेक्ष राहत तथा सहायता दी जा रही है। कुओं को गहरा करने तथा पानी की प्रदाय को सुरक्षित करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही करने के हेतु कलक्टरों को धनराशियां दी गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पानी भरी टंकियों या बैल गाडियों के द्वारा पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों में चारा उगा कर प्रभावित क्षेत्रों को भेजा जा रहा है। सेना के अधिकारियों द्वारा राज्य में एकत्रित किये गये चारे को खरीदने और अधिक चारा उगाने के लिए आकस्मिक सिंचाई योजनाओं को चालू करने के सम्बन्ध में भी कार्यवाहियां की जा रही हैं। राज्य सरकार अनावश्यक परन्तु उपयोगी ढोरों के लिए ढोर कैम्प भी बना रही है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के जिलों में सहायता कार्यों पर खर्च किये जाने के लिए अब तक १,६५,१५,५३० रुपये की धन राशि स्वीकृत की है। नवम्बर १९५२ के अन्त तक सारे राज्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय १,२५,००,००० रुपये है। महाराष्ट्र के जिलों के कमी से प्रभावित क्षेत्रों के कलक्टरों को तकावियां देने के लिए १,०२,९३,००० रुपये की धन राशि आवंटित की गई है।

श्री गाडगिल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि शोलापुर जिले के ४९७ ग्रामों में २९ अप्रैल को, पश्चिमी खानदेश के १६२ ग्रामों में ८ मई को, नासिक जिले के ९६ ग्रामों में १० अक्तूबर को, अहमदनगर जिले के १८५ ग्रामों में २१ नवम्बर को और पूना जिले के १९५ ग्रामों में २६ नवम्बर को कमी की घोषणा की गई थी और कमी की घोषणा किये जाने के बाद से वहां की दशा और भी बिगड़ गई है और बम्बई सरकार वहां और अग्रेतर कमी की घोषणा करने में आनाकानी कर रही है क्योंकि उसे केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होने के सम्बन्ध में सन्देह है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे माननीय मित्र ने जिन तारीखों का निर्देश किया वह मेरे पास नहीं हैं।

श्री गाडगिल : मैं आप को वह बता सकता हूं।

डा० पी० एस० देशमुख : यह तारीखें ठीक हो सकती हैं, परन्तु मैं उन की यह बात नहीं मान सकता हूं कि सरकार जहां अभाव स्थिति फैली हुई है वहां अभाव की स्थिति की घोषणा करने में आना कानी कर रही है। मेरे विचार से बम्बई सरकार ने इस स्थिति का मुकाबिला करने के लिए बहुत कुछ किया है।

श्री गाडगिल : सरकार ने जो कुछ किया उस की मैं सराहना करता हूं, परन्तु आप की सूचना के लिए मैं यह कह दूं कि बीजापुर जिले के १६३ ग्रामों में १६ अप्रैल को कमी की घोषणा की गई थी।

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं।

श्री गाडगिल : परन्तु मैं इसे एक दूसरे प्रश्न का आधार बनाना चाहता हूं। बेलगांव जिले में, दक्षिणी भाग के अन्य जिलों

में और कर्नाटक के कुछ भागों में कमी है: इस बड़े पैमाने पर फैली अभाव स्थिति को दृष्टि में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार बम्बई राज्य सरकार को सहायता तथा सहयोग के उन सभी प्रबन्धों के किये जाने का आश्वासन देगी जो रायलासीमा में किये गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि स्थिति वैसी ही है तो मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि भारत सरकार भी उसी नीति का अनुसरण करेगी ।

श्री गाडगिल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कब तक .....

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न भेजे हैं मैं उन के नाम पुकारूंगा ।

श्री गाडगिल : मैं इसी प्रश्न के बाद समाप्त कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोरे ।

श्री एस० एस० मोरे: क्या यह तथ्य है कि कुछ क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति दुर्भिक्ष जैसी स्थिति से भी बुरी हो गई है, सरकार सहायता देने के भार को कम करने के लिए दुर्भिक्ष अवस्था की घाषणा करने के स्थान पर केवल मात्र कमी की स्थिति की घोषणा करके ही सन्तुष्ट हो रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि मुझे यह निवेदन करने की अनुमति दी जाये, तो यह प्रश्न ही नहीं है, यह तो एक प्रकार की टिप्पणी है । कमी या दुर्भिक्ष की अवस्था की घोषणा करना या न करना राज्य सरकार का काम है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या सरकार को मोहुल ताल्लुक से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है जिसमें उन व्यक्तियों की संख्या, जो अपने गांवों को छोड़ कर चले गये हैं, उन पशुओं की संख्या, जो मर गये हैं, और उन पशुओं की संख्या जिन को उनके मालिक, जो उनको खिलाने पिलाने में असमर्थ हैं, वैसे ही छोड़ कर चले गये हैं, दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि यह विषय राज्य से सम्बन्ध रखता है, और यदि हम कुछ करें तो वह राज्य सरकार को उस असामान्य व्यय को, जो उसे प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए व्यय करना पड़ रहा है, वह न करने में सहायता देने के रूप में होगा । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य के विचार से किसी क्षेत्र को कमी प्रधान अथवा दुर्भिक्ष क्षेत्र घोषित कर देने से क्या लाभ होगा । पुराने दुर्भिक्ष कानून के अनुसार राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, पर जो सहायता दी जा रही है वह इतनी कम है कि हम अब राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में, जहां हम समझते हैं कमी है, उस से कहीं अधिक किया जा रहा है जितना कि पुराने दुर्भिक्ष कानून के अन्तर्गत करना संभव है ।

श्री पाटस्कर: माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया उस में उन्होंने बताया कि पूर्वी खानदेश के गांवों से प्रव्रजन हुआ है । क्या माननीय मंत्री बम्बई सरकार से ज्ञात करने की कृपा करेंगे कि इन ग्रामों में जब कि वहां से प्रव्रजन होने की बात स्वीकार की जाती है, कमी की स्थिति की घोषणा क्यों नहीं की गई ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य यहीं चाहते हैं तो हम बम्बई सरकार से पूछेंगे। परन्तु मुझ इस में कोई सार दिखाई नहीं देता है क्योंकि सारा मामला राज्य सरकार के दायित्व पर है । जैसा कि श्री

रफी अहमद किदवई ने कहा, कि हम केवल उस सहायता कार्य में जो बम्बई सरकार करना चाहती है, केवल मात्र योग ही दे सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या सरकार को कनारा तथा शोलापुर जिलों में भुखमरी के कारण होने वाली मृत्यु संख्याओं सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त हुए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री गाडगिल : क्या मैं माननीय मंत्री से यह ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि बम्बई सरकार की सहायता दिये जाने की मांग वित्त मंत्रालय में कब से निलम्बित है, और वह कब तक इस सहायता के उपलब्ध किये जाने की प्रत्याशा करते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से उस को अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं श्रीमान् । अधिक से अधिक वह गत मास में प्राप्त हुई थी ।

श्री आल्तेकर : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि उन ३० करोड़ रूपयों में से जो पंचवर्षीय योजना में कभी प्रधान क्षेत्रों में ऐसे कार्यों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं, **क्या** छोटी तथा मध्यम प्रकार की सिंचाई योजनाओं को इन क्षेत्रों में चालू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, जहां तक इस ३० करोड़ रूपये में से ऋण देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, कुछ राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है । बम्बई सरकार से अभी इस प्रश्न पर बिचार विमर्श नहीं हुआ है ।

श्री किदवई : मेरे विचार से इस वर्ष बम्बई सरकार ने कुछ छोटी सिंचाई योजनायें हमारे समक्ष रखी थीं । उन योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है और उसे रुपया तक दे दिया गया है ।

श्री बोगावत : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र में गंभीर रूप से दुर्भिक्ष पड़ने के कारण कोई १ करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, क्या खाद्य मंत्री ने राहत पहुंचाने के हेतु प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का निश्चय किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं वहां जाने का बिचार कर रहा हूं ।

श्री गाडगिल : यदि रुपया भेज दें तो अधिक उत्तम होगा ।

श्री एम० डी० जोशी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या बम्बई राज्य में रायलासीमा जैसे कोई स्थायी रूप से कमी वाले क्षेत्र हैं और सरकार उनके सम्बन्ध में क्या करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं श्रीमान् हम उन के सम्बन्ध में रायलासीमा जैसा व्यवहार करने की चेष्टा कर रहे हैं, और यह बात इस से भी स्पष्ट हो जाती है कि हम वहां एक समिति भेजने का विचार कर रहे हैं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सैन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा अब तक क्या रिलीफ (राहत) दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्टेटमेंट (विवरण) में बतलाया गया है ।

श्री एस० एस मोरे : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या सरकार को शोलापुर जिले में प्रारम्भ किये गये सहायता

कार्यों की कमी या अपर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री धूसिया उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कोरिया के सम्बन्ध में भारतीय संकल्प

३०. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** पान मुन जोन में युद्ध बन्दियों के प्रश्न पर उत्पन्न हो गये गतिरोध को सुलझाने के लिये भारत द्वारा किये गये मध्यस्थता प्रयत्नों के सम्बन्ध में उक्त प्रयत्नों के प्रारम्भ में जिस सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया गया था और अब जो समर्थन प्राप्त हुआ है उस का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए एक वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या यह तथ्य ह कि उस संकल्प का मसौदा, जो भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत हुआ था पेकिंग में चीनी अधिकारियों को दिखाया गया था और उनका मौन अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था ?

(ग) क्या मास्को से इसी प्रकार परामर्श लिया गया था ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि संयुक्त राज्य की आपत्ति को दूर करने के लिये भारतीय संकल्प में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, और यदि ऐसा है, तो मूल संकल्प में किये गये परिवर्तन क्या हैं ?

(ङ) क्या यह तथ्य है कि कोरिया में तात्कालिक युद्ध विराम की घोषणा करने से सम्बन्ध वाले खंड को संकल्प में विशेष रुप से सोवियेट आलोचना को दूर करने के लिये समाविष्ट किया गया था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत सरकार दूर पूर्व में समझौता कराने मे अत्यधिक उत्सुक रही है और कोरिया में युद्ध के चालू रहने की बात को अधिकाधिक चिन्ता से देख रही है । उसे आशा थी कि पान मुन जोन में हो रही समझौते की बात-चीत के परिणामस्वरूप युद्ध बन्द हो जायेगा और विराम सन्धि हो जायेगी । यद्यपि इस समझौते की बातचीत में काफ़ी प्रगति हुई, परन्तु युद्धबन्दियों की वापसी के प्रश्न पर गतिरोध उत्पन्न हो गया । सब से बडी कठिनाई यह रही है कि जब कि चीन की सरकार जिनिवा अभिसमय के लागू किये जाने और सभी बन्दियों की वापसी पर आग्रह करती रही है, संयुक्त राष्ट्र की कमान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी युद्ध बन्दी की बलात वापसी पर सहमत नहीं होगा । इन दो एक दूसरे से विलकुल भिन्न दृष्टिकोणों में कोई समन्वय नहीं किया जा सका ।

शान्ति बनाये रखने के प्रयत्नों में सहयोग देने की अपनी उत्कृष्ट इच्छा के अनुसार, भारत सरकार सम्बद्ध मुख्य शक्तियों के सम्पर्क में रही है और उन के दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में उन से चर्चा और विचार विमर्श करती रही है । कई अवसरों पर भारत सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि इस खाई के भर जाने की संभावना थी पर ऐसा हुआ नहीं ।

अभी हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा की न्यूयर्क में बैठक हुई थी तो कोरिया का प्रश्न उस के समक्ष आया था । अनेकों प्रस्तावों के सुझाव दिये गये या उन को प्रस्तुत किया गया । हमारे शिष्ट मण्डल को, जो हम से निरन्तर सम्पर्क रखे रहा, ऐसा प्रतीत हुआ कि उन में से किसी भी प्रस्ताव से किसी शान्तिपूर्ण समझौते की आशा नहीं होती थी । इस कारण हमारे शिष्ट मण्डल ने एक ऐसा सूत्र खोज निकालने की

चेष्टा की जो सम्बद्ध मुख्य दलों और अन्य राष्ट्रों को भी स्वीकार्य हो सके। परामर्श करने के बिचार से और यदि उन से उद्भूत होने वाले परिणामों के आधार पर बाद को सामान्य रूप से स्वीकार्य किसी उपयुक्त संकल्प की रूप रेखा तैयार करने के बिचार से कुछ सिद्धान्तों को निश्चित किया गया। यह सिद्धान्त जिनीवा अभिसमयों पर आधारित थे जो इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुस्थापित सिद्धान्तों और व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। ऐच्छिक वापसी इन सिद्धान्तों के विपरीत होती और इस लिये उसे अस्वीकृत करके यह कहा गया कि युद्ध बन्दियों को अपने देश को लौटने से रोकने पर उन्हें वापस न जाने देने के लिये शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा और न किसी भी भांति उन को शारीरिक हानि पहुंचाने अथवा उनकी प्रतिष्ठा या उनके आत्म सम्मान को नष्ट करने या उसे कलंकित करने के लिये कोई कार्यवाही किये जाने की अनुमति ही दी जायेगी। युद्ध बन्दियों के साथ जिनिवा अभिसमय के विशिष्ट उपबन्धों तथा उक्त अभिसमय की सामान्य भावना के अन्तर्गत मानवोचित व्यवहार किया जाना था। एक वापसी समिति बनाई जानी थी जिस में पोलैण्ड, चैकोस्लोवेकिया, स्वीडन और स्विटजरलैण्ड के प्रतिनिधि होने को थे और सभी युद्ध बन्दी सैनिक नियंत्रण से तथा बन्दी बनाने वाले पक्ष की निगरानी से पूर्व स्वीकृत असैनिक क्षेत्रों के निश्चित बदलौअल स्थानों पर इस समिति को दे दिये जाने थे। युद्ध बन्दियों के शीघ्रातिशीघ्र उन की मातृ भूमि को लौट जाने में सहायता देने के लिये इन सिद्धान्तों में कुछ और भी प्रावधान किये गये थे। यह निश्चित किया गया था कि अविलम्ब युद्ध-विरति हो और युद्ध-विराम करार की शर्तों के अनुसार उसे कार्यान्वित किया जाये।

इन सिद्धांन्तों के आधार पर हमारे प्रतिनिधि मण्डल और संयुक्तराष्ट्र सामान्य सभा के अन्य प्रतिनिधि मण्डलों के मध्य बिचार बिमर्श हुआ। क्योंकि चीन के जन गणराज्य की केन्द्रीय जन सरकार का प्रतिनिधित्व संयुत राष्ट्र में नहीं था, अत: हम ने २ नवम्बर को इन की सूचना उसे पेकिंग में दे दी।

चीनी सरकार की कोई वाक्बद्धता नहीं थी परन्तु साथ ही उस अवसर पर उस के द्वारा कोई अनुमोदन न करने का संकेत भी नहीं दिया गया। हमें यह बताया गया था कि शान्तिपूर्ण समझौता कराने के हमारे प्रयत्नों की चीन सरकार प्रशन्सा करती थी। परन्तु उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह ऐच्छिक वापसी के एकदम विरोध में थी।

संयुक्त राष्ट में जिन प्रतिनिधि मण्डलों से परामर्श किया गया, उन सभी ने हमारे सिद्धान्तों का अनुमोदन किया। कुछ प्रतिनिधि-मण्डलों ने कोई वाकबद्धतायें नहीं कीं।

इस स्थिति में हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने हमारे उन सिद्धान्तों के आधार पर जिन का हमने पहल ही अन्य प्रतिनिधि मण्डलों तथा चीनी सरकार को संकेत दे दिया था, अपने संकल्प का प्रारूपण करने का निश्चय किया। हमारे प्रतिनिधि मण्डल से संकल्प पर प्रारूप १६ नवम्बर को प्राप्त हुआ था और हमने उसे अविलम्ब ही चीनी सरकार को भेज दिया था। उक्त संकल्प को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा की राजनैतिक समिति के समय १७ नवम्बर को प्रस्तुत किया गया। उसी दिन संयुक्त राज्य के प्रतिनिधिमण्डल के एक प्रवक्ता ने एक प्रेस सम्मेलन में यह कहा कि संयुक्त राज्य में भारतीय प्रान्ताव को उस के 'वर्तमान रूप' में अस्वीकृत कर दिया था। १९ नवम्बर को उक्त संकल्प हमारे

प्रतिनिधि मण्डल द्वारा राजनीतिक समिति के समक्ष अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। बहुत से अन्य प्रतिनिधि मण्डलों ने भी उस का समर्थन किया । चीन की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और न ही सोवियट दृष्टिकोण का ही कुछ दिनों तक पता लग सका ।

२३ नवम्बर को सोवियट प्रतिनिधि मण्डल ने एक प्रस्थापना प्रस्तुत की कि संयुक्त राष्ट्र कोरिया में अविलम्ब युद्ध विराम की सिफारिश करे और युद्ध बन्दियों की समस्या को सुलझाने के लिये ग्यारह राष्ट्रों की एक समिति नियुक्त करे ।

संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रारम्भ में हमारे संकल्प को अस्वीकार करने क बाद अन्त में उसे अपना सामान्य अनुमोदन प्रदान [illegible] न किये जाने की मांग की । संकल्प पर चर्चा तथा विचार विमर्श होते समय विभिन्न संशोधनों पर विचार किया गया था । जो संशोधन उस सिद्धान्त के, जिन के आधार पर हमने संकल्प प्रस्तुत किया था, अनुकूल नहीं थे उन को स्वीकार करने में हम असमर्थ थे । संकल्प के कुछ भागों का स्पष्टीकरण करने के लिये हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने संकल्प में कुछ साधारण परिवर्तन किये। जो साधारण संशोधन किय गये वह थे :

(१) वापसी समिति के साथ मध्यस्थ का और अधिक निकट का सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कुछ प्रावधान किये गये ;

(२) यह प्रावधान किया गया कि शेष युद्ध बन्दियों की न केवल सुरक्षा और देख रेख ही अपितु उनकी व्यवस्था भी संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी जाये। और यह भी प्रावधान किया गया कि यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार की जाने को थी । अन्तर्राष्ट्रीय कानून को किया जाने वाला निर्देश जिनीवा अभिसमय के अनुसार किया जाने को था ।

२५ नवम्बर को हमें चीनी सरकार का एक स्मारपत्र दिनांक २४ नवम्बर का प्राप्त हुआ जिस में हमें यह सूचित किया गया था कि वह हमारी प्रस्थापना को स्वीकार करने में असमर्थ थी ।

सोवियट प्रतिनिधि मण्डल ने हमारे संकल्प की इस आधार पर आलोचना की थी कि उससे युद्ध विराम नहीं हो सकता था । हमारे प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह बताया गया कि हमारे संकल्प का पूर्णतया आशय युद्ध विराम कराना था परन्तु तो भी इस बात को पूर्णतया स्पष्ट कर देने के लिये प्रस्तावना में इस प्रकार के एक संशोधन का समावेश किया गया कि अविलम्ब ही युद्ध विराम की घोषणा की जाये।

कोरिया सम्बन्धी हमारे संकल्प की एक प्रति, जैसा कि उसे संशोधित करके बाद को संयुक्त राष्ट की सामान्य सभा द्वारा पारित किया गया था, सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १५**]

यह स्पष्ट हो गया कि संकल्प के प्रस्तुत किये जाने के बाद उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किये गये थे । चर्चा के परिणामस्वरूप कुछ बातों अथवा विषयों का स्पष्टीकरण मात्र किया गया था ।

इस संकल्प को एक व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सभापति द्वारा चीन के जन गणतंत्र की केन्द्रीय जन सरकार और उत्तरी कोरिया सरकार को भेजा गया था । जहां तक हमें ज्ञात है, संघ के सभापति को उन दोनों सरकारों से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त समर्थन की अत्यधिक सराहना करते हुए भारत सरकार को इस बात का असीम दुख है कि चीनी सरकार और सोवियट सरकार उस संकल्प को मानने में असमर्थ रही हैं। उस को अब भी यही आशा है कि पुनः विचार करने पर यह सरकारें यह अनुभव करेंगी कि संकल्प में रखी गई प्रस्थापनायें ठीक तथा न्याययुक्त हैं और निश्चित रूप से जिनिवा अभिसमय और अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून पर आधारित हैं और किसी भी प्रकार से उन आधारभूत सिद्धान्तों के विरोध में नहीं है जिन को उन्होंने स्वयं किसी पिछले अवसर पर प्रस्तुत किया था।

यह संकल्प कोई आज्ञा नहीं है। यह उस समस्या को सुलझाने का, जिसने समस्त संसार की शांति को खतरे में डाल रखा है और जिसके प्रचलन ने कोरिया की जनता में तबाही तथा बरबादी फैला दी है, एक सच्चा तथा वास्तविक प्रत्यन है।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: क्या प्रधान मंत्री यह अनुभव करते हैं कि चीन द्वारा प्रस्थापना को स्वीकृत किये जाने का परिणाम कम से कम आगे चल कर चीन का संयुक्त राष्ट्र में प्रविष्ट किया जाना और दूर पूर्वी समस्याओं का सुलझाना होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जैसा कि सदन को विदित है, भारत सरकार सदा से ही चीन की जन सरकार के संयुक्त राष्ट्र में प्रविष्ट किये जाने का अत्यधिक समर्थन करती रही है, और वास्तव में हमारा यही विश्वास रहा है कि दूर पूर्व की कोई भी समस्या बिना चीन की सरकार के स्पष्ट समर्थन के और बिना उसके संयुक्त राष्ट्र में प्रविष्ट किये सुलझ नहीं सकती है, और हमें विश्वास है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव, यदि वह स्वीकृत हो सका, समझौते के सम्बन्ध में एक पक्का कदम होगा और उसके परिणामस्वरूप चीन की सरकार को संयुक्त राष्ट्र में प्रविष्ट किया जा सकेगा।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: क्या प्रधान मंत्री यह अनुभव करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय संकल्प को प्राप्त हुए अत्यधिक समर्थन को ध्यान में रखते हुए क्या चीन के लिए उक्त प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लेने के अब भी अवसर हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: क्या प्रधान मंत्री हमें यह आश्वासन देते हैं कि उनके योग्य नेतृत्व में भारत कोरिया में हो रही लड़ाई के सम्बन्ध में कोई समझौता कराने के प्रयत्नों को जारी रखेगा और वहां के हज़ारों युद्धबन्दियों को असीम कष्ट तथा संकट से बचायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: एक बहुत लम्बा वक्तव्य प्रधान मंत्री द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मेरे विचार से सदन के समक्ष आने वाले अन्य कार्यकर्म को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य इस विषय पर कम से कम प्रश्न पूछेंगे। साधारणतया, सरकार जब कभी कोई वक्तव्य देती है तो सामान्यतया उस वक्तव्य पर प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है परन्तु यह एक महत्व-पूर्ण प्रश्न है। दूसरी ओर, यह स्वयं भी एक प्रश्न है। मुझे कुछ प्रश्नों के पूछे जाने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या हम प्रधान मंत्री से इस बात का कोई आभास प्राप्त कर सकते हैं कि चीन की जन गणराज्य सरकार की सहमति से शान्ति व्यवस्थापन के सम्बन्ध में किन कार्यवाहियों के किये जाने की प्रस्था-पना थी अथवा अब करने का विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इस के अतिरिक्त कि हम उस से सम्पर्क बनाये हुए हैं और एक

दूसरे को विश्वास दिलाने के लिए अपने अपने दृष्टिकोणों को प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ और अधिक कहना मेरे लिए कठिन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: श्रीमान्, माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि वह आधारभूत सिद्धान्त, जिनके आधार पर हमारी प्रस्थापनायें बनाई गई हैं जिनिवा अभिसमय के अनुसार हैं । अब की स्थिति यह है कि बाक़ी बचे युद्ध-बन्दियों को, जिन को अभी वापस नहीं लिया गया है, संयुक्तराष्ट्र संघ की संरक्षणता में, जो कि कोरिया की लड़ाई में स्वयं एक पार्टी है, छोड़ दिया जाना है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक प्रश्न का उत्तर देते हुए किसी प्रकार के वाद-विवाद में फंसना मेरे लिए तनिक कठिन है । किसी न किसी प्रकार का प्रावधान किया जाने को था । हम यह समझते हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जायेगा और वापसी आयोग इस मामले को अपने हाथ में ले लेगा । अगर कुछ बाक़ी बच भी जायेंगे तो किसी न किसी को उनका प्रबंध करना होगा और हम किसी को भी एक अवशिष्ट संगठन की भांति सुझाव दे सकते हैं और इस बात पर ज़ोर दे सकते हैं कि उन के साथ जिनिवा अभिसमय के अनुसार व्यवहार किया जाये ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि २६ नवम्बर को वह संकल्प, जिसे सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर प्रारूपित किया गया था, चीन की जन सरकार को भेजा गया था । मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने संकल्प के सम्बन्ध में किसी उत्तर के आने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्योंकि संयुक्त-राष्ट्र जैसी संस्थाओं में कार्यवाही को निम्बित रखना बहुत कठिन है । समय आने पर आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य सा हो जाता है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : श्रीमान्, प्रधान मंत्री ने कहा कि १६ नवम्बर को उक्त संकल्प चीन भेजा गया था और भारत सरकार को यह सूचित कर दिया गया था कि संकल्प को अस्वीकृत कर दिया गया था । मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि जब कि सिद्धान्तों को बतलाने वाला पहला पत्र २ नवम्बर को भेजा गया था और संकल्प की एक प्रति १६ नवम्बर को भेजी गई थी, तो क्या हमारे प्रतिनिधि को निश्चित रूप से बता दिया गया था कि संकल्प का आधारभूत सिद्धान्त चीन को स्वीकार्य होगा ? प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह बताया कि उस ने उसे अस्वीकार नहीं किया था । इस के विपरीत ऐसा प्रतीत होता था कि आधारभूत सिद्धान्त चीन को स्वीकार्य थे । क्या वह इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे विचार से जो कुछ मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं वह स्थिति को ठीक तरह से बताता है । चीन की सरकार की कोई वाक्बद्धता नहीं थी, परन्तु उस स्थिति पर इन सिद्धान्तों के विरोध में कोई असहमति भी प्रकट नहीं की गई थी । हमें यह निश्चित रूप से बताया गया था कि शान्तिपूर्ण समझौता कराने के हमारे प्रयत्नों की चीन सरकार प्रशंसा करती थी । हमारे सिद्धान्तों पर सोचने समझने के बाद हमें यही निश्चित रूप से बताया गया था । पर अब कोई वाक्बद्धता नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या प्रधान मंत्री ने कोरिया में शान्ति स्थापना सम्बन्धी सोवियेट रूस की प्रस्थापना पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में क्या वह भारत सरकार की इच्छाओं तथा रवैये का सोवियेट सरकार के रवैये से समन्वित किये जाने की संभावना पर कोई प्रकाश डाल सकते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत सरकार दूर पूर्व में शान्ति स्थापित किये जाने में रुचि

रखती है, और उसे किसी अपने या किसी अन्य द्वारा प्रस्तावित किसी संकल्प के पारित मात्र हो जाने में रुचि नहीं है । संकल्प पारित कर देना बहुत सरल है, परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, और यदि कोई परिणाम नहीं निलकता है तो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है । यदि सोवियेट प्रस्ताव से, जैसा कि वह है—मैं उस के गुण अवगुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं—यह परिणाम नहीं निकलता है तो उस से तनिक भी लाभ नहीं है ।

श्री फ्रैन्क एन्थनी : क्या यह तथ्य है कि भारतीय प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए और बिना कारण अभिघाती भाषा का प्रयोग करते हुए, सोवियेट प्रतिनिधि मंडल ने दुर्भावना के आरोप लगाये थे और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के विरुद्ध यह कहा था कि वह कोरिया में हो रहे युद्ध को बन्द करने के स्थान पर उस को और अधिक दिनों तक बढ़ाना चाहता था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सोवियेट प्रतिनिधि ने जिस भाषा का प्रयोग किया था उसे मेरे विचार से, निश्चित रूप से कड़ा कहा जा सकता है । उसी प्रकार की भाषा में किसी देश को उत्तर देना हमारी आदत नहीं है.....

श्री गाडगिल : इस भाषा को हम कभी-कभी सदन के उस ओर से सुनते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : ...और दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र में कुछ प्रतिनिधियों तथा देशों की ऐसी भाषा का प्रयोग करने की आदत बढ़ती जा रही है ।

श्री जोशिम अलवा: संयुक्तराष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि मंडल के सोवियेट प्रतिनिधि मंडल के निरन्तर सम्पर्क में रहने के अनपेक्ष, क्या हमारी सरकार, पीकिंग द्वारा हमारे प्रस्तावों के अस्वीकृत न किये जाने से लगा कर अन्तिम रूप से उन के अस्वीकृत कर दिये जाने तक की अवधि में, मास्को स्थिति सोवियेट जन गणराज्य की सरकार के निरन्तर सम्पर्क में रही थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रश्न के साथ किस प्रकार व्यवहार करूं । जब कि माननीय सदस्य 'निरन्तर सम्पर्क' की बात कहते हैं, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह सत्य है कि जहां तक संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त देशों—चीन के अतिरिक्त प्रायः सभी—का सम्बन्ध था, इस संकल्प के सम्बन्ध में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ प्रायः सभी प्रकार के सम्पर्क संयुक्त राष्ट्र में ही किये गये थे । तथापि उन देशों की राजधानियों में स्थित हमारे दूतावासों को कभी कभी निर्देश किये जाते थे, परन्तु वास्तविक सम्पर्क प्रतिनिधियों से ही रखा जाता था । केवल चीन ही ऐसा था जो प्रतिनिधित नहीं था । उस के लिए हम उस से सीधी ही बातचीत करनी पड़ी ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान चीनी और रूसी रेडियो स्टेशनों द्वारा भारत सरकार द्वारा अपनाये गये रवैये के विरुद्ध की गई अति कटु आलोचना की ओर दिलाया गया है ?

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या यह तथ्य है कि चीन ने स्वीकार कर लिया होता (**अन्तर्बाधा**) ।

उपाध्यक्ष महोदय: और अधिक नहीं । बहुत काफी पूछा और उत्तर दिया जा चुका है । अब हम अगली कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

'गन्धी' कीड़ा

*११७१. **श्री बाल्मीकी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों में 'गन्धी' कीड़े ने इस वर्ष धान की फसलों पर आक्रमण किया है ?

(ख) इस से कितनी हानि हुई है ?

(ग) इस कीड़े से धान की फ़सल को बचाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (ग)। माननीय सदस्य का ध्यान इसी विषय पर १४ नवम्बर, १९५२ के श्री एन० पी० सिन्हा के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४ के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

महिला श्रमिक

५९१. श्री बारुपाल: (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की उन फैक्टरयों में, जो १९४८ के फैक्टरी अधिनियम से शासित होती हैं, कितनी महिलायें (उद्योगवार) काम करती हैं ?

(ख) भारत की उन खानों में, जो भारतीय खान अधिनियम से शासित होती हैं, कुल कितनी महिलायें (खान-वार) सेवायुक्त हैं ?

(ग) भारत के उन बागानों में, जो भारतीय बागान अधिनियम से शासित होते हैं, कुल कितनी महिलायें (बागान-वार) सेवायुक्त हैं ?

(घ) सन् १९५१ में भारतीय फैक्टरियों, खानों तथा बागानों (प्रथक्-प्रथक्) में सेवा-युक्त समुचित रूप से प्रमाणित नवयुवकों की कुल संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) से (ग). सन् १९५० में फैक्टरियों तथा खानों में सेवायुक्त महिला श्रमिकों के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े सदन पटल पर रखे गये विवरणों १ और २ में दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६**]. बागान श्रम अधिनियम के अनुसार भारत के सभी बागानों में सेवायुक्त महिला श्रमिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है । श्रम उत्प्रवासन नियंत्रक, आसाम की सन् १९४९–५० सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट यह बतलाती है कि आसाम के चाय बागानों में जितनी महिला श्रमिकों के नाम रजस्टरों में लिखे हुए हैं उनकी संख्या २२७,४७८ है ।

(घ) प्रमाणित नवयुवकों की कुल संख्या सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है । फैक्टरियों में काम करने वाले अवयस्कों और बालकों की संख्या भाग (क) के सम्बन्ध में रखे गये विवरण में दी हुई है । मुख्य खान निरीक्षक की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार कोई भी बालक खानों में सेवायुक्त नहीं है । श्रम उत्प्रवासन नियंत्रक को सन् १९४९-५० सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आसाम के चाय बागानों के रजिस्टरों के अनुसार ७५,६९६ बालक सेवायुक्त हैं । भारत के अन्य बागानों सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है । सन् १९५१ के फैक्टरियों तथा बागानों के तत्संबन्धी आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

कृषि उपकरण

५९२. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कौन से सार्थ उत्तम प्रकार के कृषि उपकरणों को बना रहे हैं ?

(ख) सन् १९५०–५१ और १९५१–५२ में उनका सम्पूर्ण उत्पादन कितना था ?

(ग) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्रय किये गये कृषि उपकरणों का योग मूल्य क्या है ?

(घ) क्या यह सभी कम्पनियां पूंजी तथा प्रबन्ध में पूर्णतया भारतीय हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) कोई २४० ऐसे सार्थ हैं जो उत्तम प्रकार के कृषि उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं । अधिक महत्व वाले कुछ निर्माताओं के नामों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ख) उन ६७ सार्थों का उत्पादन, जो केन्द्र से ही सीधे लोहा तथा स्टील के अभ्यंश प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रकार था :—

१९५०–५१	१७,१५८ टन
१९५१–५२	१८,०२० टन

शेष सार्थों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अपने अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलनों के लिए अपेक्षित भांडार राज्य सरकारें स्वयं ही क्रय करती हैं, इसलिये अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं है।

(घ) जी हां।

जोगेन्द्रनगर कुल्लू रेलवे लाइन

५९३. **श्री हेमराज:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे (उत्तरी) को जोगेन्द्र नगर से कुल्लू तक बढ़ा देने के सम्बन्ध में क्या कोई परिमापन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण परिव्यय क्या होगा; तथा

(ग) क्या सरकार उसका निर्माण प्रारम्भ करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) इस समय के निर्माण परिव्यय का अनुमान पांच और छै करोड़ रुपये के बीच लगाया गया है।

(ग) जी नहीं।

ज्वालामुखी–भाखड़ा–नंगल रेलवे लाइन

५९४. **श्री हेमराज:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ज्वालामुखी रोड रेलव स्टेशन (उत्तरी रेलवे) से भाखड़ा नंगल तक रेल लाइन बनाने के लिए कोई परिमापन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस का निर्माण परिव्यय क्या होगा; तथा

(ग) सरकार उसे बनाने का कार्य कब प्रारम्भ करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग)। ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

सिन्देवाही में फोर्ड फाउन्डेशन योजना

५९५. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि सिन्देवाही (जिला चांदा) में फ़ोर्ड फाउन्डेशन योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) उक्त योजना में प्रस्थापित कार्य के कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) सिन्देवाही की फ़ोर्ड फाउन्डेशन योजना एक प्रशिक्षण तथा विकास परियोजना है। उसकी स्वीकृति १० मई, १९५२ को दी गई थी, और उसका कार्यकरण १६ जून, १९५२ से प्रारम्भ हुआ था। परियोजना के प्रशिक्षण वाले भाग में ४० प्रशिक्षणार्थियों को प्रविष्ठ किया गया था, जिनमें से ३ छोड़ कर चले गये हैं और शेष ३७ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। परियोजना के विकास विभाग से सम्बन्धित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रशिक्षण वाले भाग के १५ जून, १९५५ तक समाप्त हो जाने की संभावना है और निकास वाले भाग के १५ जून, १९५७ तक।

भविष्यनिधि अधिनियम

५९६. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ सम्बद्ध उद्योगों द्वारा लागू किया जा रहा है, और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की

धारा ५ के अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजनायें, १ नवम्बर, १९५२ से लागू हुई थीं ।

सम्बद्ध फैक्टरियों के मालिक उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए क़ानून द्वारा बाध्य हैं । अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि मालिक लोग योजना की प्रस्थापनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

राजस्थान म नई रेलवे लाइनों का निर्माण

५९७. **श्री बारुपाल:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बीकानेर तथा जैसलमेर, चुरू तथा फ़तहपुर और गंगानगर तथा हिन्दूमल कोट के बीच कोई नई रेलवे लाइनें बनाने का प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरी होंगी ?

(ग) क्या बीकानेर रेलवे जंकशन स्टशन को बढ़ाने या उसे वर्तमान स्थान से हटा कर किसी अन्य स्थान पर बनान की कोई योजना विचाराधीन है, यदि हो, तो यह कब तक क्रियान्वित होगी ?

(घ) क्या यह योजना भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के भी विचाराधीन थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बीकानेर और जेसलमेर तथा चूरू और फ़तहपुर के बीच नई रेलवे लाइनें बनाने की अभी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है । गंगानगर तथा हिन्दूमल कोट के बीच एक रेल कड़ी बनाने के सम्बन्ध में अभी प्रारम्भिक जांच कार्य किया जा रहा है ।

(ख) पंचवर्षीय योजना में उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त निर्माण कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य निर्माण कार्य पर अभी विचार किये जाने की संभावना नहीं है ।

(ग) बीकानेर रेलवे स्टेशन के यार्ड को पुनः बनाने की एक योजना विचाराधीन है। इस पर सम्भवतः सन् १९५३-५४ में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । बीकानेर रेलवे स्टेशन को किसी अन्य स्थान को हटा देने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(घ) बीकानेर रेलवे स्टेशन को वर्तमान जगह से कोई दो मील दूर हटा ले जाने की एक योजना पर सन् १९४७ से पहले बीकानेर राज्य रेलवे द्वारा विचार किया गया था, परन्तु उसे छोड़ दिया गया था ।

हनुमानगढ़ तथा शाईलपुर के बीच अधिक गाड़ियों का चलाना

५९८. **श्री बारुपाल:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह ठीक है कि हनुमान गढ तथा शाईलपुर जंकशन (उत्तरी रेलवे) के बीच २४ घंटों में केवल एक ही गाडी आती जाती है, जब कि उस लाइन पर यात्रियों की काफी संख्या रहती है ?

(ख) क्या इस लाइन पर एक और गाडी चलाने के लिए कोई मांग की गई थी, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । डब्बों, गाड़ियों तथा इंजनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में अनुभव की जाने वाली कठिन स्थिति के कारण, हनुमानगढ़ और शाईलपुर के बीच एक और गाड़ी जारी करना अभी संभव नहीं है । जब डिब्बों और इंजनों का स्टॉक अनुमति देगा तब एक नई गाड़ी जारी किये जाने की मांग को ध्यान में रख लिया गया है ।

भारतीय भेषज संहिता समिति (विशेषज्ञ उपसमिति)

५९९. **डा० अमीन:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बता सकती हैं:

(क) वह तिथि जब भारतीय भेषज संहिता समिति ने आठ उप-समितियां बनाई थीं; तथा

(ख) इन उप-समितियों की रिपोर्टें कब तक प्रकाशित होंगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) इन आठ उप-समितियों के बनाये जाने का सुझाव भारतीय भेषज संहिता समिति ने नवम्बर १९४९ में दिया था पर वह वास्तव में बनाई गई सन् १९५० में ।

(ख) इन उप-समितियों से मुख्य समिति को भारतीय भेषज संहिता से सम्बन्ध रखने वाले प्रविधिक मामलों में सहायता देने की आशा की गई थी । उनको कोई सरकारी रिपोर्टें नहीं भेजनी थीं । अत: उप-समितियों की किन्हीं भी रिपोर्टों का प्रकाशन नहीं होगा ।

प्रसूति लाभ विधियां

६००. **श्री बारुपाल:** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के किन राज्यों ने प्रसूति लाभ विधियां अधिनियमित की हैं और किन वर्षों में ?

(ख) विशेषक अवधि क्या है, लाभ दिये जाने की अधिकतम अवधि क्या है—प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात्—और विभिन्न राज्यों खानों में दिये जाने वाले लाभ की दर क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) और (ख)। अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १८.]

बाल नियोजन अधिनियम, १९३८

६०१. **श्री बारुपाल:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भाग 'ख' और 'ग' में के किन राज्यों में बाल नियोजन अधिनियम, १९३८ लागू किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त अन्य सभी भाग 'ख' और 'ग' में के राज्यों में बाल नियोजन अधिनियम, १९३८ लागू कर दिया गया है ।

बालकों और युवकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण

६०२. **श्री बारुपाल:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और निजी औद्योगिक सार्थों को बालकों और युवकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में क्या सुविधायें दी गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): भारत सरकार द्वारा कोई सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

रेलवे डाक सेवा खेल का मैदान (श्रीरामपुर)

६०३. **श्री तुषार चटर्जी:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि पूर्वी रेलवे और श्रीरामपुर की नगरपालिका के बीच श्रीरामपुर स्थित रेलवे डाक सेवा के खेल के मैदान के बदलौअल के प्रश्न पर कोई झगड़ा चल रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस झगडे को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) उत्तर हां में है ।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकार को रेलवे डाक सेवा के श्रीरामपुर स्थित खेल के मैदान के नगरपालिका द्वारा इस शर्त पर ले लिये जाने पर कि नगर पालिका

उस के बराबर के क्षेत्रफल वाले एक उपयुक्त भूमिखंड को अपने खर्चे पर अवाप्त करके रेलवे को दे देगी, कोई आपत्ति नहीं है । चुने गये भूमि खंड के रेलवे प्रशासन द्वारा पसन्द किया जाना आवश्यक है ।

बृटिश नौपरिवहन समवाय

६०४. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१–५२ में भारतीय बन्दरगाहों में कार्य करने वाली बृटिश नौपरिवहन समवायों द्वारा सेवायुक्त किये गये भारतीय नाविकों की संख्या;

(ख) बृटिश जहाज़ों में अफसरों की पदाली में कार्य करने वाले भारतीयों की संख्या; तथा

(ग) बृटिश नौपरिवहन समवायों द्वारा अनुवर्त्ती पद-श्रेणियों में भारतीय तथा बृटिश नाविकों को दिये जाने वाले वेतनों में परस्पर अन्तर, यदि कोई हो ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सन् १९५१–५२ में बम्बई और कलकत्ता के बन्दरगाहों पर भारतीय माल के लिए बृटिश जहाज़ों पर सेवायुक्त किये गये भारतीय नाविकों की संख्या इस प्रकार है :—

भारतीय

बम्बई	८५०२
कलकत्ता	७७०६

(ख) उन तीन बृटिश समवायों के जहाज़ों में, जिनके नाम बृटिश इंडिया स्टीम-नेवीगेशन, दि एशियाटिक स्टीम नेवीगेशन और मुग़ल लाईन हैं और जो केवल मात्र ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करती हैं, सेवायुक्त भारतीय अफसरों की संख्या नीचे दिखाये गये अनुसार दी है :—

नौपरिवहन अफ़सर

३८ (१९ विभाधीनों सहित)

अंजनिक अफ़सर

२३ (४ अप्रमाणित कनिष्ठ अंजनिकों सहित)

उन भारतीयों के जो भंडारियों, डाक्टरों, बिजली का काम करने वाले कर्मचारियों, बेतार यंत्रों के संचालकों इत्यादि के रूप में सेवायुक्त हैं, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) बृटिश जहाज़ों में समान-पद श्रेणियों में सेवायुक्त भारतीय तथा बृटिश नाविकों को दिये जाने वाले वेतनों के परस्पर अन्तर को दिखलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९.**]

चीनी मिलें

६०५. **श्री राम जी वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राज्यवार कितनी चीनी मिलें सन् १९५२–५३ की ऋतु में चलेंगी और सन् १९५१–५२ में कितनी चालू थीं ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में कुछ चीनी मिलों की मुकदमेबाजी के कारण बन्द रहने की आशा है; तथा

(ग) क्या कठकुइंयां स्थित जगदीश चीनी मिल इस वर्ष बन्द रहेगी अथवा इसे चलाने की कोई समुचित व्यवस्था हो चुकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २०**]

(ख) मामले की जांच की जा रही है

(ग) जी नहीं । भारत सरकार ने १९५२–५३ की फसल में जगदीश शुगर मिल

को चलाने के लिए एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया है ।

चिकित्सकीय भांडार डिपो

*६०६. **डा० अमीन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और करनाल के चिकित्सकीय भांडार डिपोओं में सन् १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ (३० सितम्बर, १९५२ तक) में औषधियों के क्रय पर व्यय की गई कुल धन-राशि;

(ख) देश में स्थानीय रूप से बनाई गई तथा विदेशों में निर्मित औषधियों के क्रय पर व्यय की गई धन-राशि;

(ग) विभिन्न देशों में व्यय की गई धन-राशि और उन देशों के नाम; तथा

(घ) जिन विदेश निर्मित औषधियों के लिए चिकित्सकीय भांडार डिपोओं ने व्यादेश दिये थे क्या उन के प्रतिरूप भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाये जाते हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१]**

(घ) जी नहीं; केवल मात्र बहुत ही कम अवस्थाओं में जब कि आयात किये गये माल का मूल्य देश में बनाये गये माल के मूल्य से काफी कम होता है ।

कोढ़ अनुसन्धान सस्था

६०७. **डा० अमीन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार ने एक कोढ़ अनुसन्धान संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस प्रकार की एक संस्था को स्थापित करने में प्रारम्भिक व्यय क्या होगा और कार्यकरण व्यय क्या होगा ?

स्वास्थ्य उपमत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) केन्द्रीय कोढ़ शिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था को चिंगलपेट (मदरास राज्य) में स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, और शीघ्र ही कोई निर्णय किये जाने की प्रत्याशा है ।

(ख) केन्द्रीय कोढ़ संस्था की इमारत बनवाने तथा अन्य उपकरणों पर होने वाले प्रारम्भिक व्यय का अनुमान कोई १० लाख रुपये लगाया जाता है, और उक्त संस्था का वार्षिक अनावर्त्ती व्यय कोई तीन लाख रुपये होगा । यह व्यय मदरास राज्य में स्थित दो अन्य संस्थाओं जैसे लेडी विलिंगडन कोढ़ सैनीटोरियम, चिंगलपेट और सिल्वर जुबली बालसजालय, सैदापेट, जो कि प्रस्तावित योजना में केन्द्रीय कोढ़ संस्था का एक भाग होंगे, की देखरेख और संधारण पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त होगा ।

स्वास्थ्य शिक्षा

*६०८. **डा० अमीन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित चलन्तू सिनेमा एककों द्वारा दिखाये गये स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी चलचित्रों को देखा;

(ख) देश के उन भागों के नाम जहां ऐसे चलचित्र दिखाये गये थे; तथा

(ग) इस प्रचार कार्य पर अब तक किया गया व्यय ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अनुमान किया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के चलन्तू सिनेमा एककों द्वारा दिखलाये गये स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी चल-

चित्रों को कोई १२,००,००० व्यक्तियों ने देखा है ।

(ख) इन स्थानों में स्वास्थ्य शिक्षा चलचित्र प्रदर्शित किये गये थे :—

(१) दिल्ली, नई दिल्ली, और दिल्ली राज्य के प्रायः ग्राम;

(२) मेरठ, बिलासपुर, तिलपट्टा, दादरी और ग़ाजियाबाद (उत्तर प्रदेश);

(३) पानीपत, करनाल, बबैल, निलोखेड़ी, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर, पेहोवा, हिसार और फरीदाबाद (पंजाब);

(४) पैप्सू में राजपुरा; तथा

(५) राजस्थान में गंगानगर ।

(ग) चलन्तू सिनेमा एककों के कार्यकरण और संधारण पर गत तीन वर्षों में कोई ६५,००० रुपये का व्यय हुआ है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

६१०. **डा० असीम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना कब की जायेगी और उसके निदेश पद क्या होंगे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : जैसा कि १९ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बताया गया था, केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। राष्ट्रपति के आदेश दिनांक ९ अगस्त, १९५२ की एक प्रति, जिसमें उक्त परिषद् द्वारा किये जाने वाले कृत्यों का वर्णन है, सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २२**]

बांसवाड़ा राज्य (टैलीफून)

*६११. **श्री भीखा भाई :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि राजस्थान के भूतपूर्व बांसवाड़ा राज्य में प्रत्येक पुलिस थाना टैलीफून द्वारा बांसवाड़ा नगर में स्थित राज्य पुलिस प्रधान कार्यालय से मिला हुआ था ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो केन्द्र द्वारा उक्त राज्य का कार्यभार संभाले जाने के बाद टैलीफून कनैक्शनों के बन्द कर दिये जाने के कारण; तथा

(ग) क्या इस मामले में सरकार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : भारत सरकार द्वारा बांसवाड़ा राज्य की भूतपूर्व राज्य टैलीफून व्यवस्था को लिये जाते समय केवल परतापपुर, दानपुर और बरोदिया के तीन थानों में टैलीफून द्वारा बांसवाड़ा स्थित प्रधान कार्यालय से मिले हुए थे। यह ज्ञात हुआ है कि भूतपूर्व बांसवाड़ा राज्य के शासनकाल में कुछ अन्य पुलिस थानों में भी टैलीफून कनैक्शन उपलब्ध थे, परन्तु केन्द्र को हस्तान्तरित किये जाने से पूर्व उन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया था।

(ख) समस्त प्रणाली बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में थी और उस की राज्य सरकार को आवश्यकता नहीं थी ।

(ग) जी हां ।

रेलवे में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही

*६१२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत सरकार की विशेष पुलिस संस्था

द्वारा रेलवे में किये गये भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही के फलस्वरूप कितने रेलवे कर्मचारी पकड़े गये और अपराध सिद्ध हुए ;

(ख) अपराध सिद्ध हुए कर्मचारियों की श्रेणी;

(ग) दिया गया दण्ड; तथा

(घ) क्या ऐसे कोई मामले हैं जिन में विभागीय और न्यायिक दोनों प्रकार के दण्ड दिये गये हों ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

चालान किये गये रेल कर्मचारियों की संख्या	१९५०-५१ में	१९५१-५२ में
घोषित (श्रेणी १ तथा २)	७	३
अघोषित (श्रेणी ३ तथा ४)	१४४	१२५
	१५१	१२८
दंडित रेलवे कर्मचारियों की संख्या		
घोषित (श्रेणी १ तथा २)	७	१
अघोषित (श्रेणी ३ तथा ४)	६३	५२
	७०	५३

नोट :— चालान किये जाने से पहले गिरफ्तार किये गये रेलवे कर्मचारियों की संख्या तत्काल ही उपलब्ध नहीं है।

(ख) भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में दंडित रेलवे कर्मचारियों की जो संख्या दी गई है उस में सभी श्रेणियों के कर्मचारी आ जाते हैं।

(ग) इन मामलों में जो दंड दिया गया वह कैद या जुरमाने या दोनों प्रकार का दण्ड था।

(घ) सभी दंडित रेलवे कर्मचारियों को सेवा सम्बन्धी नियमों के अनुसार या तो नौकरी से हटा दिया गया है अथवा उन को निकाल दिया गया है।

छोटी सिंचाई योजनायें

६१३. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने किन राज्यों को छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सन् १९५० के अन्त तक नलकूप बनाने के लिये ऋण दे ने का वचन दिया था ?

(ख) कौन सा राज्य किस मूल्य पर और किन शर्तों पर नलकूप बनवाने को था ?

(ग) इनमें से कितने नलकूप उत्तर प्रदेश में बनाये गये हैं, वह किन जिलों में बनाये गये हैं और कितनों ने पानी देना शुरू कर दिया है ?

(घ) किन जिलों या स्थानों में नलकूप बनाने का काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है या पूरा नहीं हुआ है, और इस में देर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की सरकारों ने तीनों राज्यों में क्रमशः ४००, ३०० और २२५ नलकूप बनाये जाने के लिये मैसर्स एसोसियेटेड ट्यूबवैल्स लिमिटेड से ठेका किया था। प्रत्येक राज्य में ३०० फुट गहरे नलकूप के बनाने का अनुमानित

व्यय, शक्ति पर हुए व्यय के अतिरिक्त, इस प्रकार है :

१. उत्तर प्रदेश	२०,७,००० रुपये
२. बिहार	२०,००० रुपये
३. पंजाब	२५,१२९ रुपये

ठेके की मुख्य शर्तें तथा निर्देश पद ३ सितम्बर, १९५१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में इस सदन में बतलाये गये थे।

(ग) राज्य में बनवाये जाने वाले ४४० नलकूपों में से इतने नलकूप १० दिसम्बर, १९५२ तक बन कर पूरे हो गये थे :—

सीतापुर	३१
खीरी	५९
शाहजहांपुर	३४
फ़ैजाबाद	१२
योग	१३६

बन कर पूरे हो गये नलकूप विद्युत शक्ति से जोड़े जाने के बाद सिंचाई करना प्रारम्भ कर देंगे।

(घ) (१) वह ज़िले तथा स्थान जिन में यह कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है :—

ज़िला	तहसील
सहारनपुर	सहारनपुर
	रुड़की
	नकुड़
	देवबन्द
मुज़फ्फरनगर	मुज़फ्फरनगर
फ़ैज़ाबाद	बिकापुर
गोंडा	गोंडा

(२) वह ज़िले तथा स्थान जहां कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है :—

शाहजहांपुर	पुवांयां
लखीमपुर खीरी	मोहमदी
सीतापुर	मिसरिख
फ़ैज़ाबाद	फ़ैज़ावाद

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था

६१४. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा कृषि कार्य के योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्रफल क्या है, और हाल के वर्षों में इस प्रकार कृषि योग्य बनाई गई भूमि में कितनी अतिरिक्त उपज हुई है ?

(ख) इस समय भारत में काम कर रहे ट्रैक्टरों की संख्या क्या है, और औसतन कितने प्रति वर्ष आयात किये जाते हैं ?

(ग) क्या ट्रैक्टरों को केवल मात्र भूमि को कृषि योग्य बनाने के काम में लाया जा रहा है अथवा उन में से कुछ से कृष्यकरण के बाद होने वाले जुताई कार्य में भी काम लिया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९४७-४८ से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्षों में केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था ने ७,२०,८७० एकड़ भूमि का कृष्यकरण किया है। इन भूमि से होने वाली अतिरिक्त उपज का अनुमान २,१२,००० टन लगाया गया है।

(ख) मई १९५१ में की गई जनगणना के अनुसार वास्तव में खेतों में काम कर रहे और विशिष्टरूप से कृषि कार्यों के लिये काम में लाये जा रहे ट्रैक्टरों की संख्या ८,०२२ थी। राज्यों से अग्रेतर सूचना प्राप्त होने पर इन आंकड़ों में फेर बदल किया जा सकता है।

गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष औसतन ५,१३२ ट्रैक्टर आयात किये गये हैं।

(ग) केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के ट्रैक्टर भारी घिसटन मशीनें हैं और उनसे केवल मात्र भूमि के कृष्यकरण का काम ही लिया जा सकता है। देश में मौजूद अन्य ट्रैक्टरों

के सम्बन्ध में, कुछ को कृष्यकरण के बाद होने वाली जुताई सम्बन्धी कार्य के लिये काम में लाया जाता है। कृष्यकरण के कार्य में लगे और वास्तविक जुताई के कार्य में लगे ट्रैक्टरों की संख्या के सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के ट्रैक्टरों को छोड़ कर, अधिकांश अन्य ट्रैकटर बीच के और हलके प्रकार के हैं और मुख्यतया जुताई के काम में लाये जाते हैं।

तम्बाकू

६१५. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि**मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४८ से १९५२ तक भारत में आयात किये गये तथा यहां से निर्यात किये गये तम्बाकू का वार्षिक परिमाण क्या था, किन देशों से आयात और निर्यात व्यापार किया था और इन आयातों तथा निर्यातों का वार्षिक मूल्य क्या था ?

(ख) सन् १९४८ से १९५२ तक राज्यवार तम्बाकू की सम्पूर्ण उपज क्या रही है, और राज्यवार खपत कितनी रही है ?

(ग) तम्बाकू के आयात और निर्यात से कितनी रक़म शुल्क तथा उपकर के रूप में हमें प्राप्त हुई और गत वर्ष से उनके द्वारा हमारे आयात निर्यात किस प्रकार प्रभावित हुए हैं ?

(घ) प्रति वर्ष तम्बाकू का कितना कूड़ा प्राप्त होता है ?

(ङ) उस को काम में लाने के लिये क्या कोई तरीका खोज निकाला गया है और उस कूड़ को काम में लाने के लिये कया कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तम्बाकू का वार्षिक आयात और निर्यात दिखलाने वाले दो विवरण (संख्या १ और २) सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) तम्बाकू का राज्य-वार उत्पादन तथा खपत दिखलाने वाले दो विवरण (संख्या ३ और ४) सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ग) निर्यात शुल्क केवल सिगारों पर लगाया जाता है और वह १५ प्रति शत मूल्यानुसार होता है। निर्यात शुल्कों से हुई आय (सिगरेटों पर निर्यात शुल्क सन् १९४९-५० में ही लगाया गया था) इस प्रकार है :—

१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
रु०	रु०	रु०	रु०
१७,६३५	१७,२५,६९२	८,७२७	१५,८८६

निर्यात किये गये अनिर्मित तम्बाकू पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत का उपकर मूल्यानुसार लगाया जाता है। इस उपकर से प्राप्त हुई धनराशि को दिखलाने वाला एक विवरण सूचना प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

आयात शुल्क तैयार हुए तथा बिना बने तम्बाकू पर लगाया जाता है। प्राप्त आय इस प्रकार है : —

१९४८-४९	१९४९-५०
रु० ८,७७,२०,४८६	४,८९,२१,३८९ रु०
१९४५०-५१	१९५१-५२
४,६९,८३,९३२ रु०	३,६०,८९,२६३ रु०

गत कुछ वर्षों में आयात आंकड़ों में कोई विशेष विभिन्नता दिखाई नहीं दी

हैं। सन् १९४८ और १९५१ के बीच के वर्षों में तैयार हुए तथा बिना बने तम्बाकू के निर्यात में काफी वृद्धि हुई मालूम होती है।

(घ) और (ङ). कोई २८० लाख पौंड। तम्बाकू के कूड़े का अधिकांश भाग कृषि सम्बन्धी कार्यों में जैसे खाद और कीड़े मारने के लिये, इस्तैमाल किया जाता है। इस तम्बाकू के कूड़े से निकोटिन निकालने की एक प्रणाली, जिसे व्यापारिक रूप से काम में लाया जा सकता है, भारत की पूना स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने हाल ही में खोज निकाली है।

प्रशिक्षण केन्द्र

६१६. **श्री एन० पी० सिन्हा**: (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बेकारों को प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा देने वाले कितने प्रशिक्षण केन्द्र भारत में खोले गये हैं तथा किन स्थानों पर?

(ख) नये भर्ती होने वालों के चुनाव करने का क्या तरीका है?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) अक्तूबर १९५२ के अन्त में प्रविधिक तथा व्यवसायिक विषयों की शिक्षा देने वाले ६२ प्रशिक्षण केन्द्र थे, यह व्यस्क असैनिकों के लिये थे और इन को भारत सरकार का श्रम मंत्रालय चलाता था। उनके नाम तथा स्थान बतलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ख) प्रार्थनापत्र भेजने वालों में से अभ्यर्थियों का चुनाव प्रत्येक क्षेत्र के लिये नियुक्त की गई चुनाव समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति का सभापति उस क्षेत्र का पुनर्संस्थापन तथा सेवानियोजन का संचालक होता है, और समिति में साधारणतया, सभापति के अतिरिक्त मालिकों और कर्मचारियों के दो दो प्रतिनिधि, राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, व्यवस्थापक सभा का एक सदस्य, अनुसूचित जातियों का एक सदस्य, और उस क्षेत्र का प्रशिक्षण उपसंचालक होते हैं।

औद्योगिक आरोग्य विज्ञान (डिप्लोमा पाठ्यक्रम)

६१७. **श्री एस० सी० सामान्त**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी:

(क) क्या यह तथ्य है कि पदोन्नयन समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के हेतु कलकत्ता स्थित अखिल भारतीय आरोग्य विज्ञान तथा लोकस्वास्थ्य विद्यालय में औद्योगिक आरोग्य विज्ञान का एक डिप्लोमा (उपाधि-पत्र) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्रारम्भ किया गया था;

(ग) उपाधि-पत्र देने वाला प्राधिकारी कौन है;

(घ) कितने विद्यार्थियों को अब तक प्रविष्ट किया गया है;

(ङ) कर्मचारी वर्ग की भरती किस प्रकार की गई है; तथा

(च) क्या प्रशिक्षकों में कोई विदेशी विशेषज्ञ भी हैं?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) १ नवम्बर, १९५०।

(ग) कलकत्ता विश्वविद्यालय

(घ) २३।

(ङ) घोषित श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के कर्मचारियों को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भरती किया गया था। अघोषित कर्मचारियों को सदैव की भांति उक्त संस्था के संचालक द्वारा भरती किया गया था। दैहिकीय तथा औद्योगिक आरोग्य विज्ञान के प्राध्यापक के पद के लिये आयोग ने कई अभ्यर्थियों से इन्टरव्यू करने के पश्चात् यह निर्णय किया कि किसी उपयुक्त अभ्यर्थी के भारत में उपलब्ध होने की संभावना नहीं थी और इस पद के लिये किसी को विदेशों से ठेके के आधार पर नियुक्त करना होगा। परन्तु वह इस सम्बन्ध में सहमत हो गया था कि जब तक कोई उपयुक्त व्यक्ति उस पद के लिये न मिले तब तक उस विभाग के सहायक प्राध्यापक को प्राध्यापक के स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त कर दिया जाये। नये प्राध्यापक ने जिस की सेवायें हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्राप्त कराई गई हैं, अपने कार्यभार को संभाल लिया है।

(च) जी हां, जैसा कि ऊपर बताया गया प्रशिक्षकों में एक विदेशी विशेषज्ञ है।

आसाम में सामान का ले जाया जाना

६१८. **श्री बेजी राम दास** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में कितना माल कलकत्ते से आसाम को जहाज़ तथा रेल गाड़ियों द्वारा पृथक पृथक ले जाया गया ?

(ख) उसी अवधि में आसाम का कितना जूट और चाय जहाज़ों तथा रेलगाड़ियों द्वारा कलकत्ता ले जाया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में इतना माल कलकत्ते से आसाम को ले जाया गया :—

	१९५०-५१	१९५१-५२
	मन	मन
केवल रेल मार्ग द्वारा	१८,८१,१८१	२०,९८,८१९
रेल तथा नदी द्वारा	१२,१८,८५८	१९,७२,८९५
केवल जल मार्ग द्वारा	६९,८१,१४२	५१,२७,१०५
योग	१,००,८१,१८१	९१,९८,८१९

(ख) आसाम से कलकत्ता को भेजे गये जूट तथा चाय की परिमात्रा इस प्रकार है :—

	१९५०-५१	
	जूट मनों में	चाय मनों में
केवल रेल मार्ग द्वारा	३,१८,१५१	९७,१३६
रेल तथा नदी द्वारा	९,८३,४४५	१०,५०,११४
केवल जल मार्ग द्वारा	२१,५४,११९	२३,२९,२३४
योग	३४,५५,७१५	३४,७६,४८४

	१९५१-५२	
	जूट मनों में	चाय मनों में
केवल रेल मार्ग द्वारा	७,६०,३०७	७१,०७९
रेल तथा नदी द्वारा	४,६०,४९५	१३,५६,८७५
केवल जल मार्ग द्वारा	१८,४७,४३९	१६,७४,७३८
योग	३०,६८,२४१	३१,०२,६९२

डाक तथा तार विभाग में आंग्ल-भारतीय

६१९. **श्री फ्रैंक एन्थोनी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वित्तीय वर्ष १९४६-४७ में डाक तथा तार विभाग में सेवायुक्त किये गये आंग्ल-भारतियों की संख्या ;

(ख) सन् १९४६-४७ में विभाग में भरी गई सम्पूर्ण रिक्तियों से इस बताई गई संख्या की प्रतिशतता ;

(ग) वित्तीय वर्ष १९५०-५१ में इस विभाग में सेवायुक्त किये गये आंग्लभारतीयों की संख्या ;

(घ) सन् १९५१-५२ में विभाग में भरी गई सम्पूर्ण रिक्तियों से इस बताई गई संख्या की प्रतिशतता ;

(ङ) वित्तीय वर्ष १९५१-५२ में इस विभाग में सेवायुक्त किये गये आंग्लन भारतीयों की संख्या; तथा

(च) सन् १९५१-५२ में विभाग में भरी गई सम्पूर्ण रिक्तियों से इस बतलाई गई संख्या की प्रतिशतता ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : कदाचित माननीय सदस्य तार बाबुओं की पदाली के सम्बन्ध में, जिस में कि आंग्ल-भारतीयों को सुरक्षण प्राप्त है, सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। सूचना इस प्रकार है :—

(क) ९ ।

(ख) ४·०० प्रतिशत

(ग) ६।

(घ) स्पष्टतया सन् १९५०-५१ सम्बन्धी सूचना अपेक्षित है। इस वर्ष सम्बन्धी अपेक्षित सूचना ५·०० प्रतिशत है।

(ङ) कोई नहीं।

(च) कोई नहीं।

शिकायत पुस्तक

६२०. **श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चलती गाड़ियों में रेलवे गार्डों के पास यात्रियों की सुविधा के लिये कोई शिकायत पुस्तकें रखी जाती हैं जिस में कि वह अपनी शिकायतें लिख सकें, और यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने की कोई प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): प्रत्येक रेलवे के मुख्य प्रबन्धकों के विवेकानुसार शिकायत पुस्तक या तो सभी स्टेशनों पर अथवा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रखी जानी अपेक्षित हैं। रेलवे ने चलती गाड़ियों के गार्डों को शिकायत पुस्तकें नहीं दी हैं और न ऐसा करने की कोई प्रस्थापना ही है। उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी रेलवे कुछ महत्व-पूर्ण ट्रेनों के गार्डों को शिकायत पुस्तक देती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (विशेषज्ञ)

६२१. **डा० रामा राव :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि अब तक कितने विकित्सा विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत को भेजे गये हैं?

(ख) प्रत्यक की योग्यतायें क्या हैं, वह भारत में क्या कार्य कर रहे हैं तथा कहां ?

(ग) उन में से कितने अपने अन्य कार्यों के साथ भारतीयों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी करते हैं ?

(घ) उन में से प्रत्येक को कितना पारिश्रमिक दिया जात है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ७७

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ग) थोड़े समय के लिये नियुक्त किये गये कुछ व्यक्तियों के अतिरिक्त, जिनको परिमाप कार्य करने के काम पर नियुक्त किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिनियुक्त समस्त अन्तर्राष्ट्रीय कर्म-चारीवर्ग इस देश के कर्मचारीवर्ग को प्रशिक्षित करने का कार्य अपने कृत्यों के एक भाग की भांति करते हैं।

(घ) कर्मचारीवर्ग का वेतन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार या राज्य सरकारें केवल मात्र यह व्यय वहन कर रही हैं :—

(१) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को एक वर्ष या उस से अधिक समय के लिये दिये गये क्षेत्र कर्मचारीवर्ग तथा उन के आश्रितों के निवास के लिये उपयुक्त स्तर के निवासस्थानों की व्यवस्था करना; तथा

(२) कार्य स्थान से सरकारी काम के सिलसिले में देश के अन्दर यात्रा करने का व्यय, तथा कार्य स्थान से किसी अन्य स्थान की यात्रा करने पर एक दैनिक निर्वाहभत्ता।

मालाबार में ट्रेनों के समयों में परिवर्तन

*६२२. **श्री ई० इय्यूनी**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालाबार में ट्रेनों के समयों का पुनरीक्षण किये जाने के परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): जी हां, मालाबार की जनता की ओर से ट्रेन संख्या ७१८, मंगलौर–कालीकट सवारी गाड़ी के १ अक्तूबर, १९५२ से बदले गये ट्रेन टाइमों के सम्बन्ध में प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं। उक्त ट्रेन टाइम को १-१२-५२ से बदल देने के सम्बन्ध में प्रबन्ध कर दिये गये हैं। अब ट्रेन संख्या ७१८ का ट्रेन टाइम प्रायः वही रहने दिया जायेगा जो १-१०-५२ से पूर्व था।

क्लोरोमाईसिटीन

६२३. **श्री एम० एल० अग्रवाल**: (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या मोतीझारा बुखार के लिये कलोरोमाईसिटीन की विशिष्ट औषधि के रूप में उपयोगिता की भारत में जांच की जा चुकी है?

(ख) किन अन्य रोगों में यह औषधि लाभदायक सिद्ध हुई है?

(ग) भारत में इस के प्रदाय स्रोत क्या हैं और क्या भारत सरकार इसे बनाने के लिये भारत में कोई फ़ैक्टरी स्थापित करने का विचार कर रही है?

(घ) भारत में यह किस मूल्य पर उपलब्ध है?

(ङ) इस उद्देश्य से, कि यह औषधि साधारण जनता को कम मूल्य पर प्राप्त हो सके, भारत सरकार इस के वर्तमान मूल्य को कम करने के लिये क्या कार्यवाही, यदि कोई, करने का विचार करती है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):

(क) जी हां।

(ख) इन रोग संचारों के लिये इसे उपयोगी पाया गया है :—

(१) दण्डाण्वीय (बैसिलरी) तथा गोलाणुवीय (कोकल) मूत्र (यूरिनरी) रोग संचार (इन्फ़ेक्शन)

(२) तरंगग बुखार (अनड्युलैण्ट फ़ीवर)।

(३) व्रणीय (अल्सरेटिव) मलाशय कोप (कोलाईटिस)।

(४) शाकाण्वीय क्लोमपाक (बैक्टीरियल निमोनिया)।

(५) प्रारम्भिक प्रारूपिक क्लोमपाक (प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया)।

(६) लसीकोशा कणिकाण्वीय रजितरोग (लिम्फ़ोग्रन्यूलोमा वैनीरियम)।

(७) कणिकाण्वीयरोग (ग्रेन्यूलोमैन गाईनेल)।

(८) प्रषञ्ज्वर (टाईफ़स)।

(९) कुकुरखांसी (व्हूपिंग कफ़)।

(ग) यह औषधि आजकल पूर्ण रूप से आयात की जाती है और भारत में बनाई नहीं जाती है। इस को भारत में बनाना प्रारम्भ करने के लिये भारत सरकार ने एक प्राइवेट सार्थ की योजना को स्वीकार किया है।

(घ) इस औषधि को ०.२५ ग्राम वाली १२५ गोलियों की शीशी का बाज़ार मूल्य २६ रुपये प्रति शीशी है।

(ङ) भारत सरकार इस देश के भेषजीय उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिये जांच समिति नियुक्त कर रही है। यह समिति सारभूत औषधियों जैसे क्लोरो माईसिटीन के लिये ली जाने वाली क़ीमतों के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

रेलवे कर्मचारी

६२४. **श्री एस० एल० अग्रवाल:** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि ओ० टी० रेलवे (अब उत्तर पूर्वी रेलवे) के महाप्रबन्धक ने एक अधिसूचना संख्या १, जो कि ओ० टी० रेलवे के सन् १९५१ के विशेष धोषणा-पत्र संख्या ४ दिनांक बृहस्पतिवार ८ नवम्बर, १९५१ में प्रकाशित हुई थी, के द्वारा अविभाजित भारत के सरकार के उन कर्मचारियों से, जिन्होंने अन्त में पाकिस्तान में नौकरी करने का विकल्प दिया था परन्तु जिन को बाद में हुई घटनाओं के कारण या तो पाकिस्तान में अपनी नौकरियां छोड़ देनी पड़ी थीं अथवा उन को वहां उनकी नौकरियों पर जाने से रोका गया था, उन के विवरण मांगे थे?

(ख) उक्त अधिसूचना को निकालने का क्या उद्देश्य तथा प्रयोजन था?

(ग) कितने व्यक्तियों ने मांगे गये विवरण प्रस्तुत किये?

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया है?

(ङ) इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां। रेलवे गज़ट में प्रकाशित उक्त अधिसूचना सरकारी प्रेस नोट दिनांक २९ सितम्बर, १९५१ का पुनः मुद्रण मात्र थी।

(ख) वह प्रेस नोट कुछ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, उन के अन्तिम विकल्प को वस्तुतः पुरावर्त करने तथा इस में अन्तर्गत वित्तीय उलझनाओं के प्रश्न की जांच करने के विचार से कुछ आवश्यक सूचना एकत्रित करने के लिये निकाला गया था।

(ग) कोई १७० गैर-मुस्लिम।

(घ) और (ङ). उन के मामले अभी भी विचाराधीन हैं। जब तक पाकिस्तान सरकार से अन्योन्य आधार पर कोई करार नहीं हो जाता है तब तक कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है।

"अधिक अन्न उपजाओ" योजनायें

६२५. **श्री किरोलिकर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक अन्न उपजाओ के आन्दोलन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा राज्यों को दिये गये ऋणों में से हुए वास्तविक व्ययों के आंकड़ों के सम्बन्ध में राज्यों से सूचना प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार व्यय के आंकड़ों को सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ;

(ग) मध्य प्रदेश की मूल ग्राम योजना के अन्तर्गत कितने मूल कृषि फ़ार्म केन्द्र स्थापित किये गये हैं, और इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से उक्त राज्य को कितनी राजकीय सहायता दी गई है ;

(घ) क्या सरकार ने चौड़े फल वाले हलों से जुताई करने के प्रयोग किये हैं; तथा

(ङ) यदि प्रयोग सफल होता है तो क्या सरकार किसानों द्वारा काम में लाये जाने के लिये भारी चौड़े फल वाले हलों को क्रय करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) और (ख). जी हां। जितनी भी सूचना उपलब्ध है उसे बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २६]**

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने १९५१-५२ में कोई मूल ग्रामयोजनायें भारत सरकार के अनुमोदन के लिये नहीं भेजी थीं। तथापि मध्य प्रदेश सरकार की एक मूल ग्राम योजना पहले से ही उस राज्य में चालू है।

(घ) जी हां।

(ङ) सन् १९५०-५१ के कृष्यकरण मौसम (जनवरी से जून १९५१) में भारी चौड़े फल वाले हलों और चौड़े फलवाले हेंगों से कांस घास को निकालने में उन की उपयोगिता की जांच करने के हेतु परीक्षण किये गये थे। चौड़े फल वाले हेंगों को कांस निकालने के लिये अनुपयुक्त पाया गया जहां तक चौड़े फल वाले हलों का सम्बन्ध है, टाऊनर प्रकार के चौड़े फल वालों से किये गये परीक्षण सफल रहे। इसलिये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा किये जाने वाले कृष्यकरण सम्बन्धी कार्य के कुछ टाऊनर प्रकार के चाड़ फल वाले हलों को क्रय करने का निर्णय किया गया।

जो परीक्षण किये गये हैं उन्होंने भूमि के कृष्यकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली गहरी जुताई के लिये इन हलों की उपयोग्यता को निश्चित रूप से प्रमाणित कर दिया है। कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये चौड़े फल वाले हलों की उपयोगिता को निश्चित करने के लिये परीक्षण अभी नहीं किये गये हैं। अत: कृषकों के लिये उनको खरीदने का प्रश्न जिन को हलों की ज़रूरत केवल माल खेती करने के लिये ही होती है, उठता नहीं है।

आसाम रेल कड़ी

६२९. **श्री बर्मन:** (क) क्या **रेल** मंत्री उन दावों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो वर्तमान उत्तर पश्चिमी रेलवे के विरुद्ध सन् १९५०, १९५१, और १९५२ में सिलीगुडी-हलदीबाडी सैक्शन के स्टेशनों के लिये भेजे गये माल के चालानों में कमी हो जाने, उन के खो जाने या उन को नुकसान पहुंचने के सम्बन्ध में कितने दावे किये गये हैं ?

(ख) कितनी अदालती डिगरियों का भुगतान होना सितम्बर १९५२ तक शेष था

और सन् १९५० , १९५१ और १९५२ में कितनी बार जलपाईगुड़ी स्टेशन का नक़द रुपया इन डिगरियों के भुगतान के लिये कुर्क किया जा चुका है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का निर्देश उत्तर पूर्वी रेलवे से है उत्तर पश्चिमी से नहीं । सिलीगुड़ी–हल्दीबाड़ी सैक्शन के स्टेशनों के लिये चालान किये गये माल की कमी, हानि तथा घटी के सम्बन्ध में उत्तर पूर्वी रेलवे के विरुद्ध जो दावे किये गये थे उनकी संख्या सन् १९५० और १९५१ में क्रमश: १,३२५ और १,२७० थी और अक्तूबर १९५२ तक उन की संख्या १,११४ थी ।

(ख) सितम्बर १९५२ तक न भुगतान की गई अदालती डिगरियों की संख्या ६ थी और सन् १९५० और १९५१ में जितने अवसरों पर जलपाई गुड़ी रेलवे स्टेशन की नकदी इन डिगरियों के बदले कुर्क की गई उन की संख्या क्रमश: ३८ और ६० थी और अक्तूबर १९५२ तक ४० थी ।

मानसी-सहरसा रेलवे लाइन

६३०. श्री एल० एन० मिश्र : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मानसी और सहरसा बिहारके मध्य की रेल लाइन को, मानसून के मौसम में यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने के लिये सुधारने कोई प्रस्थापना है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उस योजना का विस्तृत ब्योरा क्या है ।

(ग) क्या इस रेल लाइन पर स्थित "कुरसैला पुल" को बढ़ाया तथा सुधारा जायेगा ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) मानसी और कोपारिया के बीच स्थित तीन वर्तमान ढलानों में पहले ढ़लान को रेलवे ट्रेन के मानसी से ६½ मील और आगे ले जाने के लिये और देशी नावों में की जाने वाली यात्रा को कम करने के विचार से भर देने की प्रस्थापना है ।

(ग) कुरसैला पुल का विस्तार करने की इस समय कोई योजना नहीं है उस के बचाव पुश्तों को ठीक करने के विचार से आदर्श परीश्रमों के किये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

सेलून

६३१. श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर पूर्वी रेलवे के आसाम वाले भाग में सैलूनों की संख्या क्या है ;

(ख) उक्त रेलवे के आसाम वाले भाग की आवश्यकताओं के लिये कितने अतिरेक हैं ; तथा

(ग) उक्त रेलवे के आसाम वाले भाग में ऊंची श्रेणी के रेल डब्बों की कितनी कमी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अब वहां ४ बोगियां और १६ छै पहिये वाली निरीक्षण गाड़ियां हैं ।

(ख) कोई भी आवश्यकता से अतिरेक नहीं है ।

(ग) उत्तर पूर्वी रेलवे के आसाम वाले भाग में ऊंची श्रेणी के रेल डब्बों की कोई कमी नहीं है ।

इट्टीकुलम पत्तन

६३२. श्री एन० पी० दामोदरन : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी किनारे पर कनानौर से उत्तर में स्थित इट्टीक्कुलम को

एक मुख्य पत्तन की भांति विकसित किये जाने की संभावना पर विचार किया है ;

(ख) इट्टीक्कुलम को एक मुख्य पत्तन के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में क्या सरकार को कोई प्रतिविधान प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार ने उन प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; तथा

(घ) क्या इट्टीक्कुलम को एक मुख्य पत्तन के रूप में विकसित किये जाने की संभावनाओं की जांच की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) जी नहीं ।

उड़ीसा से चावल का निर्यात

६३३. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत पांच वर्षों में से प्रत्येक में उड़ीसा से प्रत्येक अभाव वाले राज्य को निर्यात की गई चावल की सम्पूर्ण परिमात्रा ;

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक अभाव वाले राज्य द्वारा उस को दिये गये चावल के मूल्य स्वरूप कितनी रकम दी गई ; तथा

(ग) उसी अवधि में उड़ीसा राज्य को उस की चावल की राशन दुकानों के लिये दी गई राजकीय सहायता की सम्पूर्ण राशि ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) किसी भी राज्य को चावल की राशन दुकानों के लिये कोई राजकीय सहायता नहीं दी जाती है ।

पुल्लम पेटा हाल्ट

६३४. **डा० गंगाधर शिवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं कि कडुप्पा जिले में स्थित पुल्लमपेटा हाल्ट को एक नियमित स्टेशन बना दिया जाये ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या कोई परियाण परिमाप किया गया है और यदि हो, तो उक्त परिमाप का ब्यौरा क्या है और कितने समय तक के लिये उसे बढ़ाया गया है ;

(घ) क्या किन्हीं स्थानीय व्यक्तियों से उक्त परिमाप कार्य में सहायता देने के लिये कहा गया है ; तथा

(ङ) उक्त प्रस्थापना को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) पुल्लमपेटा हाल्ट को एक फ़्लैग स्टेशन में बदल देने का निश्चय किया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

(ङ) यह बदल देने का कार्य सन् १९५३-५४ में किया जायगा ।

बीड़ी श्रमिक (कटौती)

६३५. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित

मजूरियों में से मालिकों द्वारा क्या कटौतियां किये जाने की अनुमति है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि मध्य प्रदेश के बीड़ी बनाने वाले उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बीड़ी मजूरों के लिये नियत की गई न्यूनतम मजूरियों में से कोई ३३ प्रतिशत तक कटौतियां करते रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ की धारा ७ में निर्दिष्ट कटौतियों के किये जाने की अनुमति है ।

(ख) यह समझा जाता है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित की गई न्यूनतम मजूरियों में से कटौतियां नहीं की जाती हैं ; परन्तु जो बीड़ियां निश्चित प्रभाव की नहीं होती हैं वह निकाल दी जाती हैं और स्वीकृत बीड़ियों के लिये मजूरियों की निम्नतम दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है ।

यात्री सुविधायें

६३६. श्री एच० जी० वैष्णव: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ और १९५२ में हैदराबाद राज्य में स्थित केन्द्रीय रेलवे की मीटरगेज प्रणाली (पहले वाली एन० एस० रेलवे) में रेलवे यात्रियों को सुविधायें देने के लिये कितनी रकम व्यय की गई है ?

(ख) उनको क्या सुविधायें दी गई हैं ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सन् १९५०-५१ में व्यय ३,९८,३४६ रुपये हुआ था । सन् १९५१-५२ में उसके ३,७५,८०५ रुपये होने की प्रत्याशय है ।

(ख) विभिन्न स्टेशनों पर जो सुविधायें दी गई हैं उन में यह सम्मिलित हैं :—

(१) यात्री-प्लेटफार्मों पर छतों का

(२) उपहार गृह

(३) पानी ठंडा करने के यंत्र, पीने के पानी के सुरक्षित स्थान और फुआरे में स्नान करने की सुविधा,

(४) प्रतीक्षालय,

(५) स्टेशन आने वाली सड़कें बनाना और उन पर बिजली की बत्तियां लगाना,

(६) यात्री-प्लेटफार्मों को बढ़ाना, उनके धरातल को ठीक करना, उनको ऊंचा करना, और बिजली लगाना और यात्री-प्लेटफार्मों के ऊपर छत डालना तथा अन्य सुधार करना,

(७) टिकट घरों की संख्या को बढ़ाना तथा उनमें परिवर्तन करना,

(८) प्लेटफार्म पर बेंचें लगाना, अतिरिक्त नाम-पटलों को लगाना इत्यादि,

(९) प्रतीक्षालयों और उपाहारगृहों को सुधारना,

(१०) स्टेशन की नई इमारतें बनाना,

(११) स्टेशन की इमारत और प्लेटफार्मों पर बिजली लगाना, प्रकाश प्रबन्धों में सुधार करना और स्टेशन के प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में अतिरिक्त छत वाले पंखों की व्यवस्था करना और स्टेशन की दुकानों और उपाहारगृहों में प्रकाश तथा पंखों की व्यवस्था करना ।

(१२) मीटरगेज की गाड़ियों में तीसरे श्रेणी के डिब्बों में उत्तम प्रकार की प्रकाश तथा पंखों सम्बन्धी व्यवस्था करना ।

श्रम कल्याण परामर्शदाता

६३७. पंडित एम० बी० भार्गव: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी रेलवे में एक नवम्बर १९५२ को कार्य करने वाले श्रमकल्याण परामर्शदाताओं की संख्या ·

(ख) क्या यह तथ्य है कि मार्च १९५१ के प्रारम्भ में रेलवे पर्षद् ने पश्चिमी रेलवे में श्रम कल्याण संगठन का विस्तार किये जाने की स्वीकृति दी थी;

(ग) क्या यह तथ्य है कि कई चुनाव पर्षदों के अनपेक्ष भी, पश्चिमी रेलवे प्रशासन श्रम कल्याण परामर्शदाताओं की अपेक्षित संख्या का चुनाव करने में असफल रहा है; तथा

(घ) क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है, और यदि हां, तो कब तक उक्त संगठन के पूर्ण रूप से कार्य करने की संभावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पश्चिमी रेलवे में १-११-५२ को कार्य करने वाले श्रम कल्याण परामर्श-दाताओं की संख्या १० थी ।

(ख) जी हां, फ़रवरी १९५१ में ।

(ग) जी हां, जितने व्यक्तियों का चुनाव किया गया है वह इस श्रेणी के लिए अपेक्षित संख्या ३० से केवल ३ कम है ।

(घ) सभी संभव कार्यवाहियां कर ली गई हैं और विस्तारित संगठन में कर्मचारियों की संख्या के इस मास के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

नागपुर-नागमीर रेलवे लाइन

६३८. **श्री जसानी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागपुर-नागमीर रेलवे लाइन को वर्तमान छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन में बदल देने के लिए किया गया परिमाप कार्य इस लाइन को भैरामगढ़, जगदलपुर, विज़गापटनम रेल पथ द्वारा बलियाडीला की लोहे की खानों को काम में लाने की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिमाप कार्य कब किया गया था; तथा

(ग) क्या निकट भविष्य में इस रेलवे लाइन के बनाये जाने की कोई संभावना है ?

रेल तथा यातायात उप मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सन् १९४५-४८ में ।

(ग) जी नहीं ।

कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम

६३९. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह एक तथ्य है कि भारतीय जूट मिल संस्था ने सरकार से उस की सदस्य मिलों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों से मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय जूट मिल संस्था का वास्तव में प्रस्ताव क्या है और क्या सरकार ने उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ग) क्या इसी मामले के सम्बन्ध में सरकार को बंगाल चटकल मज़दूर संघ की ओर से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है; तथा

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रममंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय जूट मिल संस्था का प्रस्ताव यह है कि क्योंकि संस्था के सदस्यों ने अपनी भविष्य निधि योजनाओं में सुधार कर लिया है और, यदि आवश्यक हुआ तो कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के अनुसार अग्रेतर सुधार करने को प्रस्तुत हैं इसलिए उनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के प्रवर्त्तन से मुक्त कर दिया जाये । मुक्त प्रार्थनाओं को प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों,

राज्य सरकारों तथा कमकर संघों के परामर्श से जांच की जा रही है। इन प्रार्थनापत्रों के निपटारा होने तक के समय के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उस अधिकार के अनुसार, जो उसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैराग्राफ ७९ के अन्तर्गत दिये गये हैं, जूट मिलों को (जिन्होंने ३१ अक्तूबर, १९५२ से पूर्व मुक्त किये जाने के प्रार्थना पत्र भेजे थे) इस योजना के उपबन्धों में कुछ ढ़ील दे दी है।

(ग) और (घ). बंगाल चटकल मज़दूर संघ ने भारतीय जूट मिल संस्था की सदस्य मिलों को अधिनिय के उपबन्धों से मुक्त किये जाने के दावे का विरोध किया है, और यह विरोध विशेष रूप से इस आधार पर किया गया है कि निधियों की प्रशासन व्यवस्था मिलों के प्रबन्धकों को नहीं सौंपी जानी चाहिए अपितु उक्त अधिनियम में प्रस्तावित उपयुक्त प्राधिकारी को हस्तान्तरित की जानी चाहिए। यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

पोदू कृषि

६४०. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) 'क्या यूनैस्को' के प्रतिनिधि डा० जे० डी० एन० बरस्ल्यूर्हेज़ ने सितम्बर १९५२ में यह देखने के लिए कि उडीसा सरकार ने पोदू की कृषि के लिए क्या कार्यवाही की है उड़ीसा का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंन उड़ीसा सरकार से परामर्श किया है; तथा

(ग) उड़ीसा में पोदू की कृषि के सम्बन्ध में उनके विचार क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा सरकार न रिपोर्ट दी है कि उन्होन पोदू की कृषि के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सुझाव दिये हैं।

अखिल भारतीय नाविक संघ

६४१. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय नाविक संघ के किसी प्रतिनिधि मंडल ने यातायात मंत्री से भेंट की है; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधियों ने उनके समक्ष क्या प्रस्थापनायें रखो हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्थापनायें नाविक सेवायोजनालयों के स्थापित किये जान, ऐशिया के प्रादेशिक समुद्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल के भेजे जाने और उन नाविकों को जो एक वर्ष से अधिक समय से बकार है, निःशल्क चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए माग समझे जान के सम्बन्ध में थीं।

गेरुई

६४२. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग :

(क) क्या सरकार कोई गेरुई आयात कर रही है; तथा

(ख) भारत में कृतिम रूप से गेरुई उत्पन्न करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) गेरूई एक प्रकार का परोपजीवी फ़ुंगी 'क्लेवीसैप्स परप्यूरिया" का सूखा हुआ कड़ा छिलका (स्क्लोरोटियम) है. जो राई के पौधों के फ़ूलों पर पनपता ओर उनको रोग ग्रसित करता है। गेरूई को पहले से हो

मद्रास राज्य में उत्पन्न किया जा रहा है और सरकार से उसकी प्रदाय को बढ़ाने का परामर्श किया गया है। आसाम सरकार द्वारा भेजी गई भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से आर्थिक सहायता दी जाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। गेरूई के विकास को पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई एक योजना में सम्मिलित किया गया है।

जिला चिकित्सा अधिकारी

६४३. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि दो चिकित्सा अधिकारियों को, जिन्हे आयुवाद्धक्यता के कारण सेवानिवृत्त कर दिया गया था, उत्तरी रेलवे में पुनः सेवायुक्त कर लिया गया था, और यदि हां, तो क्यों;

(ख) क्या इन नियुक्तियों ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति पर प्रभाव डाला है;

(ग) क्या सरकार पुनः नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नामों तथा उनके ऊपर व्यय की गई अतिरिक्त धनराशि के ब्यौरे को सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है;

(घ) क्या यह भी एक तथ्य है कि उन्होने (पुनः नियुक्त गये व्यक्तियों ने) अपने सेवाकाल के पुनः बढ़ाय जाने की प्रार्थना की है, यदि ऐसा है, तो क्या उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है; तथा

(ङ) क्या आयु वाद्धक्यता के कारण सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करन की कोई प्रणाली है, और यदि है, तो क्या सभी प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर इसी प्रकार विचार किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव वाले कोई भी सेवायुक्त चिकित्सा अधिकारी उत्तरी रेलवे में नियुक्त किये जाने के लिए उपलब्ध नहीं थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) डा० आर० सी० महाजन और डा० एच० ऐस० छाची; इस सम्बन्ध में कोई भी अतिरिक्त धनराशि व्यय नहीं करनी पड़ी।

(घ) जी हां, थोड़ी अवधियों के लिए, उन श्रेणियों में जिनमें सेवायुक्त कर्मचारियों में से कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है अथवा जिनमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर उनके गुणों के अनुसार विचार किया जाता है।

मैसूर की खानों पर ईंटें बनाने वाली कम्पनी

६४४. **श्री तिमैंटया** : क्या श्रम मंत्री यह बतलान की कृपा करेंग कि क्या यह तथ्य है कि कोलार सुवर्ण क्षेत्र में स्थित मैसूर की खानों पर ईटें बनाने वाली कम्पनी को बन्द कर दिया गया है, और यदि ऐसा है, तो इसके कारण ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : जी हां : फैक्टरी को बन्द कर दिया गया है क्योंकि यह ज्ञात हुआ था कि वह घाटे पर चल रही थी।

गोबध

६४५. **सरदार एस० एस० सहगल** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उस समिति की, जिसे भारत में गोवध रोकन के साधनों तथा तरीकों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में हो, तो सरकार को उन सिफा-

रिशों को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

(ग) क्या यह एक तथ्य है कि सरकार पशुओं के अननुमत तथा अनधिकृत बध के सम्बन्ध में इस मामले की अग्रतर जांच कर रही है ?

(घ) क्या सरकार पशुबध को रोकने के लिए कोई क़ानून बनाने की प्रस्थापना करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). भारत सरकार ने देश के पशुधन को सुरक्षित रखने और उसके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक कार्य-योजना पर विचार करने और उसके सम्बन्ध में सिपारिशें करने के लिए एक विशषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर १९४८ में दे दी थी। रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों में परिचारित की गई थीं। समिति ने उक्त रिपोर्ट में यह सिपारिश की थी कि भारत में पशुबध किया जाना किसी भी परिस्थिति में वांछनीय नहीं था और उसका निषेध क़ानून द्वारा लागू किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, समिति ने इन उपायों का सुझाव दिया था :—

(१) नीचे दिये गये प्रकार के पशुओं के अतिरिक्त सभी उपयोगी पशुओं के वध पर पूर्ण निषेध होना चाहिए :

(क) १५ वर्ष से अधिक आयु के तथा कार्य करन और प्रजनन के लिए अयोग्य पशु,

(ख) किसी भी आयु के पशु जो आयु, चोट अथवा विकृति के कारण कार्य करने अथवा प्रजनन के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हों।

(२) पशुओं के अननुमत तथा अनधिकृत बध को अविलम्ब बन्द कर दिया जाना चाहिये और उसे क़ानून के अन्तर्गत एक हस्तक्षेप अपराध समझा जाना चाहिए।

(३) पशुबध का पूर्णतया निषेध करने वाले क़ानून को यथा संभव शीघ्र लाग किया जाना चाहिए, परन्तु प्रत्येक परिस्थिति में विधान के पारित होन के दो वर्ष के भीतर ही उसे लागू किया जाय, और इस अवधि में कार्य के अयोग्य तथा सूखे पशुओं की देख रेख के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर दी जानी चाहिए।

भारत सरकार ने अधिकांश राज्य सरकारों की सम्पति ज्ञात करने के पश्चात प्रथम दो सिपारिशों को स्वीकार कर लेने का निर्णय किया है। क्योंकि पशुबध का निषेध राज्य सरकारों के विधान निर्माित्री अधिकारों के अन्तर्गत है इसलिए एक आदर्श विधयक को प्रारूप बनाकर उसे राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किये जाने के लिए भेजा गया था।

समिति की तीसरी सिफारिश के सम्बन्ध में, उक्त मामले को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के परामर्श से अग्रेतर जांच की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि पशुओं के अविवेक बध पर प्रतिबन्ध लगाना हानिपूर्ण नीति होगी जिससे न केवल देश के खाल तथा चमड़े के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ैगा अपितु उससे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अतिहानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अतः राज्य सरकारों को परामश दिया गया था कि समस्त बेकार तथा अनुत्पादक पशुओं की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त संख्या में गोसदनों की व्यवस्था किये बिना राज्य में बेकार तथा अनुत्पादक पशुओं के बध पर कोई क़ानूनी प्रतिबन्ध न लगाया जाय।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने गो संवर्द्धन की केन्द्रीय परिषद् से, जिसे हाल ही में नियुक्त किया गया है, भारत में पशवध की समस्त समस्या का पुनरीक्षण करने को

प्रार्थना की है और जब भी कोई निणय होगा वह बता दिया जायगा।

बेकारी

६४६. **श्रीमती सुश्ना सेन** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास देश में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती बेकारी के नवीनतम आंकड़े हैं ?

(ख) जनसंख्या को कौन सी श्रेणियां बेकारी से सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं ?

(ग) क्या सरकार बेकारी के राज्य-वार तथा उद्योग-वार आंकड़ देने की स्थिति में है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) बेकारी के सम्बन्ध में जो केवलमात्र आंकड़े सरकार को प्राप्त हैं वह सेवायोजनालयों द्वारा दिये हुए हैं जिनके यह सभी को विदित है, कृत्य तथा कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित है। सेवा योजनाओं में पंजीबद्ध करना एक एच्छिक बात है। देहातों तथा नगरीय बेकारी के आंकड़े संभवतः और भी अधिक हैं।

(ख) विश्वस्त आंकड़ों के न होने के कारण यह बताना कठिन है कि कौन सी श्रेणी सब से अधिक प्रभावित हुई है।

(ग) जी नहीं।

वन उपयोगिता सम्बन्धी कन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद

६४७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) क्या सन् १९४८ में वन उपयोगिता सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद् के पुनः संगठन के पश्चात् क्या पर्षद् के विधान तथा कृत्यों में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध म अब वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या हाल ही में भारत सरकार ने पर्षद् की एक कार्यपालिका समिति नियुक्त की है ;

(घ) यदि ऐसा है, तो उस समिति के क्या निश्चित कृत्य तथा विधान होंगे; तथा

(ङ) क्या पर्षद् अथवा उसकी कार्यपालिका समिति ने सरकार की बन सम्बन्धी नीति के विषय में किसी परिवर्तन का सुझाव दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं, वन उपयोगिता सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद् सन् १९४९ (सन् १९४८ में नही) में पुनः संगठित की गई थी और उस समय से उसके कृत्यों तथा विधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) जी हां।

(घ) कार्यपालिका समिति के कृत्य हैं वन उत्पादों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य को संचालित करने के लिए प्रभावी प्रबन्ध करना और उत्पादन प्रयोजनों के लिए अनुसन्धान कार्य से प्राप्त परिणामों को काम में लाना। समिति की बनावट इस प्रकार है :–

(१) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संचालक-सभापति।

(२) पर्षद् म भारतीय व्यापार तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधि।

(३) पर्षद् में वाणिज्य तथा मंत्रालय के प्रतिनिधि।

(४) वनों के इन्स्पैक्टर जनरल।

(५) वन अनुसन्धान विद्यालय तथा महाविद्यालय, देहरादून के अध्यापक।

(६) वन शिक्षा तथा प्रचार संचालक तथा वन अनुसन्धान विद्यालय तथा महाविद्यालय के सम्पर्क पदाधिकारी--सचिव

(ङ) पर्षद् अथवा कार्यपालिका समिति का यह कृत्य नहीं है ।

रेलवे की भूमि

६४८. **श्री रामानन्द शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेलवे की फालतू भूमि में खेती करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे यह किया गया है;

(ग) क्या इस विषय में राज्य सरकार से कोई पत्र व्यवहार हुआ है, तो क्या, कब और कितनी बार हुआ है;

(घ) यदि कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो क्यों;

(ङ) क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही की गई है जो इस प्रकार की भूमि को गत चार या पांच वर्षों से बिना कोई लगान दिये जोतते आ रहे हैं; तथा

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सन् १९४९ से यह भूमि खंड स्थानीय रेलवे कर्मचारियों अथवा अन्य कृषकों को कृषि कार्य के लिए पट्टे पर दे दी गई है ।

(ग) इस बात के प्रयत्न किये गए हैं कि राज्य सरकार इस अतिरिक्त भूमि खंडों के लिए और अपने स्थानीय असैनिक अधिकारियों द्वारा उनको पट्टे पर उठा दें । अभी तक राज्य सरकार ने फालतू कृषि योग्य रेलवे की भूमि को लिया नहीं है, और मामले के सम्बन्ध में अभी पत्र व्यवहार हो रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ङ) बिना अधिकार के कृषि करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है । स्थानीय असैनिक अधिकारियों से इन अनधिकार कब्जा कर लेने वालों को हटा देने के लिए कहा गया है ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

खड़गपुर का रेलवे अस्पताल

६४९. **श्री एंन० बी० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत छः महीनों में सरकार को खड़गपुर के रेलवे अस्पताल के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किस प्रकार की;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही की है; तथा

(घ) क्या यह तथ्य है कि इस अस्पताल में एक बाहर के व्यक्ति को ऐक्सरे इलाज के लिए भरती किये जाने पर अंकेक्षण आपत्ति की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां

(ख) दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं । एक दिनांक १२ सितम्बर १९५२ स्वयं माननीय सदस्य से प्राप्त हुई थी । यह पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर के नाम थी और उसमें खडगपुर रेलवे अस्पताल की प्रबन्ध व्यवस्था, कुछ डाक्टरों के व्यवहार और किन्ही विशिष्ठ मामलों में उनके द्वारा दिखाई गई लापरवाही की शिकायतें थीं ।

दूसरी शिकायत श्री नारायण प्रसाद बनर्जी ने ४ नवम्बर १९५२ को तार द्वारा की थी। यह रेल मंत्री के नाम थी जिसमें खड़गपुर अस्पताल के रेलवे डाक्टर द्वारा दिखाई गई लापरवाही के कारण एक पुलिस सब-इन्स्पैक्टर की मृत्यु हो जाने की बात कही गई थी ।

(ग) जी हां, पहले मामले म जनरल मैनजर ने फौरन ही जांच की जिससे यह ज्ञात हुआ कि शिकायत ग़लत सूचना के आधार पर की गई थी। जनरल मनेजर ने २८ अक्तूबर, १९५२ को उसका उत्तर दे दिया था। दूसरे मामले में की गई जांच से ज्ञात हुआ कि शिकायत एकदम निराधार थी।

(घ) खड़गपुर अस्पताल में एक्सरे द्वारा इलाज करने की कोई सुविधायें नहीं हैं। अस्पताल एक्सरे परीक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करता है। और यह सुविधायें बाहर वालों को भी सरकार द्वारा अनुमोदित एक अनुसूचित दर पर भुगतान किये जाने पर प्राप्त हो सकती हैं। सरकार द्वारा इन दरों के अनुमोदित किये जाने से पूर्व, रेलवे प्रशासन इस अस्पताल में उपलब्ध एक्सरे परीक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को बाहर वालों को उन्हीं दरों पर, जो अब सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं, उपलब्ध कर रहा था। क्योंकि लेखा विभाग ने जनरल मैनेजर को परामर्श दिया था कि इन दरों को विशिष्ठ रूप से सरकार द्वारा अनुमोदित करा लेना चाहिये था, अतः जनरल मैनेजर ने रेलवे पर्षद् से अपेक्षित स्वीकृति दिये जाने की प्रार्थना की और वह जुलाई १९५१ में दे भी दी गई।

कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र

६५०. **श्री मादिया गौडा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि विस्तार योजना से सम्बन्ध प्रशिक्षण तथा विकास योजना के उपासंगों की भांति कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गये हैं तथा कहां ?

(ख) इन प्रशिक्षण केन्द्रों का अर्थ वहन कौन करता है और इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

(ग) इन केन्द्रों में अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

(घ) इन प्रशिक्षणार्थियों की सेवा का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। (देखिए परिशिष्ठ ७, अनुबन्ध संख्या २८)

(ग) २४६

(घ) उनको ग्राम्यविकास योजनाओं तथा अन्य विकास योजनाओं में सेवायुक्त कर लिया गया है।

टाइमटेबिल (बिक्री)

६५१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में रेलवे टाइमटेबिल के प्रकाशन से (१) विज्ञापनों तथा (२) बिक्री के मद्दे हुए आय ; तथा

(ख) क्या इनको प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सन १९५१-५२ में टाइमटेबिलों के प्रकाशन से भारतीय रेलवे को विज्ञापनों के मद्दे २१०,१६१ रुपये की आय हुई, और स्वयं टाइमटेबिलों की बिक्री से २,४७,९२३ रुपये की आय हुई।

(ख) जी हां; टाइमटेबिल सम्बद्ध प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित किये जाते हैं।

उखाड़ी गई रेलवे लाइनें

६५२. **श्री मादिया गौडा** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य की उन रेलवे लाइनों के नाम जिन्हें उखाड़ दिया गया था;

(ख) उन को कब उखाड़ा गया था और क्यों;

(ग) क्या इन रेल लाइनों के पुनः खोले जाने के लिए कोई प्रतिनिधान किये गये हैं; तथा

(घ) क्या सरकार ने अथवा केन्द्रीय रेलवे परामर्शदात्री पर्षद् ने इन रेल लाइनों के पुनः खोले जाने के प्रश्न पर विचार किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मद्रास राज्य में इन लाइनों को उखाड़ा गया था :

(१) शोरानूर—नीलाम्बुर

(२) मदुरा—बोदीनायक्कनूर

(३) बो ब्बिली—सलूर

(४) कोकानाडा—कोटी पल्ली

(५) तिरूपट्टूर—कृष्णागिरि

(ख) यह सभी लाइनें द्वितीय महायुद्ध के समय सन् १९४०-४२ में रेल पथ सम्बन्धी अत्यावश्यक सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उखाड़ी गई थीं।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(घ) उपरोक्त रेल पथों में से (१), (२) और (३) के पुनः बिछाये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जहां तक कोकानाडा—कोटी पल्ली लाइन के पुनः बिछाये जाने का सम्बन्ध है, यह मामला केन्द्रीय यातायात पर्षद् के विचाराधीन है । मोराप्पुर—होसुर और तिरुपट्टूर—कृष्णागिरि लाइनों के पुनः बिछाये जाने के प्रश्न पर केन्द्रीय यातायात पर्षद् पहिले ही विचार कर चुका है और उसने इनके पुनः बिछाये जाने के कार्य को स्थगित करने का निश्चय किया है ।

मैसूर के लिये ग्राम्य डाकखाने

६५३. **श्री मादिया गौडा** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य में २००० से अधिक जनसंख्या वाले कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें अभी डाकखाने नहीं हैं; तथा

(ख) ऐसे कितने गावों में डाकखाने खोल दिये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५, परन्तु २ में इसी वित्तीय वर्ष में डाकखाने खोल दिये जायेंगे । शेष तीन में डाकखाने नहीं खोले जा सकते हैं क्योंकि स्थानीय अधिकारी रास्ते को डाक के लाने ले जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं समझते हैं।

(ख) ३८६

वन्य भूमि

६५४. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** १३ जून १९५२ को वन्य भूमि के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उस वन्य भूमि का राज्य-वार विस्तार जिसे गत दो वर्षों में कृषि भूमि में बदल दिया गया है; तथा

(ख) प्रत्येक राज्य में वन्य भूमि का समस्त विस्तार ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से मांगी गई है । जैसे ही वह प्राप्त होगी उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २९]

आसाम में निर्माण कार्य

६५५. **श्री के० सी० त्रिपाठी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कि क्या यह तथ्य है कि डाक तथा तार विभाग के आसाम सर्किल को गत कई वर्षों में भवन निर्माण के लिए स्वीकृत आय व्ययक अनुदानों में से कुछ धन राशियां वापस करनी पड़ीं थीं क्योंकि वह व्यय नहीं की जा सकीं थीं और यदि हो, तो गत चार वर्षों से , वर्ष-वार, स्वीकृत तथा वापस की गई धन राशियां ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि धन की यह वापसी केन्द्रीय जन वस्तु विभाग के कारण करनी पड़ी है क्योंकि उसने निर्माण कार्य इस लिये नहीं किया था क्योंकि उन पर ५००० रुपये से अधिक व्यय होना था और जो विभागीय निर्माण कार्य की सीमा से अधिक है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि आसाम में निर्माण कार्य बहत कुछ बकाया में है और यदि हो तो क्या सरकार विभागीय निर्माण कार्य की सीमा को काफ़ी अधिक बढ़ा देने और उसके लिये अतिरिक्त कई कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति देने की प्रस्थापना करती है ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि उक्त सर्किल की परामर्शदायी समिति ने इसकी सिफ़ारिश की है ?

(ङ) सरकार क्या कार्यवाही, यदि कुछ, करने की प्रस्थापना करती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ख) यह उत्तपत्तियां मूल रूप से डाक तथा तार विभाग और कार्यकरण अभिकरण के रूप में केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के समय पर्याप्त सहयोजन न होने के कारण हुई थीं ।

(ग) आसाम में निर्माण कार्य कुछ सीमा तक बकाया में है, परन्तु सरकार के विचार से विभाग द्वारा किये जा सकने वाले निर्माण कार्य की सीमा के बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) आसाम राज्य में निर्माण कार्य करने के लिए केन्द्रीय जन वास्तु विभाग से अपने सब निर्माण संगठन में और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए कहा गया है ।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

६५६. **श्री एन० एल० जोशी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने "अधिक अन्न उपजाओ" अन्दोलन को कार्यान्वित में भूमि के वास्तविक कृषकों को समबद्ध करने के लिए क्या व्यवस्था की है ?

(ख) सरकार द्वारा जो अभिकरण अबतक काम में लाया गया है क्या वह सफल रहा है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कार्य के लिए नियुक्त किये गये अभिकरण में कोई परिवर्तन करने की प्रस्थापना करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन की कार्यान्वित में भूमि के वास्तविक कृषकों को सम्बद्ध करने का भार मूलतः राज्य सरकारों का है इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा इन कार्यवाहियों के किये जाने की सिफ़ारिश की गई है :-

(१) ग्राम समितियों का बनाना जिन में चतुर तथा प्रभाव शाली कृषक तथा भूमि हीन ग्रामिक हों और इनको गांव के आस पास कृषि योग्य बेकार भूमियों

की खोज करने, उन भूमियों पर कृषि कार्य कराने की व्यवस्था करने, कम्पोस्ट खाद, सुधरे हुए बीजों तथा अन्य आवश्यक तथा सारभूत वस्तुओं के वितरण इत्यादि का उत्तर-दायित्व सौंपा जाये । तालुका तथा तहसील स्तरों पर भी ऐसी समितियां बनाये जाने की सिफारिश की गई है ।

(२) गांव की पंचायतों, ग्राम विकास पर्षदों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को जोकि पहले ही से वर्तमान हैं, जनता का सहयोग इस आन्दोलन के लिये प्राप्त करने के लिये काम में लाया जाये ।

(३) तहसीलदार को सहायता देने तथा सरकार और कृषकों के बीच एक कड़ी का काम देने के लिए ग्रामों के प्रत्येक यूथ में उपयुक्त जन सेवकों की नियुक्ति ।

(४) फ़सल प्रतियोगितायें कराना तथा विजेताओं को ग्राम, तालुक़ा, ज़िला, राज्य तथा अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार देना ।

(ख) और (ग). साधारणतया इन असरकारी समितियों की सहायता से स्थानीय उपकरण को जाग्रत करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न अभी नहीं किए गये हैं ।

सम्बन्ध में अधिक अन्न उपजाओ समिति की सिफ़ारिशों को कार्य रूप में परिणित किये जाने के लिये राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।

प्रशिक्षण केन्द्र

६५७. श्री बलवन्त सिन्हा मेहता: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कर्मचारीवर्ग के लिए कितने प्रशिक्षण केन्द्र इस समय कार्य कर रहे हैं और वह कहां स्थापित हैं ?

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की संस्था क्या है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की जाती है ?

(ग) क्या सरकार राजस्थान में कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार करती है, यदि हां, तो वह कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगा, उसमें प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी होगी, उसका प्राक्कलित आयव्ययक क्या है और उस केन्द्र को कहाँ स्थापित किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) इस समय रेलवे के प्रशिक्षण स्कूलों की समस्त संख्या २९ है । यह मैसूर, मद्रास, बसीनब्रिज, पेराम्बुर, त्रिचनापल्ली, गोल्डेन राक, सहारनपुर, गाजियाबाद, भावनगर पारा, जूनागढ़, अजमेर, बीकानेर, गोरखपुर, सिनी, खड़गपुर, चंदौसी, स्यालदा, कंचरापाड़ा, जमालपुर, बदरपुर, गौहाटी, बीना, भुसावल, और सिकन्दराबाद में हैं ।

(ख) एक विवरण जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमों की अवधि, तथा विभिन्न स्कूलों में प्रत्येक पाठ्य क्रम के लिये उपलब्ध सामर्थ्य बतलाई गई है, संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या पी० १०३/५२] इन स्कूलों पर हुए वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस समय राजस्थान में कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण स्कूल खोलने की प्रस्थापना नहीं है । पश्चिमी रेलवे प्रशासन अपने अजमेर स्थित वर्तमान स्कूल को धीरे धीरे स्थायी

रूप से उदयपुर को स्थानान्तरित कर रहा हैं, वहां सभी विभागों के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। उदयपुर स्कूल का प्रारम्भ इस मास की १५ तारीख से किया जायेगा, इसमें एक समय में १२० प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की अस्थायी आधार पर व्यवस्था की जायगी, और इस संख्या को अन्ततः ३५० तक बढ़ा दिया जायेगा। उपकरणों इत्यादि के प्रारम्भिक व्यय के अलावा इस स्कूल का प्राक्कलित आयव्ययक कोई ४००० रुपये प्रति मास का है।

चल स्कन्ध (आयात)

६५८. **श्री जसानी :** क्या **रेल मंत्री** २४ नवम्बर, १९५२ को विदेशों में रेल डब्बों तथा माल डब्बों के लिए दिये गये व्यदेशों के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बैल्जियम, संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन तथा इटली की उन सार्थों के नाम जिनको यात्री डब्बों तथा माल डब्बों के लिए व्यादेश दिये गये थे, वह कितनी परिमात्रा तथा कितने मूल्यों के थे ;

(ख) इन सार्थों की चुकती पूंजी कितनी है ; तथा

(ग) क्या इन व्यादेशों के आधार पर कोई औग्रिम धनराशियां दी गई हैं, और यदि हां, तो कितनी और किन किन सार्थों को ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३१.**]

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

कार्यकरण क्षेत्र भत्ता

६५९. **श्री चरक :** क्या **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को कार्यकरण भत्ता देने के लिए जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र को कार्यकरण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि जम्मू नगर के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को इस कार्यकरण भत्ते से अपवर्जित कर दिया गया है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भागों (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार जम्मू नगर में नियुक्त कर्मचारियों को इस सूची में सम्मिलित कर लेने की कृपा करेगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) यह प्रश्न वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

कोरापुर में हवाई अड्डों का निर्माण

६६०. **श्री सगण्ण :** (क) क्या **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोरापुर जिला (उड़ीसा) में हवाई अड्डे निर्माण करने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन थी ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उक्त प्रस्थापना का विचार क्यों छोड़ दिया गया ?

(ग) क्या किसी समय उक्त प्रस्थापना पर पुनः विचार किया जायेगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

उड्डयन क्लब, भुवनेश्वर

६६१. **श्री संगण्णा :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में स्थित भुवनेश्वर के उड्डयन क्लब को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई राजकीय सहायता अथवा ऋण दिया गया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उक्त उड्डयन क्लब के जारी किये जाने के समय से आज तक दी गई राजकीय सहायता अथवा ऋण की सम्पूर्ण मात्रा क्या है ; तथा

(ग) उन वायुयान चालकों की संख्या जिन्होंने अबतक उक्त उड़यन क्लब में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) . जी हाँ । मार्च सन् १९४७ से, जब कि उसे जारी किया गया था , अब तक उस क्लब को भारत सरकार से २,८९,४३० रुपये की राजकीय सहायता प्राप्त हुई है ।

(ग) ४६.

टाइम टेबिल

६६२. **श्री पी० सुब्बाराव :** .(क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है ट्रेनों के समयों में परिवर्तन हो जाने के एक महीने बाद तक स्टेशनों को बड़े टाईम टेबिल सूचना पटलों पर चुपकाने के लिए नहीं दिये गये हैं ?

(ख) क्या सरकार एक अखिल भारतीय टाईम टेबिल प्रत्येक छटे महीने अप्रैल तथा अक्तूबर में प्रकाशित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

(ग) वह नीति अथवा आधार क्या है जिसके अनुसार प्रत्येक छटे महीने ट्रेनों के समयों में सूक्ष्म से परिवर्तन किये जाते हैं और जिससे अधिकतया जनता को बहुत असुविधा होती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तख्तों पर चुपकाने योग्य टाईम टेबिल, साधारणतया, उसी समय सूचना फलकों पर चुपकाये जाने के लिये दे दिये जाते हैं जब कि स्टेशनों पर साधारण टाईम टेबिल और मार्ग दर्शकायें जनता को स्टेशनों पर उपलब्ध होतीं हैं । परन्तु कभी कभी देर हो ही जाती है और विशेषतया प्रादेशिक भाषाओं में छपे फलक टाईम टेबिलों के सूचना पटलों पर लगाने में देर हो जाती है क्योंकि उनको उन प्रेसों में छपाना होता है जो स्वयं रेलवे के नहीं हैं । जहां तक संभव होता है यह देखने के सभी संभव प्रयत्न किये जाते हैं कि नवीन टाईम टेबिलों के प्रारम्भ होने और विभिन्न स्टेशनों पर उन्हीं के फलक टाईम टेबिलों को सूचना पटलों पर चुपकाने में कोई अनावश्यक देरी न होने पाये ।

(ख) रेलवे परिषद पहले से ही एक अर्ध-वार्षिक (अप्रैल—अक्टूबर) अखिल भारतीय टाईम टेबिल प्रकाशित कर रहा है । इस प्रकाशन को मूल्य देकर लिया जा सकता है और इसे सामान्य सचिव, भारतीय रेलवे सम्मेलन संस्था, नई दिल्ली से तथा रेलवे के बुक स्टालों से प्राप्त किया जा सकता है ।

(ग) सामान्यतया सामयिक और कभी कभी थोड़े समय के लिए सर्वाधिक परिवर्तन करने बहुत से कारणों से आवश्यक होते हैं, जैसे,

(१) जाड़े तथा गरमी की ऋतुओं की आवश्यकताओं में विभिन्नता होने के कारण किये गये परिवर्तन ;

(२) जहां तक संभव हो जनता द्वारा की गई विशिष्ठ प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए किये गये परिवर्तन ;

(३) मेल देने वाली रेलवेज़ में किये गय परिवर्तनों के कारण अन्य रेलों के समयों में किये जाने वाले परिवर्तन ;

(४) पिछले टाईम टेबिलों के कार्य-करण से प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर स्वयं रेलवे द्वारा आवश्यक समझे गये परिवर्तन;

(५) इंजीनियरिंग कार्यों की प्रगति के अनुसार ट्रेनों की गति पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण दी जाने योग्य छूट के कारण अपेक्षित परिवर्तन ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन (आराम करने के कमरे)

६६३. श्री यू० एम० त्रिवेदी : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली रेल वेस्टेशन पर कितन आराम करने के कमरे हैं ?

(ख) उनमें प्रति दिन कितने यात्री स्थान प्राप्त कर सकते हैं ?

(ग) कितने यात्रियों को इस प्रकार के स्थान देना अस्वीकार किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर छै आराम करने के कमरे हैं ।

(ख) औसतन बारह यात्रियों को प्रति-दिन उन में स्थान दिया जाता है ।

(ग) इस प्रकार के मामलों का कोई लेखा नहीं रखा जाता है, अतः अपेक्षित सूचना देना संम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय तम्बाकू समिति

६६४. श्री एम० डी० जोशी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय तम्बाकू समिति को कब नियुक्त किया गया था ;

(ख) समिति के सदस्यों की संख्या तथा उनके नाम ;

(ग) समिति के कृत्य ;

(घ) वर्ष में कितनी बार समिति की बैठक होना आवश्यक है ;

(ङ) सन् १९५१-५२ में समिति की जो बैठकें हुई उनकी संख्या ;

(च) प्रत्येक सदस्य ने कितनी बैठकों में भाग लिया ;

(छ) उक्त समिति पर सन् १९५१-५२ में हुआ व्यय ;

(ज) वह आधार क्या है जिस के अनुसार समिति में सदस्यों को नामनिर्देशित किय जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति को २८ नवम्बर, १९४५ को संगठित किया गया था ।

(ख) उसमें ४५ सदस्य हैं । उनके नामों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई व देखिये संख्या पी०-१०४।५२ .**]

(ग) समिति के कृत्यों का वर्णन करने वाली एक टिप्पणी सदन पटल पर रखी जाती है ।

(घ) समिति के नियमानुसार उसे वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करने की आवश्यकता है ।

(ङ) एक बार ।

(च) सदस्यों के वर्तमान कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या तथा उन्हों ने कितनी बैठकों में भाग लिया यह समस्त व्यौरा सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

(छ) भारत सरकार ने सन् १९५१-५२ में समिति को कोई अनुदान नहीं दिया, क्योंकि समिति को गत वर्षों में दिये गये अनुदानों में से बहुत कुछ बकाया उसके पास जमा थी और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार सन् १९५१-५२ में १२,०७,९७० रुपये व्यय होने को थे।

(ज) उपयुक्तता, अनुभव तथा योग्यता वह आधार हैं जिनको नामनिर्देशन करते समय ध्यान में रखा जाता है।

नीचे के तथा ऊपर के पुल

६६५. **श्री एस० वी० रामास्वामी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सघन बस्तियों वाले नगरपालिका क्षेत्रों मेंवे रेल विभाग द्वारा नीचे से जाने वाले अथवा ऊपर से जाने वाले पुलों के बनाये जाने को कौन से सिद्धान्त नियमित करते हैं ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि जन संख्या के बढ़ने और गाड़ियों तथा यातायात के अधिकाधिक हो जाने के कारण जनता को नीचे से जाने वाले या ऊपर होकर जाने वाले पुलों के न होने से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि सलेम नगरपालिका क्षेत्र में ऊपर हो कर जाने वाले पुल के न होने के कारण सामान्य जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(घ) क्या सरकार नीचे से जाने वाले या ऊपर हो कर जाने वाले पुलों के बनाये जाने के कार्य को करने का विचार कर रही है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) नीचे से जाने वाले तथा ऊपर होकर जाने वाले पुलों के निर्माण को निश्चित करने वाले सिद्धान्त भारतीय सरकारी रेलवे के सामान्य रोड के १११७ से ११२२ तक के पैराग्राफों में दिये गये हैं, इसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) जी हां, अधिकतर मामलों में।

(ग) इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है।

(घ) स्थिति यह है कि राज्य सरकारों से ऐसी सूचियां बनाने को कहा गया है जिन में नीचे से जाने वाले तथा ऊपर होकर जाने वाले उन पुलों के निर्माण को प्राथमिकता के अनुसार दिखाया गया हो, जिन के निर्माण का आंशिक व्यय भाग (क) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार वह वहन करने को तैयार हो, और ऐसे पुलों की वास्तविक रूप से व्यवस्था करने की योजना रेलवे द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार बनाई जायेगी।

पूर्णिया दार्जिलिंग सड़क

६६६. **श्री ए० एन० मेहता:** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पुर्णियां-दार्जिलिंग सड़क पर होने वाला निर्माण कार्य तथा उसे सुधारने का कार्य रोक दिया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में पुर्णियां-दार्जिलिंग सड़क को सुधारने की प्रस्थापना करती है ?

(घ) किये जाने वाले कार्य का व्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

रेल तथा यातायात पमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) कुछ सुधारने सम्बन्धी कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष को अब किया जा रहा है अथवा प्राक्कलनों को तैयार करने के लिये उन की जांच की जा रही है। भारत सरकार इस सड़क के केवल मात्र राष्ट्रीय राजपथ वाले भाग के लिये ही उत्तर-दायी है।

(घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३२]

दलियाई के निकट बांध का निर्माण

६६७. **श्री दशरथ देव:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा की सरकार और भारत सरकार को स्थानीय कृषकों तथा विस्थापित व्यक्तियों की ओर से एक प्रतिनिधान किया गया था जिस में सोनामूरा डिवीजन की दलियाई नहर के निकट एक बांध बनाये जाने का सुझाव दिया गया है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि यदि इस प्रस्थापित बांध को बनाया गया तो कोई ५०० एकड़ भूमि में कृषि की जा सकेगी ?

(ग) क्या सरकार ऐसे सार्वजनिक कार्य को सहायता देने का विचार करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां।

(ख) कोई ३२० एकड़ भूमि पर कृषि की जा सकेगी।

(ग) जी नहीं। विशेषज्ञ प्रविधिक समिति इस बांध के बनाये जाने के विरुद्ध है। क्योंकि इससे गुमती नदी के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

केन्द्रीय रेलवे वर्कशाप, ग्वालियर

६६८. **श्री सूर्य्य प्रसाद:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) केन्द्रीय रेलवे वकशाप, ग्वालियर नई मशीनों के लगाये जाने, उनके संधारण तथा कार्यकरण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि का प्राक्कलन किया गया था;

(ख) वर्कशॉप में फिटर इत्यादि जैसे पदों पर सेवायुक्त किये गये नये कारीगरों की संख्या, तथा प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या;

(ग) किन आधारों अथवा योजना के अनुसार यह भरती की गई है; तथा

(घ) कितनी प्रतिशत रिक्तियां विशेष-रूप से अनुसूचित जाति वालों के लिये थीं और कितनी प्रतिशत अन्य पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्तियों के लिये थीं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन): (क) ग्वालियर में कोई केन्द्रीय रेलवे वर्कशॉप नहीं है;

अतः प्रश्न के अन्य भागों के उत्तर उत्पन्न ही नहीं होते हैं।

जूट कर्मचारी (छंटनी)

६६९. **श्री तुषार चटर्जी:** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि भारतीय जूट मिल संस्था द्वारा अपनाई गई अभिनवीकरण की नीति के फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल की प्रत्येक जूट मिल में बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस छंटनी हुए व्यक्तियों को कोई वैकल्पिक कार्य देने अथवा उन्हें बेकारी भत्ता देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

(ग) गत छै महीनों में छंटनी किये गये जूट कर्मचारियों (स्थायी तथा अस्थायी सहित) की सम्पूर्ण संख्या क्या है ?

(घ) मिल मालिकों से जिन कर्मचारियों को अनैच्छिक बेकारी भत्ता मिला है उन की संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): सूचना एकत्रित की जा रही है। यथा समय उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

जलाने तथा चिकनाने वाला तेल

६७०. **श्री विश्वनाथ रेड्डी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ जून, १९५२ को जलाने तथा चिकनाने वाले तेलों के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निदश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मदरास सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो क्या निर्णय, यदि कोई, किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): जी हां। मदरास सरकार का यह विचार है कि इस वर्ष जो क्षेत्र प्रतिकूल मौसमी हालत से प्रभावित हुए हैं वहां के किसानों को जिस जलाने वाने वाले तेल की आवश्यकता है उस के लिये राजकीय सहायता देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस राजकीय सहायता का लाभ केवलमात्र कुछ धनाढ्य रैयत ही उठा सकेंगे और उन के पास पम्पों को खरीदने या किराये पर लेने अथवा अन्य प्रकार की सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठाने के साधन मौजूद हैं।

पेरीनड में डाकघर

६७१. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:**
श्री पुन्नूस :

क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाकघर को पेरीनड (क्वीलौन के निकट) त्रावनकोर-कोचीन के वर्तमान स्थान से हटाने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; तथा

(ग) क्या विभाग ने डाकघर की इमारत बनाने के लिये एक भूमिखंड को अवाप्त कर लिया है, और यदि ऐसा है, तो क्या कारण है कि अभी तक कोई इमारत नहीं बनाई गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां।

(ख) वर्तमान इमारत में कम स्थान होने के कारण।

(ग) भूतपूर्व अंचल विभाग का एक भूमिखंड विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। अभी कोई निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है क्योंकि भवन निर्माण कार्यक्रम में नवीन निर्माण कार्यों पर त्रावनकोर-कोचीन स्थित वर्तमान इमारतों के उपयुक्त उपयोगिता को प्राथमिकता दी गई है।

विशाखपटनम पत्तन (दुर्घटना)

६७२. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:**
श्री पुन्नूस :

क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में विशाखपट्नम पत्तन में कोई दुर्घटना हो गई थी जिस के परिणामस्वरूप जलपोत 'रजला' के एक यात्री की मृत्यु हो गई थी :

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण थे ; तथा

(ग) मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षति-पूर्ति देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). जी नहीं। जलपोत 'रजूला' विशाखपट्नम पत्तन में नहीं आता है। परन्तु नीगापट्टनम के पत्तन में एक घातक दुर्घटना २६ अक्टूबर, १९५२ को हुई थी, जिस के परिणामस्वरूप इस जहाज़ के एक यात्री की जहाज़ में माल लादते समय मृत्यु हो गई थी। यह बताया गया है कि इस यात्री ने, जो मदरास से सिंगापुर जा रहा था, तहखाने की देहलियों की रक्षा करने वाले रक्षकों की चेतावनी की उपेक्षा करके अपना सिर नम्बर एक के तहखाने की रक्षक जंजीर के नीचे तहखाने का हाल चाल देखने के

लिए रख दिया था, उसी समय माल की एक खेप उतारी जा रही थी और उसका सिर तहखाने की देहली और माल की खेप के बीच में फंस गया था इसके परिणामस्वरूप उसके सिर में गंभीर चोट आई और जिसके परिणाम-स्वरूप वह बाद में मर गया यद्यपि जहाज़ के डाक्टर ने उसे अविलम्ब ही चिकित्सकीय सहायता दी परन्तु वह बच नहीं सका ।

(ख) क्योंकि जलपोत 'रजला' न तो भारत सरकार की सम्पत्ति है और न ही वह उसके द्वारा प्रक्रीत ही किया गया था, अतः उसके द्वारा मृत व्यक्ति के आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

परिवार आयोजन

६७३. **डा० अमीन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) भारत सरकार द्वारा परिवार आयोजन की मदन तरंग प्रणाली पर किये गये प्रयोगों पर भारत सरकार द्वारा अब तक व्यय की गई कुल धनराशि ;
तथा

(ख) वह तिथियां जिनको यह प्रयोग प्रारम्भ किये गये थे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अक्तूबर १९५२ के अन्त तक ४१,५४३ रुपये १ आना ।

(ख) निम्नलिखित परिवार आयोजन केन्द्र उनके समक्ष दी गई तिथियों को प्रारम्भ किये गये थे :

(१) लोदी कालोनी केन्द्र नई दिल्ली —जुलाई, १९५२ ।

(२) लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज केन्द्र, नई दिल्ली——जुलाई, १९५२ ।

(३) रामनगरम केन्द्र (बंगलौर के पास)——मई, १९५२ ।

स्वास्थ्य मंत्री की दान निधि

६७४. **डा० अमीन :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह तथ्य है कि **स्वास्थ्य** सील आन्दोलन के विज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्री का नाम दिया गया है ;

(ख) अब तक एकत्रित की गई तथा स्वास्थ्य मंत्री की दान निधि में जमा कराई गई सम्पूर्ण धन राशि ; तथा

(ग) प्रत्येक मद में अब हुआ वास्तविक व्यय ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) उक्त अपील स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई है ।

(ख)

	एकत्रित की गई	जमा की गई
	रु०	रु०
स्वास्थ्य सील आन्दोलन से :—	१,८७,२९० १ ११	६१,०८७ ७ ०

नोट : स्वास्थ्य सीलों की अधिकांश बिक्री डाकखानों के द्वारा हुई है और डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा धन एकत्रित करने के समय में और उन राशि के अन्ततः दान निधि में स्थानान्तरित किये जाने के समय में कुछ अन्तर है ।

अन्य स्रोतों से :—	४,७९,३२३ ४ १	४,७९,३२३ ४ १
३० नवम्बर, १९५२ तक का कुल योग :—	६,६६,६१३ ६ ०	५,४०,४१० ११ १

	रुपये
(ग) (१) चिकित्सकीय तथा स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना तथा निर्माण कार्य	७६,४५७ ६ ०
(२) वर्तमान चिकित्सकीय तथा स्वास्थ्य संस्थाओं को दी गई सहायता	६८,१७८ ८ ०
(३) सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देने तथा दुख निवारण के हेतु	४३,०९२ ६ ०
३० नवम्बर, १९५२ तक का कुल योग	१,८७,७२८ ४ ०

अन्तर्राष्ट्रीय बी० सी० जी० सम्मेलन

६७५. **डा० अमीन:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) सन् १९५१ में रंगून में हुए अन्तर्राष्ट्रीय बी० सी० जी० सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे गये प्रतिनिधियों पर भारत सरकार द्वारा व्यय की गई धन राशि; तथा

(ख) उन प्रतिनिधियों के नाम जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) सितम्बर १९५१ में रंगून में विश्व स्वास्थ्य संस्था तथा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष के तत्वाधान में हुए बी० सी० जी० सम्मेलन में भाग लेने के लिए नियुक्त किये गये प्रतिनिधियों के दैनिक भत्तों के रूप में भारत सरकार को केवलमात्र २३० रुपये व्यय करने पड़े, यात्रा व्यय उन्होंने ही वहन किया ।

(ख) उक्त सम्मेलन में इन भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था :—

(१) डा० सी० बी० बैंजामिन, स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशालय में नियुक्त क्षय रोग सम्बन्धी परामर्शदाता ।

(२) डा० के० एस० रंगानाथन, संचालक बी० सी० जी० मसूरीलस (वैक्सीन) प्रयोगशाला, मिन्डी ।

(३) डा० सी० एम० एस० सिद्धू, बी० सी० जी० अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(४) डा० एन० एल० बोर्दिया, मुख्य बी० सी० जी०, अधिकारी, मध्य भारत ।

(५) डा० कुलभूषण, बी० सी० जी० अधिकारी, पंजाब ।

प्रथम दो अधिकारियों ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था, तथा शेष ने अपनी अपनी राज्य सरकारों का प्रतिनिधान किया था ।

हेलीकोप्टर वायुयान

६७६. **श्री भक्त दर्शन:** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से इस देश को दो हैलीकौप्टर वायुयान बेच देने की प्रार्थना की है ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह हैलीकौप्टर वायुयान भारत आ गये हैं ; तथा

(ग) उनको किस प्रकार काम में लाया जा रहा है या लाये जाने की प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क), (ख) और (ग). माननीय सदस्य का ध्यान २४ नवम्बर, १९५२ के श्री राधारमण के तारांकित प्रश्न संख्या ६११ के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

दक्षिणी रेलवे (नये निर्माण कार्य)

६७७. **श्री राम चन्द्र रेड्डी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ के रेलवे बजट में प्रस्थापित दक्षिणी रेलवे के निर्माण कार्य संख्या ९६ और ९७ (गुडूर और नेल्लोर) को प्रारम्भ किया जायेगा ?

(ख) क्या निश्चित धनराशि के सन् १९५२-५३ में व्यय कर दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नैल्लौर के पुनः निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी गई है, और उक्त कार्य के लिए मल्य वेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होगा। गुडूर के पुनः निर्माण का कार्य अभी रोक लिया गया है क्योंकि रैनी गुंटा-गुडूर सैक्शन के मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदलने में सम्भवतः मल योजना में कुछ परिवर्तन करने पड़े। इस कार्य के अगले वर्ष प्रारम्भ होने की सम्भावना है ।

(ख) ऊपर दिये गये कारणों से यह संभव नहीं है कि प्रस्थापित धनराशि सन् १९५२-५३ में व्यय की जा सके ।

कोयला

६७८. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८ से १९५१ तक तथा सन् १९५२ में १० नवम्बर तक भारतीय रेलवेज़ द्वारा प्रतिवर्ष काम में लाये गये कोयले की परिमात्रा तथा मूल्य ;

(ख) क्या रेलवेज़ की यह सामान्य शिकायत है कि कोयला खदानों से दिया जाने वाला कोयला उस श्रेणी विशेष का नहीं होता है जिसकी उनको आवश्यकता होती है वरन् नीची श्रेणी का होता है ;

(ग) क्या भेजे जाने से पहिले कोयले की जांच की जाती है, और यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन उत्तरदायी है और क्या उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; तथा

(घ) इस प्रकार की अनियमितता से होने वाली वार्षिक हानि की परिमात्रा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण, जिसमें वित्तीय वर्षों १९४८-४९, १९४९-५० और १९५०-५१ में भारतीय सरकारी रेलवेज़ द्वारा काम में लाए गये कोयले की परिमात्रा तथा उसका मूल्य दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३३**]

१ अप्रैल से १० नवम्बर तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) शिकायतें साधारणतया नहीं हैं परन्तु छोटी कोयला खदानों के यूथों द्वारा प्रदाय किये गये कोयले के कुछ मामलों का निर्देश करती हैं ।

(ग) यह सूचना उत्पादन मंत्रालय के द्वारा, जो कि कोयला प्रदाय करने के प्रशासनिक प्रभार में है और जो कोयला खदानों पर कोयले के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है, एकत्रित की जा रही हैं और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस कारण हुई हानियों के यृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

रेलवे कर्मचारियों का दृष्टि परीक्षण

६७९. श्री नम्बियार: (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे कर्मचारियों को प्रति वर्ष दृष्टि परीक्षण कराना होता है ?

(ख) परीक्षक पर्षद् के कौन सदस्य होते हैं और परीक्षण प्राधिकारी द्वारा जिन

चश्मों की सिफारिश की जाती है उन्हें कौन प्रदाय करता है ?

(ग) क्या रेलवे के एनकसाज़ों द्वारा दिये गये साधारण काच के तालों और भद्दे फ्रेमों के अत्यधिक मूल्य लिये जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सभी रेलवे कर्मचारियों का प्रत्येक वर्ष दृष्टि परीक्षण नहीं करवाना होता है । जन सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यातायात संचालन से संबंध रखने वाले कर्मचारिवर्ग को, जैसे ट्रेन के साथ चलने वाले कर्मचारियों, डब्बों का शन्टिङ्ग करने वाले कर्मचारियों, स्टेशन मास्टरों तथा सिगनलों के वास्तविक कार्यकरण से संबंध रखने वाले अन्य कर्मचारियों, ट्रालियों को काम में लाने के लिये प्राधिकृत कर्मचारिवर्ग मार्ग निरीक्षण कर्मचारिवर्ग, मोटर ड्राइवरों, रेल चौकियों पर नियुक्त द्वार रक्षकों इत्यादि, प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के पश्चात्, जिस की उन की नियुक्ति की तिथि से गणना की जाती है, अपनी दृष्टि की तीष्णता का सावधिक पुनः परीक्षण कराना होता है, और यह क्रम उनके ४५ वर्ष की आयु हो जाने तक चलता रहता है, इस के पश्चात् वार्षिक परीक्षण कराना होता है ।

सम्बद्ध कर्मचारिवर्ग उनके सहयोगियों अथवा दोनों के हितों के अनुसार ही कुछ कर्मचारिवर्ग को, जैसे शैड कर्मचारियों, गैंग-मेटों, कीमैन, असिस्टेंट सर्जन, वर्क-शाप में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों तथा इंजन रूम के कर्मचारियों इत्यादि को, जो ऐसे कार्यों पर नियुक्त हैं जहां कमज़ोर दृष्टि के होने के कारण उन पर या उन के साथियों पर संकट आ सकता है, ४५ वर्ष की आयु हो जाने पर अपनी दृष्टि की तीष्णता का पुनः परीक्षण कराना होता है और फिर ५० वर्ष की आयु हो जाने पर फिर परीक्षण कराना होता है । अन्य कर्मचारियों को, जो उपरोक्त श्रेणियों में सम्मिलित नहीं हैं, अपने सेवा काल में अपनी दृष्टि की तीष्णता का सावधिक पुनःपरीक्षण कराना साधारण तथा आवश्यक नहीं होता है ।

रेलवे प्रशासन के चिकित्सकीय अधिकारी इस संबंध में निर्धारित किये गये नियमों तथा स्तरों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों की दृष्टि की तीष्णता का परीक्षण करने के लिये ज़िम्मेदार हैं । सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जिन रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा अधिकारी ऐनक लगाने का आदेश दें वह ऐनकसाज़ों की किसी सुयोग्य कम्पनी से स्वयं ही उनका प्रबन्ध करें ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे स्टेशन (नाम-पट्ट)

६८०. **श्री आर० एन० सिंह** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर जो सीमेंट के नये नाम-पट्ट लगाये गये हैं उन पर क्या लागत आई है ?

(ख) इन पट्टों को वर्ष में कितनी बार रंगा जाता है और इस प्रकार की रंगाई की वार्षिक लागत क्या है ?

(ग) पहले इन स्टेशनों पर जो लोहे के पट्ट लगे हुए थे उन में क्या कमियां हैं और उन की अनुमानित लागत कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिभूति निक्षेप

६८१. **श्री गणपति राम**: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि प्रत्येक मूल्य-वेदन पत्र के साथ साथ मूल्यवेदन पत्र देने वाले से प्रतिभूति मांगी जाती है ?

(ख) जिनके मूल्यवेदन-पत्र स्वीकृत नहीं होते हैं उनकी प्रतिभतियों को वापस करने के लिये क्या कोई समय सीमा है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि उत्तर-पूर्वी रेलवे में उन व्यक्तियों के प्रतिभूति निक्षेप, जिन के मूल्यवेदन-पत्र स्वीकृत नहीं हुए हैं महीनों में नहीं वापस किये गये हैं ?

(घ) यदि ऐसा है, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) साधारणतया प्रति-भूति निक्षेप उन्हीं से मांगे जाते हैं जिनके मूल्यवेदन-पत्र स्वीकृत हो जाते हैं। प्रत्येक मूल्यवेदन-पत्र भेजने वाले को कुछ बयाना जमा करना पड़ता है, जो उन मूल्यवेदन पत्र भेजने वालों को, जिन के मूल्यवेदन-पत्र स्वीकृत नहीं होते हैं, वापस कर दिया जाता है ।

(ख) जी नहीं, परन्तु किसी मूल्य-वेदन-पत्र के संबंध में कोई निर्णय हो चुकने के बाद प्रत्येक उस मूल्यवेदन-पत्र भेजने वाले को, जिनके मूल्यवेदन-पत्र अस्वीकृत हो जाते हैं, उनका निक्षेप उनके द्वारा उस रसीद के पेश किये जाने पर, जो कि निक्षेप लेने वाले अधिकारी द्वारा दी जाती है, वापस कर दिया जाता है।

(ग) जी नहीं। परन्तु तो भी कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें रुपये की वापसी में कुछ देर लग गई है, जिसका कारण, ठेकेदार द्वारा रसीद का पेश न किया जाना या रुपये का किसी ऐसे जिला कार्यालय में जमा किया जाना होता है जहां वापसी के लिये सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है, होता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण संस्था लिमिटेड, लाहौर

६८२. **पंडित एम० बी० भार्गव** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दावेदारों की संख्या तथा पी० आई० परिसम्पत् की परिमात्रा, भूतपूर्व नार्थ वैस्टर्न रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण संस्था, लाहौर के उन विस्थापित कर्मचारियों के दावों की संख्या, जो कि कोई पांच वर्ष हुए रेलवे पर्षद् की इच्छानुसार पूर्वी पंजाब रेलवे (अब उत्तरी रेलवे) के मुख्य लेखा अधिकारी के द्वारा रेलवे पर्षद् में पंजीबद्ध कराये गये थे, और उन दावों की संख्या जिनको अबतक निपटा दिया गया है अथवा जिनका भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) भूतपूर्व नार्थ वैस्टर्न रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण संस्था, लाहौर के खाते में भारत सरकार द्वारा रखी गई सरकारी प्रतिभतियों अथवा सरकारी ऋण-पत्रों का मूल्य अथवा भूतपूर्व नार्थ वैस्टर्न रेलवे के उन अमुस्लिम कर्मचारिवर्ग से, जो अब भारत में हैं, उत्तरी रेलवे द्वारा प्राप्त की गई धन-राशि ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि उन अन्य असैनिक सहकारी संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग के दावों का जिनके मुख्य कार्यालय पाकिस्तान में हैं, अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है, और यदि ऐसा है, तो भतपूर्व नार्थ वैस्टर्न

रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण संस्था लिमिटेड, लाहौर के शेष कर्मचारियों के दावे कब तक निपटाये जायेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दावेदारों की संख्या.....१८. दावा की गई धनराशि.....६१,१११ रुपये

पाकिस्तान सरकार के साथ इन दावों के निपटारे के संबंध में कोई क़रार न हो सकने के कारण अभी तक किसी भी दावे का निपटारा नहीं किया गया है ।

(ख) भारत सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि यह प्रतिभूतियां तथा ऋण-पत्र वस्तुतः किस के कब्ज़े में हैं ।

उक्त संस्था के भारत में सेवा करने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों से उनके द्वारा लिये गये ऋणों के बदले में उत्तरी रेलवे में १,८९,४४६ रुपये वसूल किये हैं ।

(ग) भारत सरकार को असैनिक सहकारी संस्थाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं है, क्योंकि यह सम्बद्ध राज्य सरकारों का विषय है । जहां तक भूतपूर्व नार्थ वैस्टर्न रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण संस्था लिमिटेड, लाहौर के विरुद्ध किये गये दावों का संबंध है, स्थिति प्रश्न के भाग (क) के संबंध में दिये गये उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है ।

चिकित्सकीय व्यय (भरपाई)

६८३. पंडित एम० बी० भार्गव: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया गया चिकित्सा संबंधी व्यय अब उसी प्रकार भरपाई नहीं की जा रही है और न उतनी शीघ्रता से की जा रही है जैसी कि अन्य राज्य कर्मचारियों के विषय में की जाती है ; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि सरकारी शफ़ाखानों के डाक्टरों को भी रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिये 'अधिकृत चिकित्सकीय परिचारक' नहीं समझा जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे कर्मचारियों द्वारा किये गये चिकित्सा संबंधी व्यय की भरपाई किये जाने में देरी होने की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । रेलवे कर्मचारी द्वारा किये गये चिकित्सा संबंधी व्यय की भरपाई किये जाने का प्रायः वही तरीका है जैसा कि अन्य राज्य कर्मचारियों के लिए है ।

(ख) नियमों के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए केवलमात्र रेलवे चिकित्सा अफसरों को ही 'अधिकृत चिकित्सकीय परिचारक' समझा जाता है । रेलवे कर्मचारी के परिवार की किसी वयस्क महिला का किसी गैर-रेलवे वाले अस्पताल में इलाज किये जाने की दशा में उक्त अस्पताल के अधीक्षक अथवा अध्यक्ष को चिकित्सकीय व्ययों की भरपाई के लिये सक्षम अधिकारी समझा जाता है ।

कलकत्ता टैलीफ़ून एक्सचेंज

६८४. श्री जेठालाल जोशी : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता की स्वयंचलित टैलीफ़ून प्रणाली में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) योजना की अनुमानित लागत क्या है, और मार्च १९५२ तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

(ग) इस एक्सचेन्ज की स्थापना के लिए मैसर्स ए० टी० एण्ड ई० कम्पनी को ठेके के कुल मूल्य का कितना प्रतिशत भाग दिया जाना निश्चित किया गया है ?

(घ) उक्त योजना के कब तक संपूर्णतया समाप्त हो जाने की प्रत्याशा है

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिय परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ख) १,३४० लाख रुपये । मार्च १९५२ तक व्यय हुई धनराशि ३१६ लाख रुपये के लगभग है ।

(ग) ए० टी० एण्ड ई० कम्पनी से कोई १४,००० लाइनों वाले एक स्टेज १ एक्सचेंज अर्थात् जोडासांकू ऐवन्यू और सैंट्रल एक्सचेंज की स्थापना के संबंध में करार हुआ था इस कार्य के लिये कम्पनी को जो भुगतान दिया जाना है वह समस्त परियोजना की स्थापना की संपूर्ण लागत का १४ प्रतिशत है ।

(घ) सन् १९५८ तक ।

फोटोग्रावूर मशीनरी

६८५. श्री जेठालाल जोशी : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि डाक के टिकटों को छापने के लिये एक फ्लोटोग्रेवूर मशीन लगाई गई है ?

(ख) भारत में डाक टिकटों की संपूर्ण वार्षिक आवश्यकता क्या है और इस मांग को पूरा करने के संबंध में इस मशीन की सामर्थ्य कितनी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) डाक टिकटों की वार्षिक आवश्यकता कोई १३८७० लाख टिकट है और इस मशीन की जो सामर्थ्य है वह अखिल भारतीय मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है । एक तीसरी मशीन को अभी जमाना है । उस के बाद संपूर्ण सामर्थ्य के २०००० लाख टिकट हो जाने की प्रत्याशा है ।

डाक तथा तार कर्मचारी

६८६. श्री जेठालाल जोशी : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के किये गये मुख्य कल्याणकारी कार्य क्या हैं ?

(ख) इन उपरोक्त वर्णित कार्य-वाहियों के लिए सन् १९५२–५३ में कितनी रकम की स्वीकृति दी गई है ?

(ग) क्या यह तथ्य है सन् १९४९-५० में इन्हीं कार्यवाहियों के लिए ८,५०,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी, परन्तु उसमें से केवल ३९,००० के लगभग व्यय हुआ था ।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क)—

(१) सहकारी समितियां
(२) कैन्टीनें
(३) मनोरंजन क्लब
(४) रात्रि स्कूल
(५) अवकाश सदन
(६) चिकित्सालय
(७) प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय डाक तथा तार व्यायाम कार्यक्रमों का संगठन

(ख) ३,५०,००० रुपये ।

(ग) जी हां, साढ़े आठ लाख रुपये के प्रावधान में से ५ लाख रुपये डाक तथा तार विभाग के कर्मचारिवर्ग के लिये एक अस्पताल बनवाने के लिए ५०,००० रुपये कैन्टीनों के लिये तथा अन्य सुविधाओं के लिए तीन लाख की एक पिंड राशि की व्यवस्था की गई थी । जब अस्पताल के बनाये जाने के प्रश्न की विस्तृत व्यौरे में जांच की गई, तो यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्थापना को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां थीं । डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी उसी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता पाने

के अधिकारी हैं जो अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हैं । अतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए पृथक् अस्पतालों की व्यवस्था करना क्या वांछनीय होगा । साथ ही जिस सीमित धनराशि के इस कार्य के लिए प्राप्त होने की संभावना थी उससे सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पतालों का बनाना संभव भी नहीं था । अतः केवल मात्र डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए पृथक् अस्पतालों के बनाये जाने की प्रस्थापना को त्याग देना पड़ा । साढ़े तीन लाख रुपये की एक राशि ऐसे कार्यों के लिये जैसे सहकारी समितियां बनाने, कैन्टीनों को अनुदान देने और रात्रि स्कूल खोलने के लिये रखी गई थी। इस वर्ष में खोली गई सहकारी समितियों तथा कर्मचारियों द्वारा चलाये गये कैंटीनों की संख्या अभी बहुत अधिक नहीं है अतः इस कार्य के लिये पृथक रक्षित रखी गई सम्पूर्ण धनराशि को व्यय नहीं किया जा सका ।

केन्द्रीय सड़क संचिति नध

६८७. **श्री भीखाभाई** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सड़कों के विकास के लिए राजस्थान राज्य को केन्द्रीय सड़क संचित निधि में से दिये गये अनुदान की यदि कोई, परिमात्रा ;

(ख) यदि कोई अनुदान नहीं दिया गया है, तो क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से इस प्रकार का अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २.८५ लाख रुपये के अनदान स्वीकृत किये गये हैं तथा १०.५० लाख रुपये के अग्रेतर अनुदानों की राज्य सरकार को पेशकश की गई है ।

उदयपुर हिम्मतनगर रेलवे लाइन

६८८. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एक नई रेलवे लाइन बनाकर उदयपुर को हिम्मतनगर या लालोड़ से मिला देने की कोई प्रस्थापना है :

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ; तथा

(ग) यदि हां, तो कब तक उक्त प्रस्थापना के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ग) इस प्रस्थापना पर अभी केन्द्रीय यातायात परिषद् को विचार करना है । इसलिये अभी यह कहना कि कबतक उक्त प्रस्थापना के पूर्ण होने की सम्भावना है समय से बहुत पहले की बात है।

बे-टिकट यात्रा करना

६८९. **श्री ई० इय्यानी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे में बे-टिकट यात्रा करना बढ़ रहा है या कम हो रहा है ?

(ख) सन १९५०-५१ और १९५१-५२ इन यात्रियों के कारण हुई प्राक्कलि हानि क्या है ?

(ग) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में इन यात्रियों से वसूल की गई धनराशि की रकम क्या है ?

रेल तथा यानायात उपमंत्री (श्री **अलगेशन**) : (क) बे टिकट यात्रा की रोक थाम के लिये अपनाये गये अधिकाधिक प्रबन्धों के कारण बेटिकट यात्रियों के पकड़े गये मामलों की संख्या में बृद्धि हुई है ।

(ख) इस बे-टिकट यात्रा के कारण भारतीय रेलवेज़ को हुई हानि का कोई ठीक-ठीक अनमान लगाना सम्भव नहीं है । मोटे तौर पर गणना करने पर इस रकम को प्रति वष दो तथा तीन करोड़ रुपये के लग

भग समझा जा सकता है । परन्तु कुंजरू समिति ने इस हानि का अनुमान आठ करोड़ रुपया प्रति लगाया है ।

(ग) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में बेटिकट यात्रा करने वालों से जुरमाने के रूप में वसूल की गई रकम क्रमश: ९,३२,२३१ रुपये और ८,५८,६५३ रुपये है ।

वन्य भूमि

३९०. श्री **इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत संघ के प्रत्येक राज्य में वनों का क्षेत्रफल ;

(ख) इन राज्यों में सन् १९४७ के पश्चात् कृषि भूमि में बदली गई वन भूमि का क्षेत्रफल ;

(ग) प्रत्येक राज्य में बेकार भूमि का क्षेत्रफल ; तथा

(घ) प्रत्येक राज्य में सन् १९४७ के पश्चात् पुन: कृषि योग्य बनाई गई इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) , (ग) और (घ). उपलब्ध सूचना देने वाले तीन विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३५]**.

(ख) अपेक्षित सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है । इसे राज्य सरकारों से एकत्रित किया जा रहा है ।

उत्तर काशी में बेतार स्टेशन

६९१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की उत्तर काशी बेतार स्टेशन बन्द कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हाँ ।

(ख) ट्रैलीग्राफ यातायात किसी भी स्थायी प्रबन्ध के लिये निर्णायक नहीं होता है, परन्तु एक मौसमी बेतार कार्यालय स्थापित करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

अंक ६
संख्या १०

सोमवार,,
१५ दिसम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:o:——

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

राज्य परिषद् से प्राप्त संदेश [पृष्ठ भाग १८५३]

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

(१) अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक, १९५२ [पृष्ठ भाग १८५३]

(२) श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या पी० एफ० ५०९ (३४) दिनांक ४-११-५२ [पृष्ठ भाग १८५४]

(३) श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या पी० एफ० ५२३ (३) दिनांक १०-११-५२ [पृष्ठ भाग १८५४]

(४) श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या पी० एफ० ५२३ (४) दिनांक २६-११-५२ [पृष्ठ भाग १८५४]

(मूल्य ६ आने)

(५) जेनेवा में जून, १९५१ में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के ३४ वें सत्र में गए भारत के प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग १८५४]

(६) जून १९५१ में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३४ वें सत्र में स्वीकृत अभिसमय और सिपारिशें [पृष्ठ भाग १८५४]

(७) उक्त अभिसमयों और सिपारिशों के संबंध में प्रस्तावित सरकारी कार्यक्रम का सांकेतिक विवरण [पृष्ठ भाग १८५५]

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक— पारित [पृष्ठ भाग १८५५—१८५७]

पंच वर्षीय योजना संबंधी संकल्प—चर्चा— असमाप्त [पृष्ठ भाग १८५७—१९०८]

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक दस बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-३३ म० पू०

राज्य परिषद् से प्राप्त सन्देश

उपाध्यक्ष महोदय : अब सचिव कुछ संदेश पढ़ेंगे ।

सचिव : मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्न दो संदेश प्रतिवेदित करने हैं :

(१) "राज्य परिषद् १३ दिसम्बर, १९५२ को लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९५२ को पारित औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक १९५२ से बिना संशोधन सहमत हो गई है ।"

(२) "राज्य परिषद् द्वारा १३ दिसम्बर, १९५२ को पारित अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक की एक प्रति परिषद् के प्रक्रिया नियम ९७ के अनुसार प्रेषित है ।"

पटल पर रखे गये पत्र

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक

सचिव : मैं उक्त विधेयक को पटल पर रखता हूं ।

135 P.S.D.

कामकर-भविष्य-निधि-योजना में संशोधन करने वाली अधिसूचनाएं

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : कामकर-भविष्य-निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति मैं पटल पर रखना चाहता हूं :

(१) श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या पी एफ ५०९ (३४) दिनांक ४-११-५२ ;

(२) श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या पी एफ ५२३ (३) दिनांक १०-११-५२ ;

(३) श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या पी एफ ५२३ (४) दिनांक २६-११-५२ ।

[**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या** पी-८९/५२]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३४वें सत्र की सिपारिशें आदि

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : निम्न कागज़ों की एक-एक प्रति मैं पटल पर रखना चाहता हूं :

(१) जेनेवा में जून १९५१ में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३४वें सत्र में गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखा गया ; देखिये संख्या** आर० ओ० १ (२१४) एस (३४)]

(२) जून १९५१ में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३४वें सत्र में स्वीकृत अभिसमय और सिपारिशें । [**पुस्तकालय में**

[श्री आबिद अली]

रखा गया ; देखिये संख्या ४ आर० ओ० (२१३) एस (३४)]

(३) उक्त अभिसमयों और सिपारिशों के सम्बन्ध में प्रस्तावित सरकारी कार्यवाही का सांकेतिक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया ; देखिये** संख्या ४ आर० ओ० (२१३) एस (३४ ए)]

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक—समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री सी० सी० बिस्वास के संविधान में पुनः संशोधन करने वाले विधेयक के विचार प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ेगा। इस पर बहुत काफी चर्चा हो चुकी है और सदन अपना विचार स्थिर कर चुका होगा। अतः अब मैं इसे मतदान के लिए रखूंगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मेरे विचार से आपने निर्णय दिया था कि दोनों विधेयक साथ साथ निपटाए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक की चर्चा समाप्त होने पर मैंने सुझाया था कि इस पर मत देने के पहले सदस्यगण समझ लें कि दूसरा विधेयक क्या है। पर पहले विधेयक की चर्चा तो समाप्त हो ही चुकी है और मैं उसे सदन के सम्मुख रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

" भारत के संविधान में पुनः संशोधन करने वाले विधेयक के प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप को विचारार्थ ग्रहन किया जाए। "

विपक्ष में कोई नहीं दीखता। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पर फिर भी मैं विभाजन की मांग करता हूं, क्योंकि यह संविधान का संशोधन है और सदन के ५१ प्रतिशत व्यक्ति और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई इस के पक्ष में होने चाहिएं। इस अवसर पर विभाजन करना ही पड़ेगा।

सदन में मत विभाजन हुआ : पक्ष में, ३६६ : विपक्ष में २६।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय ; प्रस्ताव कल सदन के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अधिक बहुमत से स्वीकृत हुआ।

खंड १ तथा २

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २ में कुछ संशोधन हैं। पर पता चला है कि माननीय सदस्य उनको प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, अतः मैं दोनो खंडों को साथ-साथ मतदान के लिए रख दूंगा।

प्रश्न यह है कि :

" खंड १ तथा २ नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें। "

सदन में मत विभाजन हुआ : पक्ष में, ३६४ : विपक्ष में २४।

१२ मध्यान्ह

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव कुल सदन के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अधिक बहुमत से स्वीकृत हुआ।

खंड १ तथा २, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बना लिए गए।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री सी० सी० बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक को, यथासंशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

" विधेयक यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सदन में विभाजन हुआ : पक्ष में ३५१: विपक्ष में, २३ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव कुल सदन के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अधिक बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सदन योजना-आयोग द्वारा तयार की गई पंचवर्षीय योजना में निहित सिद्धान्तों, लक्ष्यों तथा विकास कार्यक्रमों के प्रति अपनी साधारण स्वीकृति अभिलेखित करता है । "

इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय मुझे यात्रा का एक चरण पूरा हो जाने, एक कर्त्तव्य पूरा कर चुकने और यों कहो कि अच्छी तरह पूरा कर चुकने जैसा अनुभव हो रहा है और साथ ही एक अत्यन्त तीव्र लहर यह उठ रही है कि अभी अपेक्षतया अधिक दुष्कर कर्तव्य सामने पड़ा है और दूसरी यात्रा तुरन्त पूरी करनी है, क्योंकि हमारी यात्रा में कोई विराम स्थल नहीं है ।

जहां तक प्रस्तुत योजना का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि इसका आरंभ योजना आयोग के जन्म के पश्चात् हुआ । वस्तुतः भारत में योजना के इस प्रश्न पर पहले भी विचार किया गया था और इसी सदन तथा पिछली संसद् में इस पर चर्चा हुई थी । पर यह विशेष आरंभ ढाई वर्ष पहले योजना-आयोग के जन्म के पश्चात् ही हुआ । इस विषय में मैं औचित्य का उल्लंघन किए बिना ही बात कर सकता हूं, क्योंकि योजना-आयोग से मेरा संबंध यद्यपि निकट का संबंध था, फिर भी इसका बोझ मेरे ऊपर कम पड़ा है । यह बोझ दूसरों ने ही उठाया है और इस कारण यदि मैं उसकी प्रशंसा करूं तो यह मेरी या इस संबंध में मेरे ही कार्य की आत्मश्लाघा नहीं होगी । इसी से मैं स्वयं उस प्रशंसा का भाजक होता, तो मैं शायद उतने मुक्त रूप से न बोल सकता, जो अब बोल सकूंगा ।

योजना-आयोग और उसके कर्मचारीवर्ग ने जिसमें मैं विभिन्न पद-उपाधियों वाले सभी लोगों को समेटता हूं, इस योजना को तयार करने में बड़े श्रम बड़े मनोयोग, बड़ी सचाई और बहुत ही पवित्र भावना से प्रेरित होकर काम किया है ।

अतएव मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा ; बिना समझे-बूझे कोरी प्रशंसा नहीं, बल्कि उनके कार्य को अच्छी तरह से समझते हुए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा । और यह आवश्यक नहीं कि उस योजना के किसी भाग या किसी अध्याय से किसी के सहमत होने या न होने का उस प्रशंसा से कोई संबंध हो । यह कार्य एक अर्थ में इस प्रकार का पहला कार्य है, और निश्चय ही जहां तक हमारा संबंध है, यह इस प्रकार का पहला ही कार्य है और इतना तो हम औचित्यपूर्वक कह सकते है कि ऐसे प्रसंग में तो यह कहीं के भी लिए इस प्रकार का पहला कार्य है । हमें भली भांति विदित है कि २० वर्ष पहले

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना के हमारे सामने आने के बाद और उसकी खूब चर्चा होने के बाद ही योजना सुप्रसिद्ध हुई और फैशन बन गई। क्रमशः योजना लोगों की बातचीत का एक सर्वप्रिय अंग बन गई, यद्यपि उसकी चर्चा करने वाले व्यक्ति प्रायः यह समझे बिना ही बात किया करते है कि वे किस विषय की चर्चा कर रहे हैं।

मेरा अभिप्राय यह है कि लोग कभी कभी सीमित क्षेत्र में योजना की बात चलाया करते है। वस्तुतः पूरे राष्ट्र के लिए योजना बन सकती है; वह इधर उधर खंडशः बनाई गई योजनाओं से कहीं बड़ी योजना होगी। वह राष्ट्र की नाना प्रकार की कार्यवाहियों के सुलझाने का एक समन्वित रुप बन जाता है। पर हमारी रीति और सोवियत रीति के बीच का अंतर—मैं दोनों की तुलना न करके उल्लेख ही कर रहा हूं—हमारे लक्ष्यों के थोड़े से अंतर के कारणस्वरूप रहा है, पर यह अंतर उतना बड़ा नहीं है, जितना समझा जा रहा है, बल्कि अंतर अपनाए गए तरीकों में है। और इस बात की दृष्टि में कि हमने प्रजातंत्रीय ढांचे को स्वेच्छा से अपनाया है, और अपने संविधान और इस संसद में उसे समाविष्ट किया है, बनने वाली कोई भी योजना स्वाभवतः इसी ढांचे के अंतर्गत बनेगी, और किसी भी योजना-आयोग को ऐसी कोई वस्तु पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका हमारे संविधान और हमारे ढांचे से कोई संबंध न हो।

इससे योजना की कुछ आत्म-निक्षिप्त सीमाएं बन जाती हैं, किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि वे सीमाएं अंतिम सीमाएं नहीं हैं। और मैं नहीं समझता कि यह कहना उचित है कि प्रजातंत्री कार्यप्रणाली निश्चय ही कुछ बंधन लगा देती है। इससे मार्ग अपेक्षतया दुर्गम अवश्य हो जाता है : अपनाई गई प्रक्रिया अपेक्षतया अधिक जटिल हो जाती है। पर समुचित रूप में काम करने वाला प्रजातंत्री ढांचा हम जो कुछ करना चाहें करने की अनुमति देगा। और संभवतः मेरे अनुमान से यह प्रजातंत्री ढांचे के अनेक औचित्यों में से एक औचित्य है कि यह जो कुछ करता है, उसमें देर भले लगे, पर वह अपेक्षतया अधिक सुदृढ़ नींव रखता है और विशेषतः यह व्यक्ति को न भुला कर व्यक्ति की नींव रखता है। पर मैं इस बात पर विशेष जोर नहीं देना चाहता मैं यह कहना चहता हूं कि प्रजातंत्री ढांचे और इस संसद की कार्य प्रणाली आदि को स्वीकार करने के बाद हमें इस योजना पर उस आधार से विचार करना होगा। हमने एक संविधान बनाया है, और हमें उसका पालन करना चाहिए। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान या उस का कोई अंग इतना अनुल्लंघनीय है कि देश या राष्ट्र की महती आवश्यकता पर भी उसे बदला नहीं जा सकता। निःसन्देह जब आवश्यक हो तो, सहसा तो नहीं पर पूरा विचार करने के बाद और यदि संविधान का कोई भाग राष्ट्र की प्रगति के आड़े आता है, तो इसे बदला जा सकता है। पर साधारणतः हमें संविधान के अनुसार ही अपनी योजना बनानी पड़ेगी।

यह योजना या इसकी जननी प्रारूप रूपरेखा एक वर्ष से कुछ पहले देश के और इस संसद के भी समक्ष रखी गई थी और तब संसद् ने इसे साधारणतः स्वीकार किया था। तबसे साल भर तक यह योजना पूरे देश में स्वीकृति और आलोचना और कुछ सीमा तक इसके कुछ अंगों की निन्दा का विषय रही है। और योजना-आयोग ने उस आलोचना और उसके कुछ भागों की आंशिक निन्दा से भी बहुत लाभ उठाया है। मैं नहीं समझता कि विविध संगठनों

दलों और राज्यों के साथ ही नहीं, बल्कि विचारों, अभिमतों और राष्ट्र जीवन का निर्माण करने वाले नाना-तत्वों के साथ भी ऐसा परामर्श कभी भी और कहीं भी किया गया होगा, जैसा हमने इस विशिष्ट योजना के संबंध में पिछले सवा साल में किया है। उस अर्थ में इसे योजना-आयोग के पांच-छः सदस्यों की उपज नहीं बल्कि एक संयुक्त प्रयत्न कहना चाहिए, जिसमें राष्ट्र के अधिकांश अंग ने भाग लिया है, इसलिए यह योजना-आयोग के सदस्यों के अभिमत से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। उनको बड़ी मुश्किल समस्या निपटानी पड़ी है। वस्तुतः हमारा देश विशाल है, पर देश की विशालता के अलावा हमें एक संघीय ढांचे को लेकर चलना है—केन्द्र है और विशाल राज्य हैं और राज्य भी विविध मात्रा में बंटे हुए हैं। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था से निपटना है जो कई प्रकार से एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। हमें अतीत के कर्मों और घटनाओं का फल भुगतना पड़ेगा। हमें नई सामाजिक-चेतना से जो अत्यंत वांछनीय है, निपटना है। हमें उन भारी महत्वाकांक्षाओं को भी निपटाना है, जो शीघ्र प्रगति करने के लिए हम सबका अंग बन गई हैं, और उन भारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने सीमित संसांधनों से भी निपटना है। हमें विश्व के झंझावात, संघर्ष, संकट और क्रांति वाले युग से निपटना पड़ा है और निपटना है। हमें भारत में प्रायः रूढ़िवादी पुराने विचारों वाले लोगों से निपटना पड़ता है, जो प्रगति-पथ के रोड़े बनते हैं। हमें उन कल के सुधारकों से, जो आज रूढ़िवादी हो गए हैं, और उन क्रांतिवादियों से जो यह भूल रहे हैं कि कल से आज में बहुत अंतर हो गया है, भी निपटना है। दूसरे शब्दों में हमें निरंतर परिवर्तित होने वाली गतिशील और सजीव स्थिति से निपटना है, जो धार्मिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार के अंधविश्वास द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती।

इसके सिवा भारत जैसे विशाल देश की बात करते समय आपको भारत की और उस में विद्यमान दशाओं की ही बात करनी होगी, किसी दूसरे देश की और उनको यहां दुहरान की बात नहीं। वस्तुतः कुछ सिद्धांत, आदर्श और लक्ष्य हैं, जो विभिन्न देश-काल में अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं भारत ऐसे सिद्धांतों का प्रतीक रहा है और मुझे आशा है कि आगे भी बना रहेगा। पर साथ ही मुझे जोर देकर कहना है कि उसे वे बुरी आदतें और रूढ़ियां छोड़नी पड़ेंगी, जो उसकी प्रगति में बाधक रही हैं और जो आज भी लोगों का ध्यान उन मुख्य विषयों से हटाती रहती हैं, जिन पर हमें यहां बैठकर विचार करना चाहिये। अतः देश की इस समूची एकता और विविधता के लिए हमें अपनी भावी उन्नति संबंधी योजना बनानी पड़ेगी और क्षण भर इस बात का ध्यान करते ही मैं योजना आयोग के प्रतिवेदन की इन दो भारी-भरकम जिल्दों को भूल जाता हूं, और मेरे सामने एक दूसरा ही दृश्य—अपने निर्माण पुनर्निर्माण करने वाले राष्ट्र की महान् गाथा, नए भारत के निर्माण के लिए हम सब के साथ साथ प्रयत्न करने की महान् कल्पना का एक चित्र—खिंच जाता है, जो अमूर्त भावना नहीं, बल्कि ३६ करोड़ जनता की व्यक्तिगत या वर्गगत रूप में साथ-साथ काम करते हुए आगे बढ़ने की अभिलाषा का दृश्य है।

वस्तुतः हम उस औद्योगिक-क्रांति का साथ यथासंभव शीघ्र पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनेक वर्ष पहले पश्चिमी देशों में हुई थी और जिसने एक शताब्दी या कुछ अधिक समय में बड़े बड़े परिवर्तन पैदा कर दिए थे ; जिस महान् वृक्ष की शाखाएं अंत में दो दिशाओं में फैली थीं, और आज एक दिशा का प्रीतनिधित्व संयुक्त राज्य अमरीका का विशाल प्रौद्योगिकीय विकास कर रहा है और दूसरी दिशा का प्रतिनिधित्व

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सोवियत संघ —आज वे भले ही परस्पर लड़ें, पर दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। इस औद्योगिक क्रांति का इतिहास बहुत लंबा है और भारत की बात चलाते समय यूरोपीय इतिहास का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा। मैं नहीं समझता कि हम भूतकाल की भूलें फिर क्यों दुहराएं। प्रकट है कि हमें अतीत से पाठ सीखना होगा, और उन भूलों से बचना होगा।

हम औद्योगीकरण की बात कर रहे हैं और मेरे निकट यह बिलकुल स्पष्ट है कि जल्दी से जल्दी हमें भारत का औद्योगीकरण करना होगा। 'औद्योगीकरण' शब्द में मैं सभी प्रकार के उद्योगों—बड़े, बीच के, छोटे, ग्राम, घरेलू—को समेटता हूं। आप जैसे चाहें जोड़ लें, देश के औद्योगीकरण की दिशा में हमारे द्वारा उठाए गए बड़े से बड़े पग के फलस्वरूप अगले दस, बीस या तीस या यथेच्छ वर्षों में देश की जनसंख्या के एक छोटे से भाग को ही काम मिल सकता है। फिर भी करोड़ों बाकी बचेंगे, जिन को मुख्यत: कृषि में और फिर छोटे-मोटे या घरेलू-उद्योगों में लगाना पड़ेगा। बड़े उद्योग बनाम घरेलू उद्योग या ग्रामोद्योग वाला बार-बार रखे जाने वाला तर्क कुछ नासमझी का तर्क है। मुझे कोई संदेह नहीं कि इस देश में बड़े-बड़े उद्योगों को विकसित किए बिना हम अपना जीवन-स्तर नहीं बढ़ा सकते। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ चीजें इतनी अत्यावश्यक हैं कि उनके बिना आप स्वाधीन नहीं रह सकते; दूर न जा कर प्रतिरक्षा को ही लें, उसके बिना हमारा देश स्वाधीन नहीं रह सकता। अत: हमें अपने उद्योगों को उस बड़े पैमाने पर विकसित करना होगा, पर साथ ही यह ध्यान तो सदैव रखना ही होगा कि उन बड़े-बड़े उद्योगों से ही इस देश के करोड़ों व्यक्तियों की समस्या हल नहीं होती, और हमें छोटे-मोटे ग्रामोद्योगों और घरेलू-उद्योगों को भी भारी मात्रा में विकसित करना होगा - पर छोटे-बड़े प्रत्येक प्रकार के उद्योग को विकसित करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम मानव-तत्व को न भूल जाएं। हम अधिक धन या अधिक उत्पादन ही नहीं चाहते, बल्कि अन्ततोगत्वा हम इस देश की मानव जाति का स्तर बढ़ाना चाहते हैं और आर्थिक आदि रूपों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक अन्य रूप में भी उसे अपेक्षतया अधिक अवसर प्रदान करना चाहते हैं। हम अन्य देशों में यह देख चुके हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ अवश्यंभावी रूप में स्वत: मानवीय विकास या राष्ट्रीय-विकास नहीं होता। अत: हमें यह मानचित्र अपने ध्यान में रखना होगा और यह नहीं सोचना होगा कि बाजारों या सट्टा-बाजारों में बढ़ने वाले व्यापार से ही राष्ट्र का विकास हो जाएगा। अत: इन सब बातों का संतुलन रखने के लिए, देश के आर्थिक विकास के अभिप्राय से एक समन्वित योजना बनाने के लिए व्यक्ति के विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्रदान करने के लिए और देश में अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीनता लाने के लिए आपको यह सब राजनीतिक प्रजातंत्र के ढांचे के अधीन रहते हुए ही करना पड़ेगा। राजनीतिक प्रजातंत्र भी तभी उचित ठहर सकेगा, जब उससे ये परिणाम पैदा हो जाएं। यदि ऐसा नहीं होता तो राजनीतिक प्रजातंत्र किसी दूसरे आर्थिक या सामाजिक ढांचे के आगे घुटने टेक देगा, भले ही हम इसे कितना ही पसंद या नापसंद करें। आखिर यह तो नतीजे से ही जाना जा सकेगा कि हम इस देश में या दुनिया के किसी देश में क्या ढांचा अपनाएं जब हम राजनीतिक प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना होगा कि अब इस

की १९वीं शताब्दी वाली विचित्रता लुप्त होती जा रही है। यदि राजनीतिक प्रजातंत्र को सार्थक रहना है, तो उसे क्रमशः आर्थिक प्रजातंत्र बनना होगा। उसके बिना यदि देश में भारी असमानता बनी रही तो दुनियां भर के राजनीतिक प्रजातंत्र और व्यस्कमताधिकार मिलकर भी प्रजातंत्र का वास्तविक स्वरूप उपस्थित नहीं कर सकते। अतएव आपका लक्ष्य वही होगा—आप उसे आर्थिक प्रजातंत्र कहें या वर्गगत गहरी खाइयों को समाप्त करना कहें—जिससे अपेक्षतया समानता वाला और एकस्वरुप समाज बन सके। दूसरे शब्दों में, इसे विद्यमान वर्गों को क्रमशः समाप्त करना होगा और अंत में वर्गहीन समाज की रचना करनी होगी। वह दिन कुछ दूर हो सकता है, मुझे पता नहीं कितना दूर ; पर आपको उस पर ध्यान रखना होगा।

जहां तक इस देश का संबंध है, आप संघर्ष और हिंसा द्वारा उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें शांति द्वारा अनेकों लाभ हुए हैं और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि अब आप उसे छोड़ हिंसात्मक उपायों को अपना लें। उलटे इसके विपक्ष में अनेक कारण हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लक्ष्य और आदर्श भले ही अत्यंत उच्च हों पर यदि हम उनको हिंसात्मक उपायों से पाना चाहेंगे, तो इसमें बड़ी देर लगेगी और वही बुराइयां खड़ी हो जाएंगी जिनके विरूद्ध हम संघर्ष कर रहे हैं। भारत केवल विशाल देश ही नहीं है, बल्कि विविधतापूर्ण देश भी है, और यदि कोई तलवार उठाता है तो निश्चय ही उसके मुकाबिले के लिए तलवार वाला कोई न कोई व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा। अतः यह तलवारों का युद्ध, हिंसा बन जाएगा और इस प्रकार राष्ट्र की सीमित शक्तियां विनिष्ट या नष्ट-प्राय हो जाएंगी।

१ म० प०

अतः शांतिपूर्ण प्रणाली वाला उपाय ही प्रजातंत्री प्रगति का एकमात्र उपाय है। पर प्रजातंत्री विचारधारा के चरम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यही कहना काफी नहीं कि हमने सब को मताधिकार दे दिया है और अब शेष यथावत् रहने दिया जाए। चरम उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र है। चरम उद्देश्य गरीब-अमीर की उन व्यक्तियों की जिनके लिए पूरे-पूरे अवसर हैं और जिनके लिए कोई अवसर नहीं है इस गहरी खाई को पाटना है। यह ध्यान में रखना होगा। उस उद्देश्य के आड़े आने वाली प्रत्येक वस्तु को रास्ते से हटाना होगा—मैत्रीपूर्वक सहयोगपूर्वक और राज्य के दबाव से हटाना होगा ; विधि द्वारा हटाना होगा, क्योंकि आपके उस सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के आड़े कुछ भी नहीं आने दिया जा सकता।

अतएव इस प्रकार की योजना का अर्थ इधर-उधर अनेकों फैक्टरियां खोल देना ही नहीं है ; इधर-उधर अपेक्षतया कुछ अधिक उत्पादन दिखा देना ही नहीं है—यद्यपि वस्तुतः वह भी आवश्यक है—बल्कि कुछ गंभीर महत्व की बात है; समाज के उस ढांचे पर ध्यान रखने वाली बात है, जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। वास्तव में आप या हम यह नहीं कह सकते कि कल क्या होगा और अगली पीढ़ी क्या करेगी—न आप या हम यही कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी कैसी होगी। तीव्र प्रौद्योगिकीय प्रगति के इन दिनों में कोई नहीं जानता कि कुछ समय बाद दुनियां कैसी हो जाएगी। हम प्रौद्योगिकीय रूप में पिछड़े हुए हैं। अतएव बड़ी बड़ी समस्याओं की चर्चा करते समय हम कुछ स्थिर रूप में बात करते हैं और यह भूल जाते हैं कि दुनियां बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। यदि हम उस के साथ न चले तो या

[श्री जवाहरलाल नहरू]

तो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे या पीछे रह जाएंगे । औद्योगिक क्रांति के बाद से प्रौद्योगिकीय-प्रगति की तीव्र गति साधारणतः सर्वविदित रही है, पर फिर भी हमें दैनिक प्रगति का भावात्मक ज्ञान नहीं है और संभव है दस बीस या अधिक वर्षों में यह प्रौद्योगिकीय प्रगति दुनियां के पदार्थ का पहलू ही बदल दे और मानव जाति के जीवन पर अपार प्रभाव डाले । उनकी विचारधारा बदल दे और उनका आर्थिक ढांचा ही बदल दे । कुछ भी संभव है । हम भविष्य को बांध नहीं सकते । अभी तो हमें विद्यमान तथ्यों से ही निपटना होगा ।

पर मैं इन विस्तृत तत्वों का उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं, जिससे हमारे मन में वह गतिशील स्वरूप, वह दृश्य, वह क्रांतिमयी झांकी अंकित हो जाए, जिसे न केवल जन-साधारण ही, बल्कि हमारे विशेषज्ञ--अर्थशास्त्री और योजनाविशारद--भी नहीं पहचानते । वे अपनी कार्यप्रणाली में बहुत कुछ स्थितिशील हो गए हैं । मैं इस विशाल परिवर्तन को नहीं समझता । हम क्रांति की बात करते हैं और शायद यह समझते हैं कि क्रांति ऐसी चीज है जिस में आप एक दूसरे का सिर तोड़ सकते हैं । वह क्रांति नहीं है । वह कुछ हो या न हो--यह अलग बात है । भली हो या बुरी क्रांति ऐसी चीज है, जो समाज के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को मूलतः बदल देती है, अतः इस पृष्ठभूमि के साथ हमें अपने इस योजना संबधी पहले प्रयत्न पर विचार करना है ।

स्वभावतः यह परिपूर्ण नहीं है । मैं परिपूर्णता का दावा नहीं करता । परिपूर्णता बड़ी बात है । मेरी समझ से इसमें छिद्रान्वेषण संभव है । यह दिखा देना बहुत सरल है कि इसमें यहां पर त्रुटि है या यह बात यहां पर ठीक नहीं है, या इतना और हो सकता था या अमुक आवश्यक बात छूट गई है या अमुक अनावश्यक बात रख दी गई है । यह सब हो सकता है और किया जाएगा । मुझे कोई संदेह नहीं कि बाद में योजना-आयोग इन सारी बातों से लाभ उठाएगा । पर इसे केवल आलोचना की ही दृष्टि से नहीं, बल्कि इस विस्तृत प्रसंग में देखें कि यह भारत में वह पहला प्रयास है जो देश के सर्वांगीण चित्र को कृषि संबंधी, औद्योगिक, सामाजिक आर्थिक आदि-आदि पहलुओं को--एक विचार सूत्र में बांधता है । यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, और मैं कहता हूं कि इसमें इधर-उधर कुछ त्रुटियां भी हों, तब भी यह एक वृहत् प्रयास के पूर्ण होने की कहानी है । इसमें न केवल इसमें भाग लेने वालों को और न केवल इस सदन के सदस्यों को जो इन भारी भारी समस्याओं पर विचार करते हैं, बल्कि समूचे देश को ही योजना के प्रति जागरूक बना दिया है । इसने उनको इस समुचे देश की बात सोचने के लिए विवश कर दिया है, क्योंकि मेरे विचार से इस देश में हमारे लिए आज सर्वाधिक महत्व की बात यही है कि इस देश को जो, राजनीतिक तथा अन्य बातों में तो एक है, पर जहां मानसिक और भावनात्मक एकता उतनी नहीं है, उस विषय में भी एकता के सूत्र में पिरो दिया जाए । प्रायः हम प्रांतीय, सांप्रदायिक, जातिगत या ऐसे ही अन्य विचारों में बह जाते हैं, और देश की भावनामय एकता के प्रति उतने जागरूक नहीं रहते, जितना हमें होना चाहिये । यह योजना ही है, जो उन समस्याओं पर सामहिक रूप में विचार करते हुए हमारे हृदयों में अपनी सामहिक समस्याओं के प्रति वह भावनामय ज्योति जगा सकेगी, जिसके फलस्वरूप हम अपने गांव, जिलों या प्रांतों की समस्याओं को अलग

नहीं समझेंगे। अतएव योजना तैयार करने, अपनी समस्याओं को इस प्रकार सुलझाने और इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का यह कार्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसके लिए अपने आप को बधाई दे सकते हैं।

यह याद रखें कि दो-तीन वर्ष पहले जब हमने योजना संबंधी चर्चा चलाई थी, तो इसके विरुद्ध बड़ी-बड़ी आवाजें उठाई गई थीं। कुछ लोगों के लिए योजना का अर्थ है, उद्योग की तटकर द्वारा या धन देकर सहायता करना और उनको मन चाहा करने के लिए छोड़ देना। वे किसी भी रूप में नियंत्रित होना पसंद नहीं करते। यद्यपि योजना का तत्व देश की समूची अर्थ व्यवस्था के ऊपर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रखना है, यह योजना देश के उद्योगों के निजी खंड और लोक खंड का निर्देश करती है। पर सदन को तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि यह निजी खंड भी वस्तुतः नियंत्रित रहेगा, यद्यपि उतना तो नहीं, पर फिर भी वह कई प्रकार से नियंत्रित खंड होगा और दिन-दिन अधिकाधिक नियंत्रित होता जाएगा। अपने लाभों और लाभांशों के विषय में वह नियंत्रित हो सकता है, पर इसे कुछ अधिक रूप में नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंगों पर नियंत्रन रखना पड़ेगा, और यह प्रतिवेदन अनेक विषयों के प्रति सजग है। पर यदि आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए, पर निश्चयात्मक रुप में यह नहीं कहा गया कि यह करो, क्योंकि इसने बहुत कुछ इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है। बैंकिंग और बीमा जैसे विषयों को लें। देश की अर्थव्यवस्था में वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। युद्ध कौशल की दृष्टि से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उनका नियंत्रण होना चाहिए। क्या किया जाए और कैसे किया जाए आदि बातों पर कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि योजना-आयोग ने विवरण देना उपयुक्त नहीं समझा। पर प्रतिवेदन के पहले अध्याय पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इनको ध्यान में रखना होगा, और उनको किसी न किसी रूप में नियंत्रित करने के लिए पग उठाने होंगे जिससे उन को एक नियंत्रित अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र और परिधि के अधिकाधिक अनुरूप बनाया जा सके।

अतः यह योजना कुछ निश्चित बातों के करने का और बहुत-सी दूसरी बातों के करने का सुझाव देती है, पर यह विवरणों को नहीं लेती और इस बात को नहीं बताती कि यह कैसे किया जाए और कब किया जाए। वह योजना काल में किया जा सकता है, पीछे नहीं, क्योंकि योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने का मार्ग कांटों और भूलों से भरा हुआ है। हम में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भविष्य की धुंधली झांकी भर देख सकते हैं और समानांतर रेखाओं के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। पिछले अनुभव के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। पर, आखिर कार आप को फौलाद, सीमेंट और दूसरी अनुमेय चीज़ों से ही नहीं निपटना है, बल्कि आपको इस देश के ३६ करोड़ व्यक्तियों से निपटना है, जो एक दूसरे से सर्वथा पृथक् है। दुनियां के सारे के सारे अंकशास्त्री और अर्थशास्त्री यह नहीं बता सकते एक व्यक्ति समूह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। आप को आज़माइश और भूल के रास्ते ही बढ़ना होगा। मुझे संदेह नहीं कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय आएगा तो हमारी स्थिति कहीं अधिक अच्छी और कहीं अधिक दृढ़ होगी, क्योंकि तब हम इस विचार-विमर्श और उसके प्रतिफल वाली प्रक्रिया को पार कर चुकेंगे। और इस योजना के अनुसार निर्माण करने और आज़माइश करने की जो प्रक्रिया होगी, उससे

[श्री जवाहरलाल नहरू]

हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। इसलिए दूसरी योजना बहुत अधिक प्रभावी और तलस्पर्शी योजना होगी, जो न केवल सिद्धान्त बल्कि व्यवहार द्वारा अर्जित अपेक्षतया अधिक ज्ञान पर आधारित होगी।

यह भी याद रखें कि यद्यपि हम इसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, पर पांच में से दो वर्ष तो निकल चुके हैं। अतः वस्तुतः यह अगले तीनेक वर्ष की योजना है। हम ने यह योजना कुछ बंधनों के साथ शुरू की है, क्योंकि हमें पहले से हो चुकी बातों को मानना पड़ा है। हम ने उन बातों को शुरू नहीं किया, पर हमें उनको मानना पड़ा। हमारे संसाधन पहले से हो चुकी बातों से बंध गये, और स्वभावतः उनको मानते हुए हमें शेष साधनों से अगले समय का प्रबन्ध करना पड़ा।

अतः यह पंचवर्षीय योजना आंशिकरूप में पहले से ही चल रही है और अगले तीनेक वर्षों में यह पूरी हो जायेगी। यह भी ध्यान में रखिये कि यह योजना अनिवार्यतः भविष्य की अपेक्षतया अधिक और तीव्र प्रगति की तैयारी वाली योजना ही है। जैसा मैं ने, कहा, यदि हम ने नींव पक्की रखी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसकी अपेक्षा कहीं अधिक तेज़ी से प्रगति करेगी। हम ने विविध चालें सुझाई हैं, लोग जैसे चाहें जोड़ लें। कुछ लोग कहते हैं कि यह चाल बहुत धीमी है। दूसरे कहते हैं "यह बहुत तेज़ है क्या आप इसे पूरा कर सकेंगे ?" यह बुद्धिमत्तापूर्ण आंकड़ों और पूर्वाशाओं के आधार पर जोड़ा गया है। यदि हम इस से अच्छा कर सकते हैं, तो हम निश्चय ही वैसा करेंगे।

हम औद्योगीकरण की बात करते हैं। पहले के अध्यायों में दिये गये कुछ आंकड़े यह बतलाते हैं कि कितना उद्योगों में जायेगा, कितना कृषि में, और कितना सामाजिक सेवाओं, यातायात तथा शेष बातों में। इस मानचित्र में उद्योग सम्बन्धी उपबंध इतना आकर्षक नहीं दिखाई देता। कृषि बहुत कुछ ले जाती है। जहां तक मुझे याद है, सिंचाई पर एक काफ़ी मोटी सी रक़म ख़र्च होनी है। हम उद्योगों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, पर प्रस्तुत प्रसंग में हम कृषि तथा खाद्य और कृषि सम्बन्धी अन्य बातों को अपेक्षतया अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि यदि कृषि सम्बन्धी हमारी नींव ही दृढ़ न हुई, तो हम जो उद्योग खड़े करेंगे उनका आधार दृढ़ न होगा। इस के सिवा आज यदि हमारे देश में खाद्य का मोर्चा गड़बड़ हो जाता है, तो सभी कुछ गड़बड़ हो जायेगा। अतः हमें खाद्य के मोर्चे को काफ़ी दृढ़ रखना होगा, हम उसे कमज़ोर करने का दुःसाहस नहीं कर सकते। यदि हमारी कृषि सुधर जाये सुदृढ़ हो जाय, तो, हमारे लिये उद्योगों की ओर तेज़ी से बढ़ना सरल हो जाता है; पर यदि हम आज कृषि को दुर्बल छोड़ कर उद्योगों की ओर बढ़ते हैं, तो उद्योगों को भी दुर्बल कर देंगे। इस लिये सब से पहले कृषि तथा खाद्य की ओर ध्यान दिया गया है और मेरे विचार से इस समय भारत जैसे देश के लिये यह अत्यावश्यक भी है।

फिर भी कुछ बुनियादी और प्राणभूत उद्योगों की बात सोची गई है और उनको रखा गया है। उद्योगों के विकास के लिए बुनियादी चीज़ शक्ति है शक्ति—विद्युत् शक्ति है। आप तब तक किसी भी उद्योग को विकसित नहीं कर सकते, जब तक आप के पास काफ़ी बिजली न हो। किसी भी देश की प्रगति का अंदाज़ आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां कितनी बिजली है। किसी देश के विकास की यह अच्छी जांच है। अब हमें इन विभिन्न जल-विद्युत् परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं और बहुसूत्री परियोजनाओं आदि से बिजली मिल जायेगी।

अपने इस प्रारंभिक निवेदन में मैं इन दो जिल्दों के विवरणों को नहीं लेना चाहता। मुझे कोई संदेह नहीं कि माननीय सदस्य इन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और चर्चा के सिलसिले में अपने सुझाव देंगे। मैं सादर सुझा दूं कि शेष अध्यायों की अपेक्षा पहले चार अध्याय या कुछ और अध्याय अपेक्षतया अधिक ध्यान से पढ़े जायें और चर्चा में उनको ही विशेष रूप में लिया जाये, क्योंकि उन में योजना के ढांचे के लक्ष्य, उद्देश्य और प्रणाली को स्पष्ट किया गया है। शेष अंश भी यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर वे विवरण मात्र ही हैं और कोई भी संसद् बैठ कर विवरणों और पूर्ववर्तिताओं को निश्चित नहीं कर सकती। संसद् को वह लक्ष्य और साधारण ढांचा निश्चित करना है, जिसका हम पालन करें।

अतएव मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को सुलझाते समय हम साधारण सिद्धान्तों और लक्ष्यों को ध्यान में रखें। हम तरीके निश्चित कर दें। यदि आप चाहें तो मैं कह दूं कि हम उन तरीकों की रूपरेखा बना चुके हैं और उन पर काम कर रहे हैं—यह इस समस्या का साधारण प्रजातंत्री समाधान है। यद्यपि ऐसा है, फिर भी प्रजातंत्र विषयक अपनी कल्पना को हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम प्रजातंत्र का अर्थ वह नहीं लगाते, जो दूसरे देशों में अर्थशास्त्र के 'हस्तक्षेप न करना' सिद्धान्त के नाम से पुकारा जाता है। वह सिद्धान्त अब भी कुछ लोगों के मन में रह सकता है। परन्तु वस्तुतः यह वैसे ही मृतवत् हो गया है, जैसे इसको जन्म देने वाली उन्नीसवीं शताब्दी—और अब यह उन देशों में भी समाप्त हो चुका है, जो इसकी विशेष चर्चा चलाया करते हैं। कुछ भी सही, हम भारत-वासी इसे पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है।

वस्तुतः इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य प्रत्येक बात को अपने प्रभारि में ले रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ने एक निजी खंड रखा है और एक लोक खंड। पर जैसा मैं ने कहा, निजी खंड को भी, जिसे हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हमारी नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनना पड़ेगा। उस अर्थ में इसकी उपक्रम-विषयक स्वाधीनता बहुत कुछ सीमित होगी। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह योजना पर इस प्रसंग को समझते हुए विचार करे।

मैं आंकड़ों को नहीं लेना चाहता। इस योजना में दो हज़ार करोड़ से अधिक रुपयों का उपबन्ध है, जो प्रारूप योजना की अपेक्षा कई सौ करोड़ रुपये अधिक है। हमारे संसाधनों और दो हज़ार करोड़ रुपयों के बीच भारी अन्तर है। आशा है, शायद हमारे संसाधन बढ़ जायें। हमें बाहर से कुछ सहायता मिल सकती है। कुछ पहले ही मिल चुकी है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भय व्यक्त किया है कि यह बाहरी सहायता हमारी उस स्वाधीनता में बाधा डालेगी कि इस देश में हम क्या करें या क्या न करें। हां, यह बिल्कुल सच है कि किसी विषय में जब कोई किसी बाहर वाले पर आश्रित होता है, तो यह खतरा हो जाता है। मान लो हम अपनी सेना के लिये अस्त्रों की पूर्ति के विषय में विदेशों पर आश्रित रहें—तो कुछ सीमा तक इस में बहुत कुछ खतरा है। यदि हम अपनी आर्थिक उन्नति के लिये विदेशों पर आश्रित हैं, तो निश्चय ही हम उन पर आश्रित हैं। पर मेरे मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं अपनी उन्नति की गति धीमी रखना पसंद करूंगा, पर विदेशों की सहायता का आश्रित बन जाना पसन्द न करूंगा।

यह कह चुकने के बाद वस्तुतः मैं कोई कारण नहीं देखता कि यदि हम अपने आप विदेशों से वैसी सहायता लेने योग्य शक्तिशाली हैं, जो हमें तेज़ी से आगे बढ़ने में सहायता देगी, तो हम वैसा करने में क्यों डरें। अनेकों ऐसी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बातें हैं, जो हम उस सहायता से पूरी कर सकते हैं और जो हमें उसके न होने पर आगे के लिये स्थगित करनी पड़ेंगी। एक ओर थोड़ा सा ख़तरा है, बंध जाने का ख़तरा नहीं बल्कि आप चाहें तो उसे नैतिक ख़तरा कह दें या और कुछ। दूसरी ओर हमें, इस संसद् और इस देश को यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि हमें क्या करना है, और दोलारूढ़ नहीं रहना चाहिये। आख़िर अतीत काल में, प्राय: प्रत्येक देशने दूसरे देशों से विविध रूपों में सहायता ली है और मैं कोई कारण नहीं देखता कि जब इस सहायता से हमारी नीति और कार्यप्रणाली पर ज़रा भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम उसे लेना क्यों न पसंद करें।

श्रीमान् अब देर हो रही है और यह बहुत बड़ा विषय है। पर मैं अपनी बात सदन द्वारा इस विशाल रिपोर्ट के विचार की प्रस्तावना के रूप में कहना चाहता था और विवरणों को नहीं लेना चाहता था। मुझे कोई संदेह नहीं कि इस चर्चा के सिलसिले में अनेकों बातें उठेंगी, जिनका उत्तर देना आवश्यक होगा और उन को मेरे सहयोगी या सदन के अन्य सदस्य निपटायेंगे या मैं स्वयं बाद में निपटाऊंगा।

पर मैं इस अवसर पर अपने देश के पनर्निर्माण की कल्पना को लेकर अपने हृदय में उद्वेलित अनुभूतियों का विवरण देना चाहूंगा। इस समय हम ऐसे महान् कार्य में तल्लीन हैं, जिस के लिये हमारा संयुक्त प्रयत्न ही अपेक्षित नहीं है, बल्कि उस संयुक्त प्रयत्न के साथ उमंग और सुधार की प्रेरणा भी संबद्ध होनी चाहिये। और मुझे कोई संदेह नहीं कि यदि यह सदन इस प्रतिवेदन को उस रूप में मान ले, और हम अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों और देश के दूसरे भागों में इस सदन, इस संसद्, और इस पंचवर्षीय योजना का यह संदेश लेकर जायें, और इसके अनुसार काम करें तो निश्चय ही यह काग़ज़ी योजना देश में क्रमश: वास्तविक रूप प्राप्त करती जायेगी। और मेरे विचार से यह भी संभव है कि इस पर काम करते-करते आप इससे आगे को निकल जायें और योजना आयोग के सदस्यों द्वारा सोची गई स्थिति से भी बहुत आगे बढ़ जायें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया।

श्री एच० एन० मुखर्जी: (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : श्रीमान्, इन दोनों विशाल जिल्दों को पढ़ने के लिये हमें बहुत कम समय मिला है, अत: हम चार दिन तक इस पर चर्चा करें, और यदि आवश्यक हो, तो वह एक दिन के लिये स्थगित भी कर दी जाए, जिस से हम प्रधान मंत्री के इस भाषण पर भी पूरी पूरी तयारी कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में भाग लेने के लिये उत्सुक अनेकों सदस्यों का ध्यान रखते हुए १५, १६, और १७ की तारीख़ें निश्चित की गई हैं, और समय बढ़ा कर १० म० पू० से ६ म० प० तक (मध्यान्ह भोजन का समय छोड़ कर) कर दिया गया है, इस से २ घंटे रोज़ के जोड़ कर लगभग एग दिन और हो जाता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सत्र २० तारीख़ तक चलेगा और उसके आगे जाना मुश्किल है, हम १९ और २० दो पूरे दिन कुछ महत्वपूर्ण विधान-कार्य के लिये चाहते हैं। इस के सिवा मैं आपके और सदन के हाथ में हूं। आपने कृपया समय बढ़ा दिया है और यदि आवश्यक हो तो इस समस्या पर विचार करने के लिये हम एक-दो दिन के लिये प्रश्न-काल भी छोड़ सकते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : ठीक है, १९ और २० को छोड़ते हुए १८ तक तो चर्चा चल ही सकती है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां श्रीमान्, जैसा आप ने कहा कि एक-दो दिन बाद आप

निर्णय कर देंगे। जहां तक हमारा संबन्ध है, हम तो १८ तक चलाने को तैयार हैं, पर उसके आगे न जायें।

श्री एच० एन० मुकर्जी: शेष विधान-कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं, और हम उसे एक-डेढ़ दिन में निपटा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: हम विचार करेंगे, पर यह १८ के आगे नहीं जा सकता।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये ३ म० प० तक के लिये स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ३ म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय: आये हुए संशोधनों में कुछ अनियमित हैं, शेष रखे जायेंगे। पहले दो संशोधन श्री वल्लाथरास के नाम से हैं—पहला इसका अगले सत्र तक स्थगन और दूसरा जनमत के लिये परिचालन चाहता है। वह संकल्प को स्थगित क्यों करना चाहते हैं?

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै): चूंकि सारे राष्ट्र का इससे सम्बन्ध है, और २००० से भी अधिक करोड़ रुपयों का व्यय होना है। सरकार ने इसे तैयार करने में इतना समय लगाया, पर जनता के निकट इसका लक्ष्य स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रारूप रूपरेखा बहुत पहले संसद् और देश के सामने रख दी गई थी, और सर्वत्र खूब चर्चा हो चुकी है। अतः इन संशोधनों को देर करने वाला मानते हुए मैं अनियमित ठहराता हूं। अब माननीय सदस्य अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत कर दें। अनुपस्थित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत किये गये न माने जायेंगे। किसी संशोधन के किसी अंश के अनियमिति होने पर उस अंश को अनियमित घोषित करने का अधिकार रहेगा।

श्री वल्लाथरास के संशोधन में योजना के आंकड़ों को अत्याधिक आशावादी बताते हुए उससे देश की अर्थव्यवस्था के विघटन की आशंका प्रकट की गई।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) के संशोधन में योजना में जनता की राष्ट्रीय उमंगों का अभाव बताते हुए राज्यनीति के निदेशक तत्वों के विपरीत संपत्ति के व्यक्तियों के पास एकत्र हो जाने की अशंका की गई।

श्री एच० एन० मुकर्जी के संशोधन में जनकल्याण और समाज व्यवस्था के लिये योजना को अपर्याप्त बताते हुए उसके प्रति खेद प्रकट किया गया।

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़) द्वारा अपने संशोधन में जनसाधारण का सहयोग लेने की मांग की गई।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) द्वारा अपने संशोधन में देश के सभी वर्गों का सहयोग लेने की मांग की गई।

श्री पोकर साहब (मल-पुरम्) द्वारा अपने संशोधन में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के कम लक्ष्य बिंदु के प्रति निराशा प्रकट की गई।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) द्वारा अपने संशोधन में विधानसभा सदस्यों और संसद सदस्यों की अध्यक्षता में गांव गांव में ग्राम-संघ बनाने, देश-भक्ति के नाम पर शहर में बड़े आदमियों की आय स्वेछा से कम करवाने, और स्वदेशी-प्रचार करने की मांग की गई और संपत्ति के आयोजन और गांवों के गृह निर्माण के अभाव के प्रति खेद प्रकट किया गया।

श्री चिनारिया (महेंद्रगढ़) द्वारा अपने संशोधन में जमीन और उत्पादन-साधनों के समाजीकरण की मांग की गई।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम (गुंटूर) द्वारा अपने संशोधन में कृष्णा घाटी परियोजना को भी योजना में ले लेने की मांग की गई।

श्री माधव रेड्डी (आदिलबाद) द्वारा अपने संशोधन में रोजगारी और समान-वितरण के अभाव के प्रति खेद प्रकट किया गया।

श्री वल्ला तरास द्वारा अपने संशोधन में औद्योगिक नीति को प्रतिक्रियावादी बताते हुए ठोस सामाजिक व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था के अभाव और भ्रष्टाचार और भूमि सुधार के सम्बन्ध में विशेष कुछ न किये जाने के प्रति खेद प्रकट किया गया।

श्री यू० सी० पटनायक (धुमसूर) द्वारा अपने संशोधन में जनशक्ति के संघटन राष्ट्रनिर्माण में सेना की सहायता, सेना के व्यक्तियों का प्रशिक्षण, भूतपूर्व सैनिकों को काम देना, राष्ट्रव्यापी रक्षित निधि खड़ी करना, राष्ट्रीय सेना में सम्मिलित होने के लिये जनसाधारण की आकांक्षा को संतुष्ट करना, सेना सामग्री के निर्माण में स्वावलंबन पूर्ववर्तिताओं की एकतानता और सभी समस्याओं का समन्वित समाधान के अभावों के प्रति खेद प्रकट किया गया।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) द्वारा अपने संशोधन में गांव गांव में नई सामग्री से सुसज्जित सरकारी और गैरसरकारी लोगों की एक एजेंसी बनाने, पंचवर्षीय योजना में सेना से काम लेने, हरिजनों आदि में सामूहिक खेती शुरू करने, कर्नाटक की घट-प्रभा परियोजना को पंचवर्षीय योजना में ले लेने और अभाव क्षेत्रों में सैंकड़ों और छोटी-मोटी परियोजनाएं चलाने के सुझाव के दिये गये।

श्री तेलकीकर (नांदेड़) द्वारा अपने संशोधन में इस महान् योजना के प्रति हार्दिक समर्थन प्रकट किया गया।

श्री के० सुब्रह्मण्यम (विजियानगरम्) द्वारा अपने संशोधन में निजी उद्योगों में व्यक्ति के प्रभुत्व के, अधिकतम-जमीन की सीमा निश्चित न करने और संयुक्त राष्ट्र के स्थान पर व्यक्तिगत देशों से सहायता लेने के प्रति खेद प्रकट किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब संकल्प और इन संशोधनों पर दो तीन दिन तक चर्चा चलेगी। अब और संशोधन न लिये जायेंगे। वर्गों के नेताओं के लिये ३० मिनट और अन्य माननीय सदस्यों के लिये १५ मिनट की समयावधि निश्चित की जाती है, पर अध्यक्ष-पद के स्वविवेकानुकूल निर्णय की गुंजाइश रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री अलगूराय शास्त्री का संशोधन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं यू० पी० और विशेषतः पूर्वी जिलों में सिंचाई व्यवस्था को निराशाप्रद बताते हुए उसके लिये अधिक धन की मांग की गई।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): श्रीमान्, आज रिपोर्ट को पुरःस्थापित करते समय सदन के नेता द्वारा दिये गये भाषण की एक दो बातें मुझे बहुत भली लगीं। एक तो उन्होंने इसे अपरिपूर्ण मानते हुए नवनिर्माण की भावना से प्रेरित हो इसे अपनाने की बात कही। दूसरे उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि योजना के आरंभिक अध्यायों की ही विशेष चर्चा हो और विवरणों को न लिया जाये। पर में खाद्य नीति वाले अध्याय का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता, जिसे कुल १४$\frac{1}{2}$ पृष्ठ दिये गये हैं और मुझे भय है कि यही हमारे विकास के आड़े आयेगी। योजना आयोग ने कुछ सप्ताह पहले हम लोगों को योजना पर विचार करने के लिये आमंत्रित किया था, पर यह अध्याय कभी हमारे लिये उपलब्ध किया गया। अध्याय ११ के अनुसार खाद्य

संबन्धी घाटा १९४६ से १९५२ तक प्रति वर्ष क्रमशः २२.५, २२.३, २८.४, २७.१, ३१.३, ४१.७, और ३९ लाख टन रहा है, और इस पर ७५० करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। योजना के अगले तीन वर्षों में भी ३० लाख टन खाद्यान्न न सही तो २० लाख टन प्रति वर्ष का आयात तो होगा ही, और इन ६० लाख टनों का दाम लगभग ३०० करोड़ रुपये होगा। पर योजना में उसका स्पष्ट उपबन्ध नहीं है ; इस प्रकार वह देश के सामने समस्या का समुचित निर्धारण नहीं करती और इस कारण देश की सारी विकास योजनाएं लड़खड़ा सकती हैं।

दूसरी बात यह है कि कुल २०६८ करोड़ में से लगभग ८०० करोड़ रुपये एक ही दिशा में व्यय हो रहे हैं–१६८ करोड़ सिंचाई पर, २२६ करोड़ बहुसूत्री परियोजनाओं पर, १२७ करोड़ बिजली पर और ७७ करोड़ छोटे मोटे सिंचाई-कार्यों पर। और फिर अध्याय २६ की कंडिका ४२ में तो स्पष्ट माना गया है कि ये सारी योजनाएं प्राविधिक और आर्थिक पहलुओं पर पूरा विचार करके शुरू की गई हों, यह बात नहीं है मुझे कटु आलोचना नहीं करनी है ; मेरा कहना तो यही है कि खाद्य और कृषि पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। छोटी-मोटी सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिये था। दुर्भाग्य से इन बहुसूत्री परियोजनाओं के विषय में भारी भारी राजनीतिक दबाव डाले जा रहे हैं। इनके पूरे होने में १०-१५ वर्ष लगेंगे। फिर भ्रष्टाचार और स्वजनपोषण के अनेकों आरोप इनके संबन्ध में सुनने को मिले हैं, जिनमें बहुत सारे रुपये बरबाद किये गये हैं। यदि यही रुपया विशाल बहुसूत्री परियोजनाओं पर एकत्र व्यय न करके प्रत्येक ताल्लुक के हिसाब से छोटे-मोटे सिंचाई-कामों में व्यय किया जाता, तो खाद्य समस्या कब की सुलझ गई होती। दस वर्ष तक प्रतीक्षा न करके हमें नई फसल में ही उसका फल देखने को मिल जाता और भारी आयात भी न करने पड़ते।

कोसी, कृष्णा, चंबल आदि नई बहुसूत्री परियोजनाओं में लगभग २०० करोड़ रुपया व्यय होंगे, पर इस योजना में कुल ४० करोड़ का ही वित्तीय प्रबन्ध किया गया है। अन्य बातों को देखने से भी पता चलता है कि योजना का वित्तीय पैमाना ठीक नहीं है। व्यय एक दूसरे में गुथे हुए हैं। २०-३० लाख टन खाद्यान्नों के आयात के लिये आवश्यक ३-४ सौ करोड़ रुपयों का कोई उपबंध नहीं है।

श्री बी० दास (जयपुर-क्योंझर) : वे राजस्व व्यय से आ जाएंगे।

डा० लंका सुन्दरम् : योजना को वित्त देने के लिये राजस्व पहले ही पूरा-पूरा निचोड़ा जा चुका है, और कहां से आ जायेगा ?

श्री बी० दास : सरकार खाद्यान्न कई वर्षों से खरीद रही है, योजना से उसका कोई संबन्ध नहीं।

डा० लंका सुन्दरम् : मुझे आदरणीय मित्र से कोई विवाद नहीं करना है। रिपोर्ट के अध्याय ४ की कंडिका १० में बताया गया है कि ६५५ करोड़ रुपये की बकाया की अन्य बाह्य श्रोतों से पूर्ति की जायेगी। इस प्रकार देश के वित्तीय स्रोतों को तो पहले ही यथा-संभव काम में लाया जा चुका है।

श्री बंसल (झज्झर-रिवाड़ी) : आयात निर्यातों द्वारा चुका दिये जाएंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : हम पहले खाद्य खरीदने के लिये उपाय और साधन ही खोजते हैं, फिर लोगों को खाद्य बेच कर रुपया बसूल कर लिया जाता है और अंत में हमारे वित्तों में कोई अंतर पड़ता।

डा० लंकासुन्दरम् : मैं माननीय वित्त मंत्री और श्री बंसल का कृतज्ञ हूं। पर योजना में आपकी व्यापार-संतुलन संबन्धी बात मैं भूल नहीं सकता। सारी की सारी वित्तीय उपलब्धता का योजना में निर्धारण किया गया है, इसी से योजना को गड़बड़ी में डालने वाली इस वित्तीय भूल से मुझे भय है।

अब मैं जनता के सहयोग की बात को लूंगा। सदन के नेता ने भी देश के प्रत्येक नागरिक से त्याग की मांग की थी। पर भ्रष्टाचार और लोक-प्रशासन में सुधार संबन्धी गोड़वाला रिपोर्ट को जिसका योजना में भी खूब उल्लेख किया गया है, देश की प्रशासनीय-प्रक्रिया का आधार बनाना चाहिये। इधर जन सहयोग संबंधी राष्ट्रीय परामर्श-दात्री समिति की पिछली बैठक के बाद अब तक कुछ नहीं हुआ है। भारत सेवक समाज का संगठन और उसके व्यक्ति ही नहीं, बल्कि समुदाय और अन्य राजनीतिक दलों के साथ उसका रवैया भी दोषपूर्ण है। उधर बेचारे जिलाधीश पर और भी अधिक बोझ डाल दिया गया है। रिपोर्ट के भाग २ में दुहरे शासन-यंत्र और नये अधिकारियों के प्रशिक्षण की बात उठाई गई है। पर भारत सेवक समाज और सामुदायिक योजनाओं की दुर्दशा को देख मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है (**अंतर्बाधाएं**) ये सामुदायिक योजनायें पूर्णतः असफल हो रही हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है (**श्री रघूरामय्या** : ग़लत) मुझे सदन के नेता से आशा है कि वह अपने दल से संबन्ध रखने वाले लोगों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। यह पार्टी की ही बात नहीं; देश के विकास की बात है। आशा है, सदन में दिये गये वक्तव्यों को कार्यान्वित किया जायेगा। योजना के पूरे पूरे निष्पादन के लिये करिअप्पा जैसे किसी व्यक्ति को पूरे समय के लिये लगाया जाये। मैं योजना की सफलता चाहता हूं, पर वैसा दिखाई नहीं देता। आशा है अब संगीत राष्ट्रीय भावना का सहयोग प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा ये २०६९ करोड़ रुपये कीचड़ में पड़ेंगे या स्वाधीनता के और इस चुनाव के बाद शक्ति प्राप्त करने वाले कुछ लोगों की जेबें भरेंगे।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा) : पंचवर्षीय योजना का प्रकाशन देश की आर्थिक प्रगति की दिशा में बड़ा ही महत्वपूर्ण पग है। मैं योजना-आयोग को इसके लिये बधाई देता हूं। इसमें बहुत सी सूचनाएं भरी पड़ी हैं। इस की योजना के अतिरिक्त हमने अमेरीका की एन० आर० ए० और 'न्यू डील' तथा ब्रिटेन की 'बेवरिज' योजना के नाम सुने हैं, पर सर्वांगीण आर्थिक-विकास की ऐसी योजना आजतक अन्यत्र नहीं बनी। क्या योजना प्रजातंत्र के साथ संगत है, इस प्रश्न का भी उत्तर हमारे योजना-आयोग द्वारा दिया गया है। मैं तो सदैव मानता रहा हूं वास्तविक योजना प्रजातंत्र में स्वेच्छा के आधार पर ही सफल हो सकती है। अतः मैं इस योजना को दुनिया के आर्थिक योजना संबन्धी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानता हूं।

जब इस में भी अक्तूबर, १९१७ की क्रांति के बाद भी पहली पंचवर्षीय योजना १९२८ से पहले शुरू नहीं हो सकी, तो हम अपनी योजना को देर से शुरू हुआ कैसे मान सकते हैं। १९४६ में ही अंतरिम सरकार बनने के बाद श्री नियोगी की अध्यक्षता में योजना-परामर्शदाता बोर्ड बनाया गया था; बाद में उसी ने योजना-आयोग को जन्म दिया। योजना-आयोग ने दो वर्ष में बड़े श्रम से अपनी रिपोर्ट तैयार की है, और प्रस्तुत योजना में तो प्रारूप योजना के ऊपर भी काफी सुधार किये गये हैं।

बेरोजगारी की समस्या को ही लें। उसको अब एक स्वतंत्र अध्याय में निपटाया गया है, और पूरी पूरी रोजगारी के प्रत्येक पहलू पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। ग्राम तथा घरेलू उद्योगों पर प्रारूप के ५ करोड़ रुपये अब बढ़ाकर १५ करोड़ कर दिये गये हैं, और उसके अलावा राज्य १६ करोड़ अलग व्यय करेंगे। मिलों के कपड़ों पर उपकर लगने जा रहा है, जिससे छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता मिल सके। आशा है, चीनी, चावल और तेल के मिलों के विषय में भी ऐसा ही किया जायेगा।

प्रशासन के सुधार पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि मेरे विचार से उसके बिना योजना को चलाना ही असंभव है। सरकारी कर्मचारियों और उनके निकट संबन्धियों की चल-अचल संपत्ति विषयक घोषणा को भी योजना में स्थान दिया गया है। आशा है, इससे प्रशासन में स्वच्छता और सक्षमता रह सकेगी।

खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के लिये भी काफी व्यय होने जा रहा है। आत्म-निर्भरता का लक्ष्यबिंदु अब निश्चयात्मक रूप में स्थिर कर देना चाहिये। प्रति वर्ष ३० लाख टन अनाज के आयात की बात प्रारूप में कही गई थी; अब १९५६ के अंत तक खाद्य-आयात समाप्त कर देने की बात स्पष्ट रूप में घोषित कर देनी चाहिये। इससे राष्ट्रीय इच्छा शक्ति जागेगी और मनोवैज्ञानिक लाभ होगा।

भूमि नीति के संबन्ध में अधिकतम सीमा अवश्य निर्धारित होनी चाहिये। यह प्रारूप में भी माना गया था और भविष्य में जमीन लेने के संबन्ध में परिवार की जमीन से तिगुनी की अधिकतम सीमा रखी भी गई है, वैसी ही सीमा विद्यामान जमीनों के विषय में रखी जानी चाहिये। यह परिवार की जमीन की दसगुनी या अधिकाधिक २०० एकड़ तक रखी जा सकती है।

शिक्षा में बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया गया है, पर अब उसे प्रयोगात्मक ही न रखा जाये, बल्कि शारीरिक श्रम और उत्पादन के साथ चलने वाली शिक्षा को हमारे भावी ढांचे की नींव ही बना दिया जाये। इससे योजना की सफलता में भी सहायता मिलेगी।

स्पर्द्धात्मक निजी उपक्रमों के ढांचे से लाभ की भावना हटाने के लिये सुझाये गये सहयोग और राज्य-ब्यापार संबंधी उपायों को आशा है, पूरी सचाई के साथ व्यवहार में लाया जायेगा।

योजना के कई उपबंध सराहनीय हैं : सामुदायिक योजना के लिये ६० करोड़, सिंचाई के लिये ३० करोड़, फौलाद के बुनियादी उद्योग के लिये ५० करोड़, औद्योगिक गृह व्यवस्था के लिये ४९ करोड़, अभाव-क्षेत्रों के लिये १५ करोड़, स्थानीय जनता को उसकी उन्नति का स्वरूप दिखलाने में उपयोगी स्थानीय-निर्माणों के लिये १५ करोड़ और समाज-कल्याण संस्थाओं और विशेषतः स्त्रियों के लिये ४ करोड़ रुपये ऐसी ही राशियां हैं।

विदेशी-सहायता, जिसमें हमें लगभग १५६ करोड़ मिल चुके हैं और अभी बहुत कुछ और मिलेगा, खतरनाक अवश्य है, पर रूस और अमरीका ने भी विदेशी सहायता ली थी, क्या वे आज किसी के अधीन हैं? हमारे सम्मुखस्थ विरोधी मित्र समझते हैं कि अमरीका से धन लेना बड़ा खतरनाक है, पर यदि राजनीतिक गुत्थी न हो, तो किसी भी देश से सहायता लेना बुरा नहीं है।

योजना में २९० करोड़ के घाटे के बजटों की कल्पना की गई है। यह राशि पौंड पावने के इस समय में निर्गमन का तत्संवादी ही है।

[प्रो० अग्रवाल]

मुझे इससे कोई खतरा नहीं दीखता, क्योंकि कमी आंतरिक-करों, ऋणों या विदेशी सहायता द्वारा पूरी पूरी हो जायेगी। पूंजी निर्माण रुपया आना पाइयों में ही नहीं होता। हमारे यहां करोड़ों लोग अधिकांश समय बेकार रहते हैं। उस दिशा में भी पूंजी-निर्माण संभव है और वह हमारी बहुत महत्वपूर्ण परिसंपत् है।

मुझे अन्य विवरण नहीं लेने हैं। केवल एक बात और कहनी है कि हमें स्वदेशी पर फिर बहुत जोर देना चाहिये। अधिकृत जापान में भी जरा जरा सी चीज पर 'जापान में बनी' लिखा रहता था, और लोग अधिकृत होते हुए भी उसी पर जोर देते थे। वे मिलों की चीजों के स्थान पर घरेलू उद्योग की चीज़ों पसंद करते थे। स्वदेशी की वैसी राष्ट्रीय भावना फिर जागृत की जानी चाहिये। हमें भी घरेलू उद्योगों की चीज़ों और विशेषत: खादी पर विशेष जोर देना चाहिये।

कोई भी योजना छिद्र रहित और परिपूर्ण नहीं हो सकती। म सदन के प्रत्येक भाग से अनुरोध करता हूं कि इसे उचित दिशा में एक सचाई पूर्ण पग समझते हुए अपनाएं और इस पहली प्रजातंत्रीय योजना को सफल बनाएं।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम): मेरे पूर्ववक्ता ने देश में योजना का जन्म १९४६ में बताया था, पर १९३८ में, जब नेताजी सुभाष कांग्रेस के सभापति थे, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी और देश की निर्धनता, बेरोजगारी और आर्थिक विकास के लिये उद्योगीकरण ही एक मात्र उपाय माना गया था। नेताओं के जेल जाने तक अर्थात् दो वर्ष तक बंबई में उक्त समिति की बैठकें हुईं और प्रो० के० टी० शाह के प्रयत्नों से वह कार्यवाही २६ जिल्दोंमें प्रकाशित हो चुकी है। इस योजना में उसकी चार बातें ही कम दीखती हैं: रसायन-उद्योग खनन तथा धातुकार्मिक उद्योग, निर्माता उद्योग और इंजीनियरी और वैज्ञानिक औजार उद्योग। कांग्रेस सरकार के १९४८ के संकल्प के कारण सारा औद्योगिक-विकास निजी-खंड के ही उपर छोड़ दिया गया है, जो खतरनाक है। उक्त समिति को शासकों ने भले ही अच्छा न समझा हो, पर जनमत पर उसका प्रभाव पड़ा। पूंजी-पतियों ने १९४३ में बम्बई योजना को जन्म दिया। सर आर्देशियर दलाल बंबई के योजना-विभाग के मंत्री बने। ३६ औद्योगिक पैनल बनाकर यह विभाग योजना को कार्यान्वित करने में जुट गया, पर दूसरे विभागों से सहयोग न मिलने से विशेष प्रगति नहीं हुई। पीछे उद्योगों की योजना को महासंचालक, उद्योग और बिजली और सिंचाई को केंद्रीय बिजली बोर्ड और 'किक' के उपर छोड़ दिया गया। पता नहीं, योजना परामर्शदात्री बोर्ड ने क्या काम किया, क्योंकि मैंने तो उसमें प्रतिक्रियावादी अधिकारियों को भरा देख कर उसकी दूसरी बैठक में ही उससे त्यागपत्र दे दिया था।

बंबई योजना ने १५ वर्षों में १० हजार करोड़ रुपये (जिस में ४५ प्रति शत उद्योगीकरण पर) व्यय कर जीवन-स्तर को उठाने की बात सोची थी। पहले पांच वर्ष में वे १४०० करोड़ रुपये (जो आज के ५६०० करोड़ के बराबर हैं) व्यय करना चाहते थे और इसमें ७९० करोड़ उद्योगीकरण पर व्यय होने थे। पर सरकार २०६९ करोड़ से अधिक न कर सकी और इसी से उद्योगीकरण छोड़ना पड़ा और स्वास्थ्य और शिक्षा को भी कुछ न मिला।

१९३७ में प्रति व्यक्ति आय ६५ रुपये थी। पांच वर्ष के कांग्रेस-राज्य के बाद वह

५९ रुपये (१० प्रति शत कम) ही रह गई, यद्यपि कुछ पूंजीपतियों ने २ करोड़ रुपयों से २०० करोड़ तक बना लिये। योजना २७ वर्ष में हमारी आय को दुगना करना चाहती है, और वह भी अमरीका की प्रति व्यक्ति आय का दशमांश ही होगी। अतः यह योजना हमें राजनीतिक निर्वाण और आर्थिक मृत्यु की ओर ले जा रही है।

उद्योगीकरण के लिये बंबई योजना के २५०० करोड़ के स्थान पर कुल ३०६ करोड़ (९४ लोक खंड और २१२ करोड़ निजी खंड से) ही रखे गये हैं। इसमें बिजली और सिंचाई भी शामिल है। और रही सिंदरी फैक्टरी, सो उसका श्रेय श्री रामास्वामी मुदालियर को है, और बहुसूत्री परियोजनाओं का श्रेय डा० अम्बेडकर को। सिंदरी में दस करोड़ की मूल-पूंजी के स्थान पर २३ करोड़ का व्यय हुआ है, पर बनने वाले सस्ते कृषिसार की दृष्टि में वह अनचित नहीं है। इसने पूंजीपतियों की यह धारना गलत सिद्ध कर दी है कि सरकारी उद्योगीकरण खर्चीला होता है। पर सभी सहायक-उद्योग पूंजीपतियों के हाथ में चले जाने से पूंजीपति मजदूरों को तंग कर कर रहे हैं, और इस का परिणाम सिंदरी फैक्टरी और देश के लिये बुरा होगा।

लोहा-फौलाद के १९५०-५१ के १३·२ लाख टन से बढ़ कर २३ लाख टन तक हो जाने की आशा की जा रही है। १९४३ में हम अधिष्ठापित उत्पादन-सामर्थ्य जितना ही, अर्थात् १२ लाख टन, पैदा करते थे। पूंजीपतियों ने जान बूझ कर चाल धीमी की है। मेरे हिसाब से यह उत्पादन आठ वर्ष में दूना हो जायेगा। अपनी आवश्यकता २५ लाख टन होने के कारण हम शायद लगभग १५ लाख टन विदेशों से तेज दाम पर लेते रहे हैं। १९४९ के शुरू में एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि "सरकार दस लाख टन का एक या ५·५ लाख टन के दो संयंत्र लगाना चाहती है, तीन विदेशी फर्में परिमाप कर रही हैं, जिनकी रिपोर्ट मास के अंत तक आ जाएगी।" और फिर रिपोर्टें आ जाने पर तीन-मास में निर्णय होने की आशा प्रकट की गई थी। पर ढ़ाई वर्ष से कुछ न हो सका। सरकार ने लोहा-उत्पादकों को लगभग १८ करोड़ रुपये दिये और उनके आगे हाथ पसारती रही कि हमारे लिये ज्यादा लोहा पैदा करिये।

हमारा लोहा सबसे अच्छा है और २५ वर्ष में यह स्पष्ट हो गया है कि हम दुनिया से आधी या तिहाई लागत पर लोहा और फौलाद पैदा कर सकते हैं। एक समय हमारी उत्पादन-लागत अमरीका से १५० प्रति टन कम थी। तीन वर्ष चुप रह कर सरकार ८ वर्ष में यह उत्पादन दुगना करना चाहती है, इस प्रकार १०० लाख टन पैदा करने में २४ वर्ष लग जाएंगे। योजना के अनुसार १९५६ तक हमको २०३९ रेल इंजन चाहियें, जिसमें चितरंजन फैक्टरी १७० तैयार करेगी और टाटा २००; शेष सब कुछ बाहर से आएगा। हमारी जहाजी माल ढोने की क्षमता ३८४ हज़ार टन है। योजना ५ वर्ष में इसे ६ लाख टन करना चाहती है। इस चाल से हम सौ वर्ष में अपनी क्षमता पर्याप्त (इंगलैंड जितनी फिर भी नहीं) कर पाएंगे। इस सब का कारण फौलाद की कमी ही है।

अतः हमने उद्योगीकरण ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हम देश के लिये घातक दिशा में बढ़ रहे हैं। बिजली, लोहा, फौलाद अलमोनियम, भारी रसायन आदि बुनियादी उद्योगों के लिये हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देश में कांच तथा साबुन उद्योग के लिये आवश्यक कार्बन सोडा नहीं मिलता, क्योंकि सोडा भस्म इंगलैंड में १६० रुपये ति टन है, और तटकर आयोग के कथनानुसार यहां

[श्री मेघनाद साहा]

३६० रुपये प्रति टन से कम में नहीं बन सकती। मेरे प्रश्न पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने सोडा भस्म का भाव इंगलैंड में २५२ रुपये बताया था, पर मैंने "केमिकल एंड इंजीनियरिंग न्यूज़" में १३ पौंड ४ शिलिंग (लगभग १६० रुपया) का भाव पाया । उस दिन मैंने मंत्री जी से कहा कि वैज्ञानिक औजार इंगलैंड से मंगाने पर २५ प्रति शत शुल्क देना पड़ता है और जर्मनी से मंगाने पर ३½ प्रति शत। मंत्री जी ने यह बात न मानी, पर दूसरे दिन मैंने उनको तटकर-सूची दिखा दी । आशा है, आगे से मंत्रीगण पूरी तैयारी के बाद ही सूचना दिया करेंगे और गलत सूचना न दिया करेंगे ।

हम इन दोनों अशक्त कम्पनियों को वर्षों से ४५००० टन सोडा भस्म के लिये २४० रुपये प्रति टन देते आ रहे हैं। १९४९ में तटकर आयोग ने सिंदरी फैक्टरी को बढ़ाने और उससे सोडा भस्म पैदा करवाने तथा कई अन्य फैक्टरियों खोलने का सुझाव दिया था, पर अब तक कुछ नहीं हुआ । वहां अमोनिया बनता ही है और वह काम जानने वाले लोग भी हैं, अतः विदेशी विशेषज्ञ न बुलाने पड़ेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को कुल पांच ही मिनट और मिलेंगे ।

श्री मेघनाद साहा : संरक्षणात्मक शुल्क का लाभ पाने वाले ४० उद्योगों ने दाम बढ़ाकर खूब फायदे उठाए हैं । कांच उद्योग ने १२००० टन की क्षमता के सामने गत वर्ष ५००० टन ही पैदा किये, और इस वर्ष पिछले तीन महीनों से कुछ भी नहीं । संरक्षणात्मक शुल्क के कारण बेलजियम और इंगलैंड के कांच को बेच कर ही वे खूब लाभ उठा लेते हैं । इन सारे उद्योगों को निजी खंड में छोड़ देना ठीक नहीं है ।

सरकार के पास पूंजी न होने से राष्ट्रीय योजना का ढ़ांचा ही लड़खड़ा रहा है । वह प्रति वर्ष कुल ४०० करोड़ रुपये ही एकत्र कर सकती है, पर १००० करोड़ रुपये प्रति वर्ष पाये बिना देश का उद्योगीकरण होना और उत्पादन-क्षमता बढ़ना असंभव है। दूसरी ओर हम बुनियादी उद्योगों को छोड़ उपभोज्य सामानों के उद्योगों पर विशेष जोर दे रहे हैं ।

लेनिन ने रूसी पंचवर्षीय योजना के संबन्ध में अपने एक पत्र में लिखा था कि "हमें अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये बड़े बड़े बुनियादी उद्योग खड़े करने हैं, और उसके लिये हमें अपने वस्त्र, भोजन, स्कूल, सर्वत्र बचत करनी होगी ।" इधर हमारी योजना में उद्योगीकरण के प्रति विमाता का व्यवहार दिखाया गया है, इससे तो हम दुनिया के आर्थिक उपनिवेश बने रहेंगे । ध्यान देने पर पूंजीनिर्माण भी असंभव नहीं है ।

बैंकों और बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये और सोना-जवाहरात के आयात पर रोक लगा दीजिये । आयात-निर्यात पर ऐसा नियंत्रण रखिये कि पूंजी बाहर न जा पाये। माननीय मंत्री रूसी योजना पर बैंकों का ग्रंथ पढ़ें। वे देखेंगे कि रूस ने योजना के लिये ५०-६० प्रति राशि 'टर्न ओवर' कर से प्राप्त की थी। विदेशी सहायता तो ९३७० लाख रुबल (२५० रुबल १ पौंड) ही थी जो कुल व्यय का .००१ प्रति शत ही है । यह 'टर्न ओवर' कर एक प्रकार का बिक्री कर ही है, और सरकार खाद्य समेत सभी उपभोज्य सामानों पर वास्तविक लागत से ५०-६० प्रति शत अधिक ले लेती है या दूसरे शब्दों में देश को औद्योगिक प्रगति के लिये—उत्पादन बढ़ाने के लिये—काला बाज़ार करती है । अर्थात इस का अर्थ राष्ट्रीय योजना के लिये जीवन में तपस्या करना है ।

१९३२ में मेरे एक मित्र ने नीपर बांध को देखकर लौटने के बाद मुझे बताया था कि रूसवासी आलू-रोटी और पानी के ही ऊपर जीवन यापन करते हुए बड़ा कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। उनके हृदय में देश की उन्नति के लिये सर्वस्व का त्याग कर देने की उमंग है। इधर अपने यहां कांच, सोडा भस्म और लोहा उद्योग की काला बज़ारी की मैं चर्चा कर चुका हूं। मैंने दामोदर घाटी के बोकारो स्टेशन पर एक ओर २००० कामकरों को उस जंगल में अपर्याप्त भोजन और निवास की शिकायतें करते हुए और दूसरी ओर संचालकों को विशाल भवन खड़े करते हुए देखा है। और वे छः छः महीनों में अपने मित्रों को वहां तमाशा दिखाने के लिये ले आते हैं। उधर मजदूर जानवरों का सा जीवन बिताते हैं। क्या ऐसी स्थिति में वे प्रधान मंत्री द्वारा बार बार यह कहा गया कड़ा श्रम कर सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं? अतः राष्ट्रीय योजना की सफलता के लिये राष्ट्र की--सभी की--तपस्या की आवश्यकता है।

श्री रघुरामय्या (तेनालि): ऐसे विविधतापूर्ण देश के लिये एक प्रजातंत्री राष्ट्रीय योजना बना लेना निश्चय ही प्रशंसा के योग्य कार्य है (**अन्तर्बाधायें**)।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण शांत से सुनें।

श्री रघुरामय्या: विरोधी अपनी अन्तर्बाधाओं से मेरी प्रशंसा करते हैं। प्रधान मंत्री के शब्दों में ऐसी योजना में छिद्रान्वेशण सहज संभव है। पर डा० लंकासुन्दरम् अपने यहां की सामुदायिक परियोजनाओं को लेकर खून के आंसू--बच्चों के से आंसू--बहाने लगे, तो मुझे आश्चर्य ही हुआ।

छिद्रान्वेशण उचित रास्ता नहीं है। अपने देश में सं० रा० अमरीका से भी अधिक जल संसाधन की बात सुन मुझे कुछ अचंभा हुआ; पर आज आज़ादी के बाद पहली बार हम एक योजना द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करने जा रहे हैं। रूस की पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में निकर ब्रोकर ने मास्को के दो नागरिकों की एक बातचीत का उल्लेख किया है, जब एक नागरिक रोटी के अभाव में डूबने जा रहा था, और यह भी बताया जाता है कि उस समय उस योजना के सम्बन्ध में दो लाख मास्कोवासी बीस लाख तरह की बातें सोचते थे। पर टीकाटिप्पणी और झूठा प्रचार उत्तरदायी नागरिकों का और उनके प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य नहीं है।

रचनात्मक आलोचना का अर्थ यह कहना नहीं है, जैसा श्री मेघनाद साहा ने कहा कि यह योजना आर्थिक दृष्टि से बरबादी की ओर ले जायेगी, या ११ प्रति शत आय बढ़ाना और २५ वर्ष में उसे दूना कर देना कुछ नहीं है, या बीमा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये आदि। जब हमारे पास इतना ही धन है कि हम २५ वर्ष में आय दुगुनी कर पायेंगे, तब बैंकों आदि का राष्ट्रीयकरण कैसे संभव है। यदि खाद्य को छोड़ दिया गया होता, तो कहा जाता कि भूखों मरती हुई जनता के लिये उद्योगीकरण से खाद्य का अधिक महत्व है, और आज इस योजना पर कहा जा रहा है कि उद्योगीकरण क्यों नहीं सोचा गया। उत्तरदायी संसद् सदस्यों से ऐसी आलोचना की आशा नहीं है।

[**श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद** पर आसीन हुए]

डा० लंकासुन्दरम् खाद्य के लिये रखे गये १४ पृष्ठों की चर्चा करते हैं पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में उसके लिये रखे गये ४०० करोड़ रुपयों की बात भूल जाते हैं। बिजली, सिंचाई और सामुदायिक योजनायें भी तो खाद्य तथा कृषि को सुधारने के ही लिये हैं। पर कुछ लोग सर्वत्र बूराइयां ही ढूंढते हैं।

[श्री रघुरमय्या]

दूसरी आलोचना यह हो रही है कि विदेशी सहायता का अर्थ दासता है। मेरे सीमान्त के अकालपीड़ित क्षेत्र रायलासीमा के लिये इन्हीं लोगों ने रूस और चीन से सहायता मांगी है। तो क्या किसी से न दबने वाले अपने नेता नेहरू के द्वारा अमरीका से सहायता लेना अच्छा है, या यह रूस-चीन वाली सहायता लेना ? विदेशी सहायता की घोर आलोचना करने वाले इन के एक पत्र ने ब्रिटेन के बैरिस्टर श्री प्रीत से सहायता मांगी थी, क्या यह विदेशी सहायता नहीं है ? अपने पैरों में बिंबाई पड़ने पर ही पीड़ा मालूम पड़ती है। अत: विदेशी सहायता के बारे में सिर्फ़ यही देखना चाहिये कि वह सिर झुका कर ली जा रही है या अन्यथा। जब तक पंडित नेहरू देश के नेता बने रहेंगे, किसी भी ऋण से हमें खतरा नहीं है। हमें छोटे छोटे लोगों से छोटे-छोटे दान नहीं मांगने चाहियें।

इस योजना का आधार भूमि का समान-वितरण, खाद्य में आत्मनिर्भरता और देश में बुनियादी उद्योगों को फैलाना है। (अन्त-बाँधायें)।

हमारा भूमि-सुधार बहुत सचाईपूर्ण और व्यावहारिक है। चुनाव के समय कुछ दलों ने प्रत्येक व्यक्ति को ५-५ एकड़ ज़मीन देने की बात कही थी, पर ज़मीन की कमी के कारण वह कैसे संभव है ? अधिकतम सीमा निश्चित हो जाने के बाद शेष भूमि वितरित कर दी जायेगी। फिर योजना में सहकारी खेती को भी लिया गया है, जो रूसी समृद्धि का प्राण रही है। उसे प्रोत्साहित करने से निश्चय ही हमारी खेती खूब समृद्ध होगी।

स्वास्थ्य, मलेरिया-नियंत्रण तथा क्षय-नियंत्रण के उपबंध श्री वी० पी० नायर को संतुष्ट कर देंगे। इस योजना के सफल होने के बाद क्षय की समस्या ही न रहेगी। योजना-आयोग की महिला सदस्या के विशेष प्रयत्नों से रखे गये समाज-सेवा और नारी कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध भी उत्साह वर्द्धक हैं।

मेरे कुछ सुझाव भी हैं। शायद प्रांतीय सरकार की गोलमाल के कारण नंदीकोंडा परियोजना को इस योजना में नहीं रखा जा सका है, यद्यपि खोसला समिति से दस महीने के अदन्र इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है। आशा है, योजना मंत्री हमें यह आश्वासन देंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले और विशाल संसाधनों वाले मद्रास प्रांत को और विशेषत: आंध्रवासियों को इस योजना में कोरा न छोड़ दिया जायेगा।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : दुनिया में सब से कम भारत के जीवन-स्तर को बढ़ाने का यत्न करने और हमारे विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिये मैं इस योजना का स्वागत करता हूं। हमारी प्रतिव्यक्ति आय मध्यमानत: २७० रुपये है, जो इंगलैंड का १५वां और सं० रा० अमरीका का २७वां भाग है। निश्चय ही अपनी आय बढ़ाने के लिये हमें सब कुछ करना चाहिये। और विवरणों को लेकर भले ही मतभेद हो, यह तो सभी ही चाहते हैं। आशा है, इस कारण इसे सभी का सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह पहला यथार्थ प्रयत्न है। आशा है सभी दल इस में सहयोग देंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण इस विशेष अवसर पर अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए आपस में बातचीत न करें और चर्चा में बाधा न डालें।

श्री जी० डी० सोमानी : प्रारूप योजना में कुल विनियोजन १४९३ करोड़ था, जो अब २०६९ करोड़ हो गया है। यह बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि इसके पूरे होने के बाद हम युद्धपूर्व के स्तर तक पहुंच सकेंगे। अत: अब इस में कोई बाधा न पड़नी चाहिये।

इस में से १४१४ करोड़ वर्तमान राजस्व बचत, पूंजीगत आयों और अब तक प्राप्त विदेशी सहायता से उपलब्ध हो गये हैं। बाक़ी ६५५ करोड़ अतिरिक्त करों, घाटे वाले आयव्ययकों और अतिरिक्त विदेशी सहायता द्वारा पूरे किये जायेंगे। यदि ज़्यादा विदेशी सहायता न मिली, तो फलस्वरूप बनने वाले घाटे के आयव्ययकों से मुद्रास्फीति का भय बढ़ जाता है। पर शायद सरकार अपनी आयव्ययक और विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति को ठीक रख कर इसे नियंत्रित कर लेगी, और तब तक उत्पादन भी बढ़ जायेगा। थोड़ी सुरक्षायें रख कर घाटे वाले आयव्ययक बनाना विकास कार्यों के लिये अचूक उपाय है। मुद्रास्फीति तो विश्व की आर्थिक-राजनीतिक दशाओं के कारण भी बढ़ी थी और अब सर्वत्र उत्पादन बढ़ने से उसका भय कम रहेगा। इस वर्ष के आरम्भ में देश में आई मंदी ने भी काफ़ी सुधार कर दिया है। अतः घाटे वाले आयव्ययक बनाने में कोई विशेष ख़तरा नहीं है।

योजना में उद्योगों के निजी खंड के भाग लेने और उसको भी नियंत्रित रखने के प्रस्ताव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और वे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के संभालने में सहायक सिद्ध होंगे। उन की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना होगा। योजना आयोग ने उनके लक्ष्यबिंदु निर्धारित करने में तो बहुत समय लगाया है, परन्तु उनकी वित्त व्यवस्था के लिये कुछ नहीं किया। योजना-काल में उनके अंदाज़ से २३० करोड़ की नई पूंजी लगेगी और १५० करोड़ आधुनिकीकरण आदि में लगेंगे, जिस में २०० करोड़ रुपये १९५० और १९५१ के आधार पर लाभ के रूप में मिल जायेंगे। यह बढ़ा-चढ़ा अंदाज़ है। भारतीय व्यापार-मंडल के सभापति के अनुसार २५०-३०० करोड़ आधुनिकीकरण आदि में लगेंगे। वह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आयोग ने अपने आंकड़े अंदाज़ से ही रखे हैं, किसी संस्था से पूछ कर नहीं। देश की आवश्यकता की पूर्ति और विदेशी-विनिमय के प्रयोजन से निर्यात के लिये हमारे यहां ख़ूब उत्पादन हो, इस के लिये हमारे उद्योगों का यथाशीघ्र आधुनिकीकरण बड़ा आवश्यक है। सरकार उनको पूरी सहायता दे। उद्योगों की आवश्यकताओं का निर्धारण करके योजना आयोग को उनकी पूर्ति के लिये उपाय बताने चाहियें।

श्री साहा की यह बात सच नहीं कि लोहा-फ़ौलाद उद्योग ने लाभ कमाने के लिये उत्पादन कम कर दिया है। चीनी उद्योग का तो मुझे पता नहीं, पर वस्त्र आदि उद्योगों के विषय में यह आरोप निराधार है कि दाम ऊंचे रखने के लिये वे उत्पादन कम कर देंगे। उलटे औद्योगिक उत्पादन तो बढ़ता ही जा रहा है।

खादी को सहायता देने के लिये वस्त्रों पर प्रस्तावित उपकर का मैं सिद्धान्ततः विरोध करता हूं। उसी उद्योग में प्राविधिक आदि सुधारों के लिये उपकर सगाना ठीक है, पर दूसरे उद्योगों की सहायता के लिये वह ठीक नहीं है। विशेषतः वस्त्र पर तो सरकार ने गत कुछ वर्षों में ५० करोड़ रुपयों का बोझ लादा है। अब सरकार उसे और न बढ़ाये। इससे सारी राष्ट्रीय अर्थव्यसस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य के प्रति इस में विशेष न्याय नहीं किया गया है। उसे तो अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिये विशेष सहायता मिलनी चाहिये थी, जब कि वह सब से नीचे रखा गया है। उसकी विकास योजना के लिये रखे गये १६.८ करोड़ रुपये उस क्षेत्र के लिये बिलकुल कम हैं। आशा है, योजना आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, संचरण और औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए राजस्थान, मध्यभारत, पटियाला संघ और

[श्री० जी० डी० सोमानी]
सौराष्ट्र आदि राज्यों की ओर विशेष ध्यान देगा।

५ म० प०

श्री वी० बी० गांधी : (बम्बई नगर–उत्तर) . मैं मुद्रास्फीति को ही लूंगा। योजना के कारण वह बढ़ जाये यह संभव नहीं है। ऐसी कोई आशा नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व हैं, जिन के कारण हम इसे नियंत्रित कर लेंगे। वैसे युद्ध-सामग्री या ऐसे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विशाल उत्पादनों के समय यह मुद्रास्फीति हो ही जाती है। थोड़ी सी मुद्रास्फीति बुरी भी नहीं है। और अब तो अवमूल्यन और कोरिया युद्ध के बाद हमारी आर्थिक स्थिति भी दृढ़ हो रही है।

योजना बनाने का अर्थ ही कुछ असाधारण और विशेष बात करना है और ये आयोजित २०६९ करोड़ रुपये हमारी प्रत्याशित राशि से अधिक ही हैं। पर किसी भी प्रकार के बड़े-बड़े व्यय व्यययोग्य राशि को पदार्थों के संभरण की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा देते हैं और फलतः मुद्रास्फीति अनिवार्य हो जाती है। इस कुल राशि में से १२५८ करोड़ तो सरकारी सूत्रों से प्राप्त होगी, अतः उससे मुद्रास्फीति का विशेष भय नहीं है। फिर १०५ करोड़ के लोक-ऋण के उपबन्ध से उतना पैसा जनता के हाथों से खींच लिया जायेगा, पर सरकारी बंध-पत्रों के कारण इसका उल्टा भी होता देखा गया है। पर इसके सिवा १५६ करोड़ की विदेशी सहायता भी मुद्रास्फीति-निरोधक ही है।

फिर २९० करोड़ का घाटे के आयव्ययक वाला उपबन्ध भी योजना-काल में मिलने वाली पौंड-पावने की राशि तक ही सीमित रखा गया है, और यह २०६९ करोड़ की कुल राशि की तुलना में नगण्य है, अतः इससे भी मुद्रास्फीति की विशेष संभावना नहीं है।

शेष ३६५ करोड़ की राशि, जिसे बाहरी सहायता से पूरा करने का विचार है, निश्चय ही एक 'समस्या' है। इस के सम्बन्ध में, कहा गया है कि प्रत्याशित बाहरी सहायता न मिलने पर घरेलू ऋणों और कर द्वारा इसे पूरा किया जायेगा। विदेशी सहायता सामग्री और मशीनों के रूप में मिलती है और उसके न मिलने पर हमें भय है कि हम योजना को पूरा पूरा न निभा सकें। भौतिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों वाली यह बात अधिक स्पष्ट होनी चाहिये थी। आर्थिक योजना सम्बन्धी अपने ग्रंथ में प्रो० लेबिस कहते हैं कि "उपलब्ध भौतिक संसाधनों से अधिक की योजना न बनानी चाहिये। जब फ़ौलाद, सीमेंट, मशीन और श्रम आदि संसाधन परिमित हो, तो ज़्यादा की योजना बनाने की भूल न करनी चाहिये। थोड़ी सी पूरी हुई परियोजनायें असंख्यों अपूर्ण परियोजनाओं की अपेक्षा अच्छी हैं। उपलब्ध भौतिक साधनों से अधिक की योजना बनाना मूर्खता ही है।"

इस योजना में व्यय वाली सारी मद्दें पूंजी वाली मद्दें होने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ा सकती हैं। फिर भी आशा है कि अपनी अर्थ-व्यवस्था में निहित तत्वों के कारण हम उसे रोक सकेंगे।

इस योजना को बनाने में श्रम करने वाले व्यक्तियों को मैं बधाई देता हूं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नैल्लोर) : स्वाधीनता के पांच वर्ष बाद आने पर भी यह योजना अच्छी है, क्योंकि इस से हमें अपने राष्ट्रीय संसाधनों का पता चल जाता है। यद्यपि योजना-आयोग के सभी निर्धारण ठीक नहीं हैं, और राज्य तथा केन्द्र के बहुत से संसाधनों पर विचार नहीं किया गया है। राज्य मद्य-निषेध के कारण और केन्द्र नमक

कर के कारण बहुत सा राजस्व खो रहे हैं, जिसे विकासकार्यों में लगाया जा सकता है। यदि राजनीतिक-भावुकता आड़े न आये तो उत्पादकों और जनता को भी इन करों के फिर से लगा देने में कोई आपत्ति न होगी।

योजना में भूमि-नीति भी स्पष्ट नहीं है। भूमि के वितरण और पुनर्वितरण के लिये भी, जैसा प्रो० अग्रवाल ने बताया, विशेष कुछ नहीं कहा गया है। सरकार ने भूमि का कोई आर्थिक परिमाप नहीं किया है और राज्यों के पास ठीक-ठीक आंकड़े भी नहीं हैं। देश में भूमि ही सब कुछ है, अतः उसे इस प्रकार ठुकराना नहीं चाहिये। ऊंची सीमा तो रख दी गई, पर निचली सीमा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। न तो परिवार की ज़मीन की सीमा निश्चित की गई है और न यही बताया गया है कि स्थान विशेष के कारण उस में कुछ अन्तर होगा या नहीं। बिना परिमाप किये हुए यों ही अधिकतम सीमा निश्चित कर देने से कोई सुधार न हो सकेगा। मान लो २५-३० एकड़ अधिकतम सीमा निश्चित की गई, और प्रति एकड़ ५० रु० और इस प्रकार कुल २५०० रुपये या २०० प्रति मास मिले, तो इस प्रकार हम प्रत्येक परिवार की आय बहुत ही सीमित कर देते हैं। तो क्या सरकार प्रत्येक व्यक्ति को मध्यवर्गीय व्यक्ति से भी नीचे गिराना चाहती है? बहुत सी कृषियोग्य भूमि बेकार पड़ी है। क्या उसे किसानों को मुफ्त नहीं बांटा जा सकता? हमारे प्रांत में ६ करोड़ एकड़ की कृषियोग्य भूमि में कुल ३।। करोड़ एकड़ में ही खेती होती है। ऐसी ही दशा प्रायः सर्वत्र है। इस भूमि में खेती बिना करवाये और सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध किये बिना अधिकतम उत्पादन कैसे हो सकता है?

कृष्णा नदी घाटी परियोजना के लिये योजना में कोई राशि निश्चित नहीं की गई है। कारण यही बताया गया है कि प्राक्कलन न बन पाने से और उस योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण वैसा नहीं किया जा सका। जब हिराकुड, भाखड़ा-नंगल, या दामोदर घाटी जैसी परियोजनाओं की कुल राशि निश्चित न होने पर भी उनको योजना में समेटा गया है, तो कृष्णा को भी समेटना चाहिये था।

कृष्णा परियोजना का कुल व्यय प्रथम दो चरणों में २०० करोड़ और सब मिलाकर ३०० करोड़ रुपये जोड़ा गया है। यदि १।।-२ सौ करोड़ रुपये इस के लिये रखे गये होते, तो चावल का भारी अकाल समाप्त हो जाता, क्योंकि इसके पूरा होने पर ५० लाख टन अतिरिक्त चावल पैदा होने लगेगा। सरकार के विचार से यह अंदाज़ ग़लत होगा, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे यहां प्रति एकड़ ८०० पौंड चावल ही पैदा होता है, जब कि सचाई यह है कि डेल्टा और सघन कृषि वाली ज़मीन में २००० से ३००० पौंड तक प्रति एकड़ पैदा होता है। अतः योजना की गणना सही नहीं है। और उपज तथा उसकी लागत की ठीक गणना चाहिये।

मद्रास राज्य सरकार के मन में इस योजना को लेकर बड़ा मतिभ्रम है, अतः इस योजना सम्बन्धी जांच और निष्पादन कार्य राज्य सरकार के ऊपर न डाल कर उसे प्राविधिक समिति या केन्द्रीय सरकार के अपने निजी व्यक्तियों द्वारा कराया जाये। पर इसी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये १५० करोड़ रुपयों का उपबन्ध अवश्य किया जाये। इससे देश भर में खाद्य को कम कर देने वाले और अकालग्रस्त-क्षेत्र वाले मद्रास राज्य में उपज बढ़ जायेगी और फलतः आपात कम हो जायेंगे। फिर इस बहुसूत्री परियोजना द्वारा बनी जल-विद्युत् से भी सिंचाई में सहायता मिलेगी। सुधार-कर लगा कर या अपनी ज़मीन बेच कर सरकार रुपया एकत्र कर सकती है और फिर इन्हीं पांच वर्षों में इससे आय भी होने लगेगी। इससे प्रति एकड़ एक टन और प्रति टन ३००

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

रुपये के हिसाब से लगभग १५०,००० लाख रुपयों की उपज होगी, जो प्राविधिक समिति द्वारा जोड़े गये ३.५ या ४.५ प्रति शत के लाभ से कहीं अधिक है। इससे देश की समृद्धि बढ़ेगी।

हम रक्षा सम्बन्धी अपनी सभी सामग्री बाहर से मंगाते हैं। इधर भी ध्यान देना चाहिये। इससे न केवल धन ही बचेगा, बल्कि हमारे सेना वाले व्यक्ति अपने लिये आवश्यक वस्तुयें स्वयं बनाने लगेंगे और दूसरों के ऊपर आश्रित न रहेंगे।

श्री एस० ए० खान: (इब्राहीमपटनम्): योजना आयोग के श्रम की सराहना करते हुए मुझे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक कोने को छने वाली इस योजना के सम्बन्ध में पहली बात यही कहनी है कि प्रशासन और जनता के सहयोग बिना यह कोरा स्वप्न ही सिद्ध होगी। इस विषय पर दिये गये अध्याय में प्रशासन के सुधार और उन में लोक-सेवा की उमंग फूंक देने के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहा गया है। यह आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके बिना कोई प्रजातंत्री योजना सफल नहीं हो सकती।

मेरी समझ से सरकारी आर्थिक नीति में समन्वय रखने और योजना के प्रसंग में विविध मंत्रालयों के बीच सहयोग बनाये रखने के लिये एक आर्थिक-कार्य मंत्रालय खोला जाये। इस से काम में देर भी न लगेगी। इस नये मंत्रालय के रूप में योजना मंत्रालय का कार्य-क्षेत्र विस्तृत हो जायेगा, और अन्य मंत्रालय इस सम्बन्ध में इसके अधीन रहेंगे।

भारत सेवक समाज का कार्यक्षेत्र भी गांव-गांव तक बढ़ाया जाये। योजना-निर्माताओं को आंकड़े भी ठीक ठीक दिये जायें। गांव के अधिकारियों को सही आंकड़े भेजने का महत्व समझा दिया जाये।

योजना को दलगत नीति से परे राष्ट्रीय महत्व दिया जाये और विधान-सभाओं और संसद् के सदस्य अध्ययन मंडल बना कर अधिकारियों को उपयुक्त सुझाव दें। प्रेस और रेडियो जनसाधारण को योजना के प्रति सजग बना दें, क्योंकि मंत्रियों के योजना विषयक भाषण उनके पास तक पहुंच नहीं पाते।

कृषि को कितना भी महत्व दिया गया हो, पानी के बिना कुछ संभव नहीं। सिंचाई की राशि बढ़ानी ही पड़ेगी। अविभाजित भारत में कुल २९८० लाख एकड़ खेतिहर-भूमि में से ७२० लाख या २४ प्रति शत भूमि में ही सिंचाई होती थी और विभाजन के बाद तो यह कुल २५१० लाख एकड़ में से ४८० लाख एकड़ या १९ प्रति शत ही रह गया है। बहुत बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं से विशेष लाभ नहीं हो पाता और बीच की या छोटी-छोटी योजनाओं से शीघ्र सफलता मिलती है।

फिर बहुसूत्री परियोजनाओं में पैसे की बरबादी की गुंजाइश रहती है और फल बहुत दिनों में मिलता है। यदि ठेके पर काम फिर कराये जाने लगें तो इन परियोजनाओं की लागत बहुत कम हो जाये।

एक जगह काम हो चुकने पर प्रविधिज्ञों को दूसरी जगह काम करने के लिये भेजा जा सकता है। प्राविधिक प्रशिक्षण देने के लिये कालेज भी अधिक खोले जायें। इन योजनाओं से बहुत सारी बिजली बनेगी। वह पंजाब और मैसूर की भांति बेकार न जाने पाये, इस लिये उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना होगा।

योजना-निर्माताओं ने दुर्भाग्य से उद्योगों के विकास की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है और कुल का ६.७ प्रति शत ही उस के लिये रखा है। निजी उद्योगों से विशेष आशा नहीं की जा सकती। भारत में

एशिया में सब से बड़ी लोहे की खानें हैं, और बिहार-उड़ीसा में ही २८३२० लाख टन का अंदाज़ है, जो हज़ार वर्ष तक चल सकेगा। अपने इन वृहत् प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें बड़े-बड़े बुनियादी उद्योगों को प्रोत्साहित करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये।

चालू राजस्व और बचत के १२५८ करोड़ के अलावा शेष की पुर्ति घाटे वाले आयव्ययकों के ऊपर छोड़ दी गई है। पर ६५५ करोड़ की बक़ाया के लिये विदेशी सहायता के आश्रित न रह कर हमें कुछ ठोस उपाय सोचना चाहिये। मैं कुछ उपाय सुझा रहा हूं। खाद्य आदि के दाम बढ़ने से देहातों में लोगों की आय बढ़ी है; वहां डाकघर-बचत बैंकें खोल कर गढ़े हुए रुपये को जमा कराया जा सकता है। मद्य-निषेध को कुछ समय के लिये स्थगित करके और नमक-कर लगा कर भी विकास-कार्य के लिये धन एकत्र किया जा सकता है, और विपक्ष से आया हुआ यह सुझाव उपादेय है। राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकता के लिये ग्रहण किये गये ऋण केन्द्र की शाखा द्वारा नियंत्रित रहें, जिस से विभिन्न राज्यों की ब्याज-दरों में अन्तर न पड़े। ज़मींदारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को भी संभव हो तो पंचवर्षीय योजना में विनियोजित किया जा सकता है।

श्री वल्लाथरास: योजना से सहमत या असहमत होने का प्रश्न नहीं। इस की अच्छाई-बुराई तो भविष्य ही बता सकेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ देश योजना बनाने की बात सोच रहे थे। युद्ध के बाद तानाशाह देश तुरंत उस में जुट गये, पर प्रजातंत्र देश उन की ओर ताकते ही रहे। दूसरे युद्ध में पूंजी-वादी या प्रजातंत्र देशों ने भी युद्ध के बाद योजना बनाने के स्वप्न देखे और भारत सरकार ने युद्ध के बाद के अपने कुछ लक्ष्य स्पष्ट किये। वैसे तो सन् १९३० के पहले भी योजना सम्बन्धी कुछ काम हुआ था, फिर कांग्रेस दल ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई पर राजनीतिक कारणों से विशेष प्रगति न हो सकी। केन्द्र पर विदेशी प्रभुत्व होने और आंतरिक तथा बाह्य नीति के नियंत्रण में कुछ हाथ न होने से कुछ न हो सका। देश के सामने पहली समस्या थी इन रोड़ों को पार करना। फिर देश स्वाधीन हुआ और उसे पूरी शक्ति मिली। केन्द्रीय सरकार आगे बढ़ी। प्रारूप योजना हमारे सामने आई। पर उसमें न आर्थिक दृढ़ता थी न लक्ष्य सम्बन्धी स्पष्टता। १८ महीने बाद अब यह योजना अन्तिम रूप में संसद् में हमारे सामने आई है। प्रमुख समाचार-पत्र, पत्रकार और अर्थशास्त्री कृषि और भूमि-सुधार आदि पर अपने विचार समय न मिलने के कारण व्यक्त नहीं कर सके हैं। 'हिंदू' मद्रास और 'ईस्टर्न ईकोनोमिस्ट', दिल्ली, जैसे पत्र भी इसी से कुछ नहीं कह पाये हैं।

अस्तु, कुछ भी सही, योजना हमारे सामने है। बहुमत दल हम विरोधियों को कुछ कहने का अवसर इसी लिये देता है, जिस से पीछे हम पर आक्रमण कर सके। पर शताब्दियों के लिये ३५ करोड़ जनता का भाग्य-निर्णय करते समय हम सभी को दलगत नीति भुला देनी चाहिये। (**अन्तर्बाधायें**) यह निर्धन जनता के जीवन-मरण का प्रश्न है, मज़ाक नहीं। ब्रिटिश-काल की आर्थिक-सामाजिक गड़बड़ी में लोगों के आधे-पौने पेट भरना नित्य की बात थी; हर वस्तु की कमी थी। पर पिछले पांच वर्षों में तो यह कमी और तंगी और भी पक्की हो गई है। यह योजना तो संतोष के लिये दिखावा मात्र और धोखे की टट्टी भर ही है। कहा जा रहा है कि यदि योजना सफल रही तो २५ वर्ष बाद आपकी आय दूनी हो जायेगी। ऐसी भविष्य-वाणियां ज्योतिषियों के मुख से ही शोभा देती हैं, वैज्ञानिकों के मुख से नहीं। सच पूछा

[श्री वल्लभरास]

जाय तो यह योजना ही नहीं है, बल्कि एक तमाशा भर है। यह अंधेरे की ओर एक साहसपूर्ण पग भर है। इस में बिलकुल असंगत और असंभव बातें भरी पड़ी हैं। फिर प्रति वर्ष के आयव्ययक में इसके लिये पृथक्-पृथक् अनुदान न मांग कर हम से पांच वर्ष के लिये इकट्ठा अनुदान मांगा जा रहा है। पर सच तो यह है कि इन मोटी जिल्दों को ऊपर रख कर सो जाने या इनका तकिया बना लेने के सिवा इसे पढ़ा तो बहुत ही थोड़े सदस्यों ने होगा।

६ म० प०

सभापति महोदय: अब सदन कल १० म० प० तक स्थगित रहेगा।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५२ के दस बजे तक के लिये स्थगित हो गई।